खण्ड-134, अंक-2
मंगलवार, 30 चैत्र, शक संवत् 1876
(20 अप्रैल, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 134 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २० अप्रैल, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्मा राम गोविंद खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेश चन्द्र पाँडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाँडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजाशरण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री

गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविंद वल्लभ पन्त, श्री
गोरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सागर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीन दयाल शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराज, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाँडेय, श्री
धनुषधारी पाँडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दोन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नोरंगलाल, श्री
पद्मनाभसिंह, श्री
परमानन्दसिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री

बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह, यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अथमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाँडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री

रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरुप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री

सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्य बली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

*१-३—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—[स्थगित किये गये।]

तारांकित प्रश्न

खटीमा पावर हाउस के प्रारंभिक तथा वर्त्तमान तखमीनों में अन्तर

*१—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फर नगर)—क्या विद्युत मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि खटीमा पावर हाउस का प्रारंभिक तखमीना क्या था और अब वर्त्तमान तखमीना क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—शारदा पावर योजना का प्रारंभिक तखमीना मय ट्रांसमिशन के ७२६ लाख रुपया था और वर्तमान तखमीना १,१८५ लाख रुपये का है।

*२—श्री श्रीचन्द—क्या विद्युत मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि इन दोनों तखमीनों में अन्तर किन-किन मदों के कारण हुआ और इस वृद्धि का ब्योरा क्या है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वृद्धि आमतौर पर स्कीम में बदलाव व मशीनों व मजदूरी का मूल्य बढ़ जाने के कारण है जो कि १९४५ के बाद काफी बढ़ गयी है जब कि आरंभिक तखमीना बना था, इसके अलावा बहुत से ऐसे अनिवार्य खर्चे हुये हैं जिनके बारे में पहले से नहीं सोचा जा सकता था।

*३—श्री श्रीचन्द—क्या विद्युत मंत्री बतायेंगे कि यह पावर हाउस कब तक पूर्ण हो जायेगा और कितने क्षेत्र में बिजली प्रसारित की जा सकेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—आशा है कि यह पावर हाउस १९५५-५६ तक तैयार होगा और इस पावर हाउस से पैदा की हुयी बिजली नैनीताल, अलमोड़ा, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खेरी, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई और लखनऊ के जिलों में दी जायगी।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पावर हाउस और ट्रांसमिशन लाइन्स का प्रारंभिक और अंतिम तखमीना अलहदा-अलहदा कितना था ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---एक का ४०८ है और दूसरे का ४६४।

श्री श्रीचन्द---यह ४०८ क्या चीज़ है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---जिस तरतीब से आपने नाम लिये थे उसी तरतीब से मैंने जवाब दिया है, पहला ट्रांसमिशन लाइन्स से ताल्लुक रखता है और दूसरा पावर स्टेशन से ।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन तख़मीनों में प्रारंभ में कंटिन्जेंसी कितनी थी और बाद में वह कितनी हो गयी ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---कंटिजेंसी की रकम उतनी ही होगी जो अब तक लगती चली आयी है, लेकिन अब उसका दूसरा हिसाब कर दिया गया है जैसा कि मैंने आपको लेटर लिख दिया है।

श्री गेंदासिंह (ज़िला देवरिया)---क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कंटिजेंसी की रकम कितने प्रतिशत रक्खी जाती है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---पहले ५ और १० फीसदी रखी जाती थी और अब ३ फीसदी है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस रकम को ५ प्रतिशत से २ या ३ प्रतिशत कर दिया है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---इसीलिए तो मैंने बताया कि हमने ३ प्रतिशत कर दिया है ।

श्री रामचन्द्र विकल (ज़िला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो ज़िलों की सूची उन्होंने बतायी उनमें किस-किस कार्य के लिए वे बिजली दे रहे हैं ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिये, घरों में रोशनी करने के लिये, पंखे के लिये, रेफ़्रीजरेटर के लिये दी जाती है।

श्री श्रीचन्द---क्या यह सही है कि बिजावत इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में साढ़े चार लाख रुपया रक्खा गया था ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---बिजावत इन्क्वायरी कमेटी सन् ४६-४७ में बैठी थी। उसकी सब बातें तो मुझे जबानी याद नहीं हैं अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको आपको दिखा दूंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (ज़िला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४५ ई० के बाद लेबर चार्जेज़ बढ़े हैं ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---४५-४६ के मुकाबिले में ४०० तक बढ़े हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस मशीनरी का आर्डर उन्होंने सन् ४५ में दिया था उसके बाद उसके टेंडर्स किस सन् में काल किये ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---जैसा कि मैंने जवाब दिया जहां तक इसका ताल्लुक लेबर चेजेज से है, उनकी कीमत बढ़ी थी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि खटीमा पावर हाउस तैयार हो जाने पर कितने किलोवाट बिजली मिलेगी ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---४१ हजार।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस स्कीम पर पर-किलोवाट कितना केपिटल ऐक्सपेंडीचर होने वाला है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--बिजली बनाने का पर-किलोवाट खर्चा १ हजार है।

गाजियाबाद से ओखला होती हुयी नयी देहली तक सड़क बनाने की योजना

*४--**श्री धर्मसिंह** (जिला बुलन्दशहर)--क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद से ओखला होती हुयी नयी दिल्ली को सड़क बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

निर्माण उप-मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--जी नहीं, गाजियाबाद नयी देहली से नेशनल हाईवे द्वारा मिला हुआ है।

श्री धर्म सिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद नेशनल हाईवेज द्वारा पुरानी दिल्ली या नयी दिल्ली से मिला हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--दोनों दिल्लियों से मिला हुआ है।

श्री धर्मसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ओखले के रहने वाले लोगों को दिल्ली जाने के लिए गाजियाबाद होकर जाना पड़ता है।

श्री चतुर्भुज शर्मा--ओखले से भी दिल्ली का रास्ता है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या यह सत्य है कि एक मास्टर प्लान सरकार ने ऐसी तयार करायी है जिसमें गाजियाबाद से नयी दिल्ली ओखले होकर जाने के लिये एक सड़क की योजना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

बेगम, पथरी और बानगंगा नदियों पर पुलों की आवश्यकता

*५--**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)--क्या यह सच है कि बेगम, पथरी और बानगंगा नदियों पर पुल न होने के कारण ज्वालापुर परगने में यातायात साल में ६ मास बन्द रहता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह सच है कि इन नदियों पर पुल नहीं हैं किन्तु नदियां इतनी छोटी हैं कि उनको पार करने में कोई विशेष असुविधा नहीं होनी चाहिये।

*६--**श्री दीनदयालु शास्त्री**--क्या सरकार यातायात की सुविधा के लिए नदियों पर पुल बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस समय इन पुलों के बनाने का सरकार का विचार नहीं है।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या यह सही है कि बान गंगा का पाट ऐसे मौसम में भी एक फर्लांग से अधिक है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--बान गंगा बड़ी नदी अवश्य है, लेकिन उस को पार करने में कोई असुविधा नहीं है, वह अधिक गहरी भी नहीं है। पाट उसका बड़ा जरूर है।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या यह सही है कि जब माननीय निर्माण मंत्री जी इस सदन के सदस्य उस इलाके से थे तब वह इन पुलों की आवश्यकता को महसूस करते थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--आवश्यकता तो हो सकती है, मामूली कोई नाली भी हो तो उसे पाट देना अच्छा है लेकिन यह सब प्रायरिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सा काम कब लिया जाय।

*७-८--**श्री विष्णु दयाल वर्मा** (जिला मैनपुरी)--[४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*९-१०--**श्री धर्मसिंह**--[स्थानान्तरित किये गये।]

उत्तर प्रदेश में बिजली के अभाव वाले जिले

*११--**श्री राम प्रसाद** (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में अभी तक बिजली नहीं है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में अभी तक बिजली नहीं है वह नीचे लिखे हैं--

१--सुल्तानपुर
२--बलिया
३--फतेहपुर
४--हमीरपुर
५--रायबरेली
६--प्रतापगढ़
७--जालौन
८--गढ़वाल

*१२--**श्री राम प्रसाद**--क्या सरकार रायबरेली शहर में बिजली का प्रबंध करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--रायबरेली शहर में बिजली का प्रबन्ध रिहंद योजना से १९६० तक बिजली मिलने पर हो सकेगा। सरकार इस शहर में इससे पहले बिजली देने की संभावना पर भी विचार कर रही है ?

श्री राम प्रासद--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिहंद बांध के अतिरिक्त कौन सी ऐसी संभावना है जिस पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैंने जवाब में रिहंद डेम की सम्भावना के बारे में नहीं कहा, हम दूसरी स्कीम पर विचार कर रहे हैं।

फैजाबाद से अकबरपुर में मुंसफी वापस करने का विचार

*१३--श्री राम दास रविदास (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद से अकबरपुर में मुन्सफी वापस करने का उसका विचार है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--जी हां। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

*१४--श्री रामदास रविदास--यदि हां, तो कब तक अकबरपुर में मुन्सफी जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर--इस विषय में अभी कुछ ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता है।

श्री रामदास रविदास--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अकबरपुर में मुंसिफी ले जाने में सरकार को क्या असुविधा है ?

श्री सैयद अली जहीर--कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट से पूछा गया है और अभी वहां से जवाब नहीं आया है।

श्री रामदास रविदास--हाईकोर्ट से कब तक जवाब आने की आशा है ?

श्री सैयद अली जहीर--हाई कोर्ट मालूम नहीं कब तक जवाब भेजेगा।

श्री राम सुमेर (जिला फैजाबाद)--क्या मंत्री जी कृपा करके बताएंगे कि अभी इस प्रश्न पर विचार करने में कितना समय और लगेगा ?

श्री सैयद अली जहीर--खयाल यह है कि जल्द मामला तय हो जायगा।

*१५--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--[४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*१६-१८--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--[४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*१९--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--[४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।

प्रान्त के सब रजिस्ट्रारों पर मैजिस्ट्रेटी के कार्य करने के कारण अतिरिक्त व्यय

*२०--श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रान्त में कितने सब रजिस्ट्रार मैजिस्ट्रेट का भी काम कर रहे हैं और मैजिस्ट्रेटी के कार्य भार के कारण उनके ऊपर कितना अतिरिक्त व्यय होता है ?

श्री सैयद अली जहीर--इस समय उत्तर प्रदेश में ३० सब-रजिस्ट्रार अपने दूसरे कार्य के साथ-साथ मैजिस्ट्रेटी का काम कर रहे हैं। मैजिस्ट्रेटी के कार्यभार के कारण उनके ऊपर लगभग २५, २६ हजार रुपया वार्षिक अतिरिक्त व्यय होता है।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि कितने सब-रजिस्ट्रार जो मैजिस्ट्रेटी का भी कार्य कर रहे हैं ऐसे हैं जिनके पास फर्स्ट क्लास पावर्स हैं और कितनों के पास सेकन्ड क्लास पावर्स हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---फर्स्ट क्लास पावर्स किसी के पास नहीं है सब के पास सेकन्ड क्लास पावर्स हैं।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के यह भी बतलायेंगे कि जिस सब-रजिस्ट्रार के पास मैजिस्ट्रेटी का कार्य है उनकी एफीसियेंसी के बेसिस पर फर्स्ट क्लास पावर देने का विचार सरकार रखती है ?

श्री सैयद अली जहीर---अभी तो यह पूरी स्कीम एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर है और इस वजह से अभी फर्स्ट क्लास पावर देने का खयाल नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या सरकार को ज्ञात है कि ऐसे सब-रजिस्ट्रार मैजिस्ट्रेटों के खिलाफ करप्शन की भी शिकायत उनको प्राप्त हुई है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां। बाज़-बाज़ केसेज़ में हुई है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि सब-रजिस्ट्रार लोगों को मैजिस्ट्रेटी के जो पावर दिये गये हैं उसके विरुद्ध जनता में बड़ा रोष है ?

श्री सैयद अली जहीर---विरोध की तो इत्तिला नहीं है, लेकिन उनके मुआफिक बहुत से जलसे बार असोसियेशन के हुये हैं, उनकी इत्तिला जरूर है।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय न्याय मंत्री जी बतलायेंगे कि सब-रजिस्ट्रार को मैजिस्टीरियल पावर्स पहले पहल कब दी गयी थीं ?

श्री सैयद अली जहीर---मुझे ठीक तारीख तो याद नहीं है लेकिन ग़ालिबन तीन या चार साल हुये।

*२१---**श्री तेजा सिंह** (जिला मेरठ)---[४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया]।

मेरठ जिले में बिजली के नये कनेक्शन

*२२---**श्री रामजी लाल सहायक** (जिला मेरठ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेरठ जिले में सन् १९५२-५३ में विद्युत् शक्ति के कितने नये कनेक्शन्स दिये गये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---१,३८८ कनेक्शन।

*२३---**श्री रामजी लाल सहायक**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कितने कनेक्शन्स देहाती क्षेत्र तथा कितने शहरी क्षेत्र में दिये गये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---३३९ कनेक्शन देहाती क्षेत्र में दिये गये और १,०४९ कनेक्शन शहरी क्षेत्र में दिये गये।

श्री रामजी लाल सहायक---क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतलायेंगे कि इसमें कितने कनेक्शन्स रोशनी के हैं और कितने पावर के हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इसकी तादाद इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री रामजी लाल सहायक---क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतलायेंगे कि देहाती क्षेत्रों में कनेक्शन्स ट्यूबवेल्स को लाइन्स से भी लिये गये हैं ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---ट्यूबवेल्स से लिये गये लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि किससे कितने लिये गये।

श्री रामहेत सिंह---क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि बिजली के कनेक्शन देने का नियम क्या है जरूरत को देख कर या प्रार्थनापत्रों के सीरियल आर्डर से ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---दोनों हैं।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कनेक्शंस आज कल रुड़की से मिलते हैं या लखनऊ से ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---रुड़की से भी मिलते हैं और लखनऊ से भी।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि देहातों से और शहर से अलग अलग कितनी-कितनी दरख्वास्तें कनेक्शन के लिये पड़ी थीं ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---अब यह तो मेरे पास इस वक्त नहीं है कि कितनी दरख्वास्तें अलग-अलग देहातों और शहरों के लिए पड़ी थीं ?

श्री रामदास रविदास---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ से किस क़िस्म के कनेक्शन्स मिलते हैं और रुड़की से किस क़िस्म के ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---लखनऊ से इस किस्म के कनेक्शन्स मिलते हैं कि किसी को कनेक्शन्स मिले हुये हैं उसको वह बदलवाना चाहता है या जिस चीज़ के लिये मिली है उसके बजाय किसी और चीज के लिये लेना चाहता है या किसी जगह से हटा कर कनेक्शन को दूसरी जगह ले जाना चाहता है, इस क़िस्म के तो यहां से मिलते हैं और बाक़ी कनेक्शन्स रुड़की से मिलते हैं।

श्री धर्मसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो कनेक्शन्स टेम्पोरेरी तरीके से चले आ रहे हैं उनको कब तक परमानेंट बनाने का विचार रखती है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---जो टेम्पोरेरी कनेक्शन्स दिये जाते हैं या दिये जा रहे हैं वह परमानेंट नहीं बनाये जाने वाले हैं।

श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्यूबवेल्स को जो कनेक्शन्स दिये गये हैं क्या वह रात के कनेक्शन्स दिये गये हैं ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, जो मोहम्मदपुर पावर स्टेशन की बिजली तैयार हुई तो उससे पहले जितने कनेक्शन्स दिये गये थे वह रात के दिये गये थे। अब उस बिजली से वह रात के कनेक्शन्स दिन के कर दिये गये। बाकी जो कनेक्शन्स बचे उसको रात के दिये गये लेकिन आगे जब बिजली बनेगी तो फिर उनको दिन का कर दिया जायगा।

श्री रामजी लाल सहायक---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि किन-किन उद्योगों के कनेक्शन्स में टाइम स्वीच की जरूरत पड़ती है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---हर एक कनेक्शन के लिये जो कि रात के लिये दिये जाते हैं टाइम स्वीच की जरूरत पड़ती है।

श्री नन्दकुमार देव वांशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि लाइट कनेक्शन्स कब से फ्री हो सकेंगे और पावर के कब से ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जब दोनों पावर हाउसेज यानी खटीमा और पथरी इस साल के आखिर में चालू हो जायंगे।

*२४-२५--**श्री दाताराम** (जिला सहारनपुर)--[४ मई, १९५४ के लिये स्थागित किये गये।]

पंचवर्षीय योजना के अधीन खलीलाबाद तहसील में पक्की सड़कों का निर्माण

*२६--**श्री धनुषधारी पांडेय** (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना के अधीन खलीलाबाद तहसील में कोई पक्की सड़क या पुल निर्माण किये जाने का आयोजन किया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--पंचवर्षीय योजना के अधीन खलीलाबाद तहसील में निम्नलिखित पक्की सड़कों के निर्माण का आयोजन किया गया है--

१--खलीलाबाद-मुखलिसपुर पक्की सड़क, १२ मील २ फर्लांग।

२--खलीलाबाद-मेंहदावल पक्की सड़क, १५ मील।

३--खलीलाबाद-मुखलिसपुर सी सी ट्रैक, ५ मील (महोली विश्वनाथपुर)।

४--खलीलाबाद से मेंहदावल सी सी ट्रैक, ६ मील।

कोई पुल निर्माण किये जाने का आयोजन नहीं किया गया है।

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह दोनों सड़कें जो खलीलाबाद से मेंहदावल और खलीलाबाद से मुखलिसपुर को जाती हैं वह २० वर्ष पहले पक्की हो चुकी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--उनका रिकांस्ट्रक्शन किया गया है। असल मानों में वह पक्की नहीं थीं, पक्की अब हुई हैं।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जिन सड़कों का उन्होंने नाम लिया उनमें से नई सड़कें भी कोई हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--मैं नयी के माने नहीं समझा।

श्री अब्दुल मुईज खां--यानी जो पहले पक्की नहीं रही है और अब पक्की की गयी हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये सूचना की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ख्याल में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कें थीं और उनका रिकांस्ट्रक्शन हुआ है।

भोंका नाला में रेगुलेटर बांध से लठिया सहजनी लोहराज पुर आदि ग्रामों में सिंचाई का प्रबन्ध

*२७--**श्री राज कुमार शर्मा** (जिला मिर्जापुर)--क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि गरई नहर, चौकिया ब्रांच के शेरवा माइनर से सम्बन्धित लठिया सहजनी, लोहराजपुर आदि ग्राम को सिंचाई के लिये उक्त नहर का पानी काम में नहीं आता और वहां पानी का तल नीचा पड़ता है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)---शेखा माइनर के कमांड में लठिया सहजनी ग्राम की ४३५ एकड़ और लोहराजपुर ग्राम की ५१ एकड़ भूमि पड़ती है। गत तीन वर्षों में २८७ एकड़ भूमि खरीफ में और २८ एकड़ भूमि रबी में लठिया सहजनी ग्राम में और २ एकड़ भूमि खरीफ में लोहराजपुर ग्राम में सींची गई। लठिया सहजनी ग्राम में सिंचाई संतोषजनक है क्योंकि ७० प्रतिशत भूमि की सिंचाई अब तक हो चुकी है; लोहराजपुर ग्राम की भूमि नहर के पानी की सतह से ऊंची है। यदि कृषकगण उपलब्ध सिंचाई के साधन से लाभ उठाना चाहें, तो उन्हें डाल द्वारा सिंचाई करनी चाहिये।

*२८---**श्री राजकुमार शर्मा**---क्या उक्त ग्रामों की सिंचाई के लिये सरकार भोंका नाला में रेगुलेटर बांध से सिंचाई की व्यवस्था करने जा रही है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति---भोंका नाला पर रेगुलेटर बनाने की व्यवस्था अभी शासन के विचाराधीन है। उस पर कितना व्यय तथा कितना लाभ होगा, इसकी जांच हो रही है।

श्री राजकुमार शर्मा---क्या यह सही है कि लठिया सहजनी का दक्खिनी भाग और भोंका नाला के बायें किनारे की भूमि में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है?

श्री राममूर्ति---जी हां, हो सकता है।

श्री राजकुमार शर्मा---क्या यह सही है कि लोहराजपुर ग्राम की भूमि नहर के पानी से इतनी ऊंची है कि डाल से सिंचाई संभव नहीं हो सकती?

श्री राममूर्ति---मैंने पहले अर्ज किया कि जो हमारे पास जवाब में आया है उसमें यही लिखा है कि डाल से अगर पानी लायेंगे तो पानी पहुंच सकता है।

*२९---**श्री राजकुमार शर्मा**---[४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*३०-३२---**श्री मथुरा प्रसाद** (जिला बस्ती)---[३ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४६-४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३३---**श्री राम नारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)---[४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*३४-३५-**श्री राम नारायण त्रिपाठी**---[१० मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या २५-२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३६---**श्री नेत्रपाल सिंह**-(जिला अलीगढ़)---[११ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*३७---**श्री नेत्रपाल सिंह**---[४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*३८-३९---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** [४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला उन्नाव के बिहार-ऊंचगांव और बीघापुर-बक्सर रोड का पक्का किया जाना

*४०---**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिलान्तर्गत बिहार-ऊंच गांव और बीघापुर-बक्सर रोड को वह इस वर्ष पक्की बनाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री चतुर्भुज शर्मा--प्रथम भाग--इस वर्ष इन सड़कों को पक्की बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

द्वितीय--यह प्रश्न नहीं उठता ।

*४१--**श्री देवदत्त मिश्र**--क्या सरकार बिहार से पुरवा और बीधापुर से पुरवा की सड़कों को (उन्नाव जिले) में पक्की करने की आवश्यकता पर विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय इन सड़कों पर विचार किया जायगा ।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन सड़कों की कब तक बन जाने की आशा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि यह ली जा रही हैं । जब पक्की बनाने के लिये ली जायंगी और योजना में आ जायंगी तब यह सवाल पैदा ह.गा ।

*४२-४३--**श्री मन्नी लाल गुरुदेव** (जिला हमीरपुर)--[४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

रामपुर शहर तथा टांडे में मुफ्त बिजली पाने वाले मंदिरों तथा मस्जिदों की संख्या

*४४--**श्री कृष्ण शरण आर्य** (जिला रामपुर)--क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर शहर में तथा कस्बे टांडे में जिन मन्दिरों तथा मस्जिदों को सरकार की ओर से मुफ्त बिजली दी जाती है उनकी संख्या पृथक-पृथक कितनी है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम--रामपुर शहर तथा कस्बा टांडे में मुफ्त बिजली पाने वाले मन्दिर तथा मस्जिदों की संख्या इस प्रकार है --

रामपुर शरह--

मन्दिर	२१
मस्जिद	२६३
मकबरे	९

कस्बा टांडा--

मन्दिर	२

श्री कृष्ण शरण आर्य--इस मुफ्त बिजली देने के लिये मुहकमें को अब भी औकाफ से पैसा मिलता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मुझे इसकी बाबत मालूम नहीं है ।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जितने मस्जिदों और मन्दिरों के मुफ्त बिजली के कनेक्शन्स हैं वह रियासत के जमाने के हैं या बाद को भी दिये गये हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सब रियासत के जमाने के हैं ।

श्री कृष्ण शरण आर्य--अगर अब कोई मन्दिर, मस्जिद मुफ्त बिजली की मांग करे तो सरकार की ओर से दी जायगी या नहीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं, यह सरकार मजहबी सरकार नहीं है। मन्दिरों और मस्जिदों को बिजली दी जाती है मगर जैसे औरों से क़ीमत वसूल की जाती है वैसे उनसे वसूल की जाती है। यही वहां भी होगा।

*४५--**श्री रामप्रसाद नौटियाल** (जिला गढ़वाल)--[२९ अप्रैल, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४६--**श्री रामप्रसाद नौटियाल**--[स्थगित किया गया।]

*४७-४८--**श्री तेजप्रताप सिंह** (जिला हमीरपुर)--[११ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*४९--**श्री तेजप्रताप सिंह**--[४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

बनारस में रामनगर के सामने गंगा पर पीपों के पुल की आवश्यकता

*५०--**श्री लाल बहादुर सिंह कश्यप** (जिला बनारस)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या वह बनारस में रामनगर के सामने गंगा पर पीपे का पुल बनवाने का विचार रखती है? अगर हां, तो वह कब तक बन जायगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं।

श्री लाल बहादुर सिंह कश्यप--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि पीपे का पुल न होने के कारण रामनगर कस्बा उजड़ रहा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--वहां कोई पुल पहले भी नहीं था और पुल न होने के कारण कस्बा उजड़ रहा है इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री लाल बहादुर सिंह कश्यप--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जब माघ के महीने में, कुंवार के महीने में और जेठ के महीने में वहां मेले होते हैं तो पीपे का पुल न होने के कारण घाट वाले एक एक दो दो रुपया फी आदमी चार्ज करते हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसा हो सकता है कि जो प्राइवेट आदमी नावें चलाते होंगे वह इतना चार्ज करते हों। वह कोई सरकारी घाट नहीं है।

काशी की पंचकोसी सड़क को पक्की कराने की आवश्यकता

*५१--**श्री लाल बहादुर सिंह कश्यप**--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या वह पंचकोसी सड़क को जिला बोर्ड से लेकर पक्की कराने का विचार रखती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)--क्या माननीय निर्माण मंत्री जी इस सड़क की अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता के दृष्टिकोण से इसे सरकार के अधीन लेने का विचार रखते हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह बात सही है कि काशी की यह सड़क महत्वपूर्ण है लेकिन इसमें वहां की म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह शामिल हैं, इसमें काफी खर्चा होने की बात है। एक दफा यह सवाल आया था और कोशिश यह की गई थी कि दो-तिहाई रुपया वहां की और संस्थायें दें तो सरकार इस बात पर विचार कर सकती है।

श्री लालबहादुर सिंह कश्यप—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि अभी साल डेढ़ साल पहले जिला बोर्ड से इस सड़क को इसी लिये सरकार ने लिया था कि उसको पक्की करवाया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह पक्की कराने के लिये कभी नहीं ली गई थी ।

*५२-५३—श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)—[४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

लोनी परगना, मेरठ में जमुना के किनारे बांध

*५४—श्री तेजासिंह—क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने देहली प्रांतीय सरकार को लोनी परगना (मेरठ) में जमुना के किनारे एक बांध बनाने की स्वीकृति दे दी है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

*५५—श्री तेजासिंह—क्या सरकार बतायेगी कि जो गांव बांध के अन्दर आवेंगे उनका वह क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री राममूर्ति—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस बांध पर १५ लाख रुपया खर्च किया जाने वाला है और वह रुपया यू० पी० सरकार, केन्द्रीय सरकार, देहली सरकार, नार्दर्न रेलवे, एस० एस० लाइट रेलवे और शहादरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट इस बांध को बनाने जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—इस सरकार को इसका कोई ज्ञान नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में इस बांध के बनाने के लिये इस समय सर्वे किया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति—यह भी असत्य है।

*५६-५७—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[वापस लिये गये।]

जिला बांदा में रंगवा जल खाते से नहर की योजना

*५८—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार रंगवा बांध से बागैनदी तथा पैसुनी नदी के मध्य भाग से पुल बनाकर जिला बांदा में नहर की योजना चालू कर रही है ?

श्री राममूर्ति—बांदा जिले में रंगवा जल खाते से बघेन तथा पैसुनी नदियों को पार करके कोई नहर बढ़ाने की योजना नहीं है

*५९—श्री जगपति सिंह—यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति—यह प्रश्न नहीं उठता।

जिला मुजफ्फरनगर में गंगा तथा जमुना की नहरों के रजबाहों की झाल

*६०--श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला मुजफ्फरनगर में गंगा और जमुना की नहरों के रजबाहों की झाल (Crest) तोड़ दी गई है ? यदि हां, तो किस नियम के मातहत ऐसा हुआ है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--जिला मुजफ्फरनगर की गंगा तथा जमुना नहर के रजबाहों की कोई झाल नहीं तोड़ी गई है। केवल एक जगह ४४ मील पर स्थित देवबन्द ब्रांच के एक साइफन को एक खुले हुये Culvert में परिवर्तित किया गया है क्योंकि उक्त साइफन नीचे के क्षेत्रों में पानी जाने से रोकता था।

*६१--श्री बलवन्त सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि उन कुलाबों का अब क्या किया जा रहा है जो झाल से ऊपर लगे हुये थे और जिनकी अब वाटर लेविल गिर गई है और जिनमें पानी निकलना बहुत कम हो गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--झाल के ऊपर स्थित कुलाबों का निरीक्षण किया गया और उन तक अधिक मात्रा में पानी पहुंचाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई है।

*६२--श्री बलवन्त सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार ऐसी झाल को फिर से बनवायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि संबंधित कृषकगण सन्तुष्ट हैं और उन्होंने लिखित दे दिया है कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है।

आजमगढ़ जिले में बांधों का निर्माण

*६३--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कहां कहां बांध बनाये जा रहे हैं और क्या उन बाँधों के निर्माण के पहिले इंजीनियरों से राय ले ली गई थी ? यदि हां, तो किन किन बांधों के संबंध में राय ली गई थी ?

श्री राममूर्ति--आजमगढ़ जिले में निम्नलिखित बांध सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण किये जा रहे हैं :--

१--चयूटी डांड बान्ध घाघरा नदी पर।

२--बिन्दल बान्ध कियार नदी पर।

३--जगदीशपुर बान्ध वेसू नदी पर।

४--मालो बान्ध

गुडसार बान्ध, रसूलपुर बान्ध } मैंसही नदी पर

वेसू गंगी योजना के अन्तर्गत तीन बांध छतरपुर, घाटमपुर और गंगापुर बनाये जा जा रहे हैं।

उपर्युक्त सभी बन्द इंजीनियरों द्वारा सर्वे कराने के बाद निर्माण किये जा रहे हैं।

इसके अलावा नियोजन विभाग के देखरेख में बनाये गये बांधों की एक लिस्ट माननीय मेम्बर की मेज पर रख दी गई है। अनुसूची (क) तथा (ख) में श्रम दान द्वारा बनाये जाने वाले तथा बनाये गये बन्ध दिये गये हैं। अनुसूची (ग) टेस्ट वर्क प्रोग्राम में बनाया जाने वाला बन्द तथा (घ) में इस प्रोग्राम में तथा नियोजन कमेटियों द्वारा बनाये गये बन्द दिये गये हैं। अनुसूची (ग)

[श्री राममूर्ति]

ब (घ) में दिये गये बंध प्रायः इंजीनियरों से राय लेकर बनाये गये हैं पर अनूसूची 'क' व 'ख' में दिये गये श्रमदान द्वारा बनाये गये बंधों के निर्माण में इंजीनियरों की राय नहीं ली जा सकी क्योंकि योजनाओं में ही बहुत व्यस्त थे।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५९–१६३ पर।)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि चयूटी डांड बांध तीन चार जगह से काट दिया गया है जिससे पानी आता जाता है। क्या वहां सरकार पक्के रेग्यूलेटर्स लगाकर पानी की निकासी शुरू करने का विचार रखती है ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास इस संबंध में कोई इंफारमेशन नहीं है। लेकिन जो माननीय सदस्य कहते हैं उस पर गौर कर लिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह चयूटी डांड बान्ध किस इंजीनियर की राय से बनवाया गया है। क्या उसने रेग्यूलेटर्स लगाने की राय दी थी ?

श्री राममूर्ति---इस संबंध में मेरेपास कोई इन्फारमेशन नहीं है।

दारुलशफा ए ब्लाक से बी ब्लाक तक की सड़क को पक्की कराने की आवश्यकता

*६४–**श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि A-Block Darul Shafa से जो सड़क B-Block Darul Shafa को जाती है उस पर इतना पानी बरसात में लग जाता है कि Members को आने जाने में बहुत कष्ट होता है, यदि हां, तो क्या सरकार उसके दूर करने पर विचार करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---सरकार को ऐसी सूचना नहीं है। इस वक्त जो सड़क है वह वहां की जमीन से ऊंची है इसलिये यह शिकायत नहीं होनी चाहिये। अगर रही तो जाती रहेगी। इसलिये कि वहां के लिये सरकार सीमेंट की सड़क बनाना मंजूर कर चुकी है।

श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह---अध्यक्ष महोदय, उत्तर साफ नहीं है। रही तो जाती रहेगी, यह मेरी समझ में नहीं आया। हम जानना चाहते हैं कि शिकायत सही है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—आप बहस कर रहे हैं, प्रश्न पूछिये।

श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसकी जांच उन्होंने किसके जरिये करवाई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जांच किस वास्ते। वहां शिकायत है या नहीं ? तो वह तो स्टेट आफिसर के जरिये से मालूम हुआ है।

श्री धर्मसिंह---क्या सरकार को पता है कि यह सड़क इतनी खराब है कि रात को चलते समय बहुत से माननीय सदस्यों को ठोकर लग जाती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैंने तो उसका जवाब दे दिया कि सीमेंट को बनवाए दे रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये इस सड़क के पुनर्निर्माण को स्थगित रखने पर विचार करेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अगर मेरे दोस्त हाउस को अपने साथ कर लेंगे तो मैं भी विचार कर लूंगा।

*६५--श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह--[४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*६६--श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--[२९ अप्रैल, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६७-६९--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--[२९ अप्रैल, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या १४-१६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*७०-७२--श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--[४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

मुंसिफी शाहजहांपुर के पिछले तथा इस साल के मुकदमों की संख्या

*७३--श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार मुंसिफी शाहजहांपुर के पिछले साल के मुकदमों की संख्या और इस साल के मुकदमों की संख्या बताने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर--मुंसिफी शाहजहांपुर के पिछले साल के मुकदमों की संख्या और इस साल १ जनवरी, १९५४ से ३१ मार्च, १९५४ ई० तक की संख्या इस प्रकार है :--

१९५३	११२५
१९५४	२५४

(१ जनवरी से ३१ मार्च) तक।

श्री प्रतिपाल सिंह--क्या अदालत माल के काम दीवानी अदालत के सुपुर्द हो जाने के बाद मुकदमों की सुनवाई के लिये सरकार नयी मुंसिफी खोलने पर विचार करती है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, हाईकोर्ट को अख्तियार है कि जहां काम ज्यादा हो वहां नयी मुंसिफी खोली जाय।

श्री प्रतिपाल सिंह--क्या सरकार को पता है कि शाहजहांपुर में दो मुंसिफियां थीं ?

श्री सैयद अली जहीर--हां, मुमकिन है रही हों। ठीक इत्तिला इस वक्त नहीं है।

श्री प्रतिपाल सिंह--क्या मुकदमों को यथोचित ढंग से निपटाने के लिये और अच्छी सुनवाई होने के ख्याल से शाहजहांपुर में दूसरी मुंसिफी या तीसरे मुंसिफ कायम करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर--अगर जरूरत समझी गयी तो जरूर एक मुंसफी वहां कर दी जायगी।

*७४-७६--श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़)--[४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

पी० डब्लू० डी० द्वारा हमीरपुर जिला बोर्ड को वापिस की गयी सड़कें

*७७--श्री मन्नीलाल गुरुदेव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्लू० डी० विभाग ने जिला हमीरपुर की किन-किन सड़कों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापिस किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जो सड़कें जिला बोर्ड हमीरपुर को पी० डब्लू० डी० ने वापिस की हैं उनकी एक सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १६३ पर।)

श्री मन्नीलाल गुरुदेव--क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी हुई सड़कों में से किसी सड़क को वापस लेने का विचार रखती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बनने के समय जो सड़कें महत्वपूर्ण होंगी उनके लेने पर विचार किया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या निर्माण मंत्री जी यह बताने कि कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड हमीरपुर को उसकी प्रार्थना पर ये सड़कें दी हैं या सरकार ने स्वयं उनको दे दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह तो सूबे भर में सब बोर्डों को जो सड़कें वापस की गई थीं, गवर्नमेंट की पालिसी के अनुसार तभी दी गई थीं।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि जिला बोर्ड हमीरपुर की आर्थिक हालत बहुत खराब होने की वजह से ये सड़कें न इधर हैं न उधर हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा--ये सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास हैं।

श्री गैंदासिंह--क्या माननीय निर्माण मंत्री जी को यह मालूम है कि सड़कों के इधर से लेने देने की प्रक्रिया में उन सड़कों की हालत बहुत खराब हो गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--नहीं जी, काफी दिन हो गये। सन् ५२ से दे दी गई हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये सड़कें कब वापस की गईं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा-- मैंने बतलाया कि १, अगस्त सन् ५२ में वापस हुईं।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन सड़कों के वापस करने के क्या-क्या कारण थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ये सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की इसलिये की गई थीं कि उनको दुरुस्त कर दिया जाय और फिर यह सोचा गया कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लोकल चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, उन्हें स्थानीय मदद मिल सकती है, इसलिये यह उनको दे दी गईं। उन्हें ग्रान्ट दी जाती है और बनाने का भार उनके ऊपर है।

*७८--**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--[११ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*७९--**श्री उमाशंकर**--[४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

अमरीकन सहायता से आजमगढ़ जिले में नलकूपों का निर्माण

*८०--**श्री उमाशंकर** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि भारतीय अमेरिकन सहायता १९५३ के कार्यक्रम के अन्तर्गत २८० नलकूपों में से आजमगढ़ में जो ३५ नलकूप बनने वाले हैं, उसमें से कितने तैयार हो चुके हैं और वह कहां कहां बने हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--२८० नलकूपों में से आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और जौनपुर के लिये १५० नलकूपों के निर्माण का ठेका एक फ्रेंच कम्पनी (French Group of Drilling Companies) को जनवरी ३०, १९५४ को दिया गया है। अभी इनमें से कोई नलकूप तैयार नहीं हुआ है। कम्पनी से किये गये agreement के अनुसार जुलाई १९५५ तक कम्पनी को २५ नलकूप तथा जनवरी १९५६ तक पूरे १५० नलकूप बनाने हैं। अभी यह कम्पनी माल इत्यादि लाने का प्रबन्ध कर रही है।

जिला मिर्जापुर की तहसील राबर्ट्सगंज के तप्पा जसौली परगने में सिंचाई का प्रबन्ध

*८१--**श्री ब्रजभूषण मिश्र** (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिला के अन्तर्गत राबर्ट्सगंज तहसील के तप्पा जसौली परगने की भूमि समतल और उपजाऊ होते हुए भी सिंचाई के साधन के अभाव के कारण प्रायः दुर्भिक्षग्रस्त रहती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जसौली परगने का अधिकांश क्षेत्र चट्टानी नहीं है तथा कृषि के योग्य है, फिर भी सोतों और मैदानों के आस-पास की भूमि ढालू (Steep gradient) है। इस समय इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधायें प्रदान करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*८२--**श्री ब्रजभूषण मिश्र** (अनुपस्थित)--क्या सरकार इस बात का सर्वे कराने का विचार रखती है कि जसौली क्षेत्र में करही गांव के पास करही नाला को बांध देने से जसौली के ७२ गांव की सिंचाई सम्भव हो सकेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह अभी शासन के विचाराधीन है।

*८३--**श्री ब्रजभूषण मिश्र** (अनुपस्थित)--क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नलकूप बनाने के सम्बन्ध में भी जांच कराने की सोच रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह क्षेत्र पहाड़ी है और भूमि की सतह के कुछ ही फुट नीचे चट्टानें हैं। अतः यह क्षेत्र नलकूपों के लिए उपयुक्त नहीं प्रतीत होता।

लखनऊ जिले में बन्थरा-हरौनी सड़क पर नरेरा के पुल की मरम्मत की आवश्यकता

*८४--**श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी** (जिला लखनऊ)--क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ जिला के बन्थरा-हरौनी की सड़क पर नरेरा का पुल अनेक वर्षों से टूटा हुआ है जिसके कारण बरसात में लगभग पाँच माह तक रास्ता बन्द रहता है और आने जाने वालों को बड़ी असुविधा रहती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हाँ।

*८५--**श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी**--क्या यह सड़क जिस पर यह पुल है पी० डब्लू० डी० के अधीन है ? यदि हाँ, तो इसकी अब तक मरम्मत न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस पुल को शीघ्र बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसको जिला बोर्ड से केवल एक साल हुए लिया गया है। आर्थिक संकट के कारण यह पुल अभी तक नहीं बनाया जा सका। इस स्थान पर एक अस्थायी पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह पुल किस साल में टूटा था और कब से यह टूटा हुआ पड़ा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसकी तो मेरे पास अभी कोई इत्तिला नहीं है, सूचना की जरूरत पड़ेगी। स्टेबिलाइजेशन के सिलसिले में ये सड़कें ली गई थीं इसलिये यह पुल कुछ साल पहले का टूटा हुआ होगा।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह प्रश्न कब से सरकार के विचाराधीन है और कब तक किसी निर्णय के ऊपर सरकार के पहुंचने की संभावना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---मैंने अर्ज किया कि इसको जल्दी ही हम बनाने जा रहे हैं और इस पर विचार हो रहा है और करीब-करीब यह निश्चय कर लिया गया है कि एक स्थायी पुल इस सड़क पर बना दिया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी---क्या सरकार इस सड़क के महत्व को जानती है ? इस पर सैकड़ों बैलगाड़ियां और हजारों पैदल यात्री गुजरते हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा---सड़क की महत्ता होगी। इसके अलावा हमने जो सड़क ली थी वह इसलिये ली थी कि हम उस पर स्टेबिलाइजेशन का प्रयोग करना चाहते थे। यह सड़क इसलिये ली गई थी कि इस पर यह प्रयोग किया जा सके कि यहां मिट्टी को डालकर पक्की सड़क के मुकाबिले में बना सकते हैं या नहीं।

फर्स्ट फेज में नयी सड़कों का पक्की करना तथा पक्की सड़कों की मरम्मत

*८६---**श्री मिहरबान सिंह** (जिला इटावा)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्स्ट फेज में कितने मील नई सड़कें पक्की बनाने व कितने मील पक्की सड़कों की मरम्मत करना रक्खा गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---फर्स्ट फेज में १,६६६ मील नई पक्की सड़कें, ५०१ मील सीमेंट कांक्रीट ट्रैक्स तथा २,३५४ मील पक्की सड़कों की मरम्मत करना रक्खा गया था।

*८७---**श्री मिहरबान सिंह**---क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनमें से ३१ दिसम्बर, सन् ५३ तक कितनी मील नई सड़कें पक्की व कितने मील पक्की सड़कों की मरम्मत हो चुकी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---१,०७५ मील नई पक्की सड़कें, ४९ मील सीमेंट कांक्रीट ट्रैक्स व २,१८३ मील पक्की सड़कों की मरम्मत हो चुकी थी।

श्री मिहरबान सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसके पूरा करने के लिये कोई समय निर्धारित किया गया था और अगर समय निर्धारित था तो कब तक के लिए ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां। समय निर्धारित था। लेकिन पंच वर्षीय योजना आने के कारण यह फर्स्ट फेज में शामिल कर ली गई हैं और अगले साल तक इसकी मियाद है।

श्री मिहरबान सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो काम अब बकाया रह गया है वह कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--आशा की जाती है कि यह काम शीघ्र इसी साल के अन्दर शायद पूरा हो जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि सीमेंट कांक्रीट ट्रैक्स जो उन्होंने ५०१ मील बताये हैं और उनमें से केवल ४९ मील बना पाये हैं, तो क्या शेष इसी साल पूरे हो जायंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह शायद नहीं हो सकेगा। देर का कारण यह है कि सीमेंट कम मिली और यातायात की बड़ी कठिनाई थी इसलिये सीमेंट कांक्रीट का काम कम हुआ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि अगले साल तक ये पूरे हो जायंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह मैं ठीक नहीं कह सकता। कोशिश की जायगी कि जल्द से जल्द पूरा हो।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में कितनी रकमें लैप्स कर गईं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये नोटिस की जरूरत पड़ेगी।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि फर्स्ट फेज की बहुत सी सड़कें पंचवर्षीय योजना में नहीं ली गई हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ज्यादातर फर्स्ट फेज की सड़कें पंचवर्षीय योजना में हैं। अगर कोई ऐसी है तो मुझे इत्तिला नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--फर्स्ट फेज में जो नयी सड़कें १,६६६ मील बनाने के लिए सरकार ने बताया है उसमें से १,०७५ मील बनी हैं। तो जो शेष ६०० मील लम्बी सड़कें रह जाती हैं क्या वह इसी साल में पूरी हो जायंगी या अगले साल में सरकार उन्हें पूरा करने का इरादा रखती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसमें से बहुत सी सड़कें इसी साल में बन जायंगी। बाकी सड़कें जो रह गई हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल में पूरी हो जायंगी।

श्री मिहरबान सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब ये सड़कें फर्स्ट फेज की बन जायंगी उसके बाद वह सड़कें ली जायंगी जिनको सेकंड फेज में लेने का विचार है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--पंचवर्षीय योजना का जब पहला प्रोग्राम खत्म हो जायगा तब दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रोग्राम बनाया जायगा। उसमें और सड़कें ली जायंगी और जो बाकी सड़कें रह गई होंगी उन पर विचार किया जायगा।

फैजाबाद तथा सुल्तानपुर जिलों में कादीपुर--दोस्तपुर--अकबरपुर सड़क को पक्का करने का कार्य

*८८--**श्री काशीप्रसाद पांडेय** (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने फैजाबाद तथा सुल्तानपुर जिलों में कादीपुर-दोस्तपुर-अकबरपुर सड़क को पक्का करने का कार्य प्रारम्भ किया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। केवल कादीपुर से दोस्तपुर तक का भाग कच्ची सड़क के रूप में निर्माण के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग ने लिया था।

*८९—**श्री काशी प्रसाद पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सड़क पर मिट्टी के कार्य में रुपया खर्च कर सड़क को बिना पक्का ही किये क्यों छोड़ दिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस सड़क को पक्का बनाने की कोई योजना नहीं थी। अतः कच्ची सड़क के निर्माण का कार्य समाप्त करने के पश्चात् इस सड़क को जिला बोर्ड, सुल्तानपुर को वापस दे दिया गया।

सिंचाई विभाग में हरिजन कर्मचारियों की संख्या

*९०—**श्री रामप्रसाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कैनाल विभाग में कितने चपरासी, पतरौल तथा अमीन हैं और उनमें हरिजनों की संख्या कितनी है?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग में १९५३-५४ के आँकड़ों के अनुसार चपरासी, पतरौल तथा अमीनों की संख्या इस प्रकार है :—

	हरिजन	और सब	कुल
चपरासी ..	२१	६२०	६४१
पतरौल ..	८६	२,४८०	२,५६६
अमीन ..	२	८२५	८२७

*९१—**श्री रामप्रसाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५२-५३ में तथा ५३-५४ में उक्त कर्मचारियों की नई नियुक्ति क्रमशः कितनी संख्या में हुई और हरिजन क्रमशः कितने-कितने लिये गये?

श्री राममूर्ति—सन् १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में नई नियुक्ति पदानुसार इस प्रकार है :—

१९५२-५३	हरिजन	और सब	कुल
चपरासी ..	३	९१	९४
पतरौल ..	१२	२०९	२२१
अमीन ..	..	९७	९७
१९५३-५४			
चपरासी ..	१२	५७	६९
पतरौल ..	१७	१७६	१९३
अमीन ..	१	९४	९५

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जो संख्या माननीय मंत्री जी ने चपरासी, अमीन और पतरौलों में हरिजनों की बतलाई हैं तो क्या वह यह बताने का कष्ट करेंगे कि कितने हरिजनों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे और उनमें से कितने लिये गये?

श्री राममूर्ति—मेरे पास यह इन्फार्मेशन तो नहीं है कि कितने लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये लेकिन जो आंकड़े मैंने पढ़े उनसे जरूर मालूम हो रहा है कि पतरौल, अमीन और चपरासियों की इन छोटी सर्विसेज में हरिजन काफी तादाद में मिल सकते हैं।

और मुझे अफसोस है कि हमारा जो विभाग है उसने सिलेक्शन में गल्तियां की हैं जो कि उसको नहीं करना चाहिये थीं। हमने एक सख्त हिदायत दी है कि आइंदा ऐसी गल्तियां न होना चाहिये और हरिजनों के लिये जितना रिजर्वेशन रक्खा गया है उतना रिजर्वेशन जरूर हरिजनों को मिलना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर में जो स्टाफ आल दि ईयर राउंड के लिये सिलेक्ट किया गया उसमें प्रत्येक वर्ग की क्या संख्या है?

श्री राममूर्ति—क्षमा कीजियेगा मैं समझ नहीं पाया।

बुलंदशहर जजी कोर्ट में फौजदारी व दीवानी की अपीलें

*९२—**श्री धर्मसिंह**—क्या सरकार को पता है कि बुलन्दशहर जजी कोर्ट में बहुत सी फौजदारी व दीवानी की अपीलें बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी हैं? यदि हाँ, तो कितनी?

श्री सैयद अली जहीर—बुलन्दशहर जजी कोर्ट में फौजदारी और दीवानी की पेंडिंग (pending) अपीलों की संख्या इस प्रकार है:—

फौजदारी २३ दीवानी ६९५।

*९३—**श्री धर्मसिंह**—क्या सरकार ऐसी अपीलों की संख्या बतायेगी जो कि चार, तीन, दो व एक वर्ष से अधिक पेंडिंग पड़ी हैं?

श्री सैयद अली जहीर—दीवानी की अपीलों में से २३९ अपीलें १ साल से और ९ अपीलें २ साल से अधिक पेंडिंग हैं। कोई भी अपील ३ या ४ साल से पेंडिंग नहीं है। फौजदारी की अपीलें साल भर से कम से पेंडिंग हैं।

श्री धर्मसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो ६९५ अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं वे कब तक तय हो जायंगी?

श्री सैयद अली जहीर—मैं इसके लिये मियाद मुकर्रर नहीं कर सकता।

प्रतापगढ़ से कुन्डा जाने वाली पक्की सड़क की मरम्मत की आवश्यकता

*९४—**श्री रामनरेश शुक्ल**—क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ से कुंडा जाने वाली पक्की सड़क की दशा अच्छी नहीं है?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—यह सड़क जिला बोर्ड के अन्तर्गत है और इस वर्ष बाढ़ के कारण इसका अधिकांश भाग खराब हो गया है। जिला बोर्ड इस सड़क की मरम्मत की ओर प्रयत्नशील है।

*९५—**श्री रामनरेश शुक्ल**—क्या सरकार इस सड़क को पी० डब्लू० डी० में लेने को सोच रही है?

श्री गिरधारीलाल—इस समय इस प्रकार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय इस पर विचार किया जायगा।

सन् ५१ से अब तक बस्ती जिले में बने हुए पुल

*९६—**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् ५१ से अभी तक बस्ती जिले में कितने पुल बनवाये गये?

श्री गिरधारीलाल--इस समय में कोई बड़ा पुल नहीं बनाया गया केवल १६ पुलियें सड़कों पर बनाई गईं।

जिला हरदोई में गर्रा नदी और गरई नाला पर पुलों की आवश्यकता

*९७--**श्री प्रतिपाल सिंह**--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला हरदोई के परगना पछोहा के निवासी गर्रा नदी और गरई नाला पर पुलों की व्यवस्था और यातायात के साधन न होने के कारण अत्यन्त कष्ट में हैं?

श्री गिरधारीलाल--सम्भव है कि गर्रा नदी और गरई नाला पर पुलों के न होने के कारण जनता को यातायात में असुविधा होती हो।

*९८--**श्री प्रतिपाल सिंह**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के हेतु उपर्युक्त नदियों पर पुल बनवाने अथवा इस क्षेत्र को शाहजहांपुर जिले में मिलाने की योजना उसके विचाराधीन है?

श्री गिरधारीलाल--इन नदियों पर पुलों के निर्माण के प्रश्न पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाने के समय विचार किया जायगा। इस क्षेत्र को जिला शाहजहांपुर में मिलाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

फर्रुखाबाद जिले में गंगा व रामगंगा के मध्य की तथा घटियाघाट से फर्रुखाबाद के मध्य की सड़कों की दुर्व्यवस्था

*९९--**श्री पातीराम** (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद जिले के गंगापार क्षेत्र में गंगा व रामगंगा के मध्य की तथा घटियाघाट से फर्रुखाबाद के मध्य की सड़कें लगभग ५ वर्ष से यातायात के योग्य नहीं हैं? यदि हां, तो उन दोनों सड़कों को बनवाने की व्यवस्था कब तक की जायेगी?

श्री गिरधारीलाल--इन सड़कों की दशा अच्छी नहीं है। गंगा व रामगंगा के मध्य की सड़क को कोलतार से बनाने का प्रस्ताव है तथा यह कार्य प्रगति में है। घटियाघाट व फर्रुखाबाद के मध्य की सड़क जिला बोर्ड, फर्रुखाबाद के अन्तर्गत है तथा बोर्ड से कहा गया है कि वह इसको सुधारने का प्रयत्न करे।

गोरखपुर जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के नाम और उनकी संख्या

*१००--**श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की संख्या और उनके नाम क्या हैं?

*१०१--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कब हुई?

श्री सैयद अली जहीर--जिला गोरखपुर में इस समय निम्नलिखित नौ आनरेरी मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं और उनकी नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख दी हुई तारीख को की गयी--

१--श्री रामलखन चन्द	आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट	फर्स्ट क्लास		२५-८-५२
२--श्री सुरेन्द्र मोहन सेन बी० ए०, एल-एल० बी०			,,	३१-१-४७
३--श्री रामहरखचन्द	,,	,,	,,	२८-८-४७
४--श्री साजिद अली	,,	,,	,,	३-१-५०
५--श्री सच्चिदानन्द	,,	,,	,,	२६-२-४९

६—श्री राजाराम सिंह बी० एस-सी०	आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट सेकेन्ड क्लास		१३-१०-५२
७—श्री अयोध्या प्रसाद	सदस्य गोरखपुर बेंच	सेकेंड क्लास	३-५-४९
८—श्री गोपाल नारायण श्रीवास्तव	,,	,,	३-५-४९
९—श्री लक्ष्मी देव दुबे	,,	,,	१८-११-४७

*१०२—**श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को न्यायालय में आने के लिये कोई समय निर्धारित है? यदि हां, तो क्या?

श्री सैयद अली जहीर—आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट तथा आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को ११·०० से ११·३० के बीच दिन के समय न्यायालय में आने के लिए कह दिया गया है।

मिर्जापुर जिले में दीवानी की अदालतों में अनिर्णीत मुक़दमे

*१०३—**श्री अमरेशचन्द्र पांडेय** (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को मालूम है कि मिर्जापुर जिले में दीवानी के मुकदमे कई वर्षों से बिला फैसले पड़े हुये हैं? क्या सरकार एक तालिका मेज पर रखने की कृपा करेगी कि दीवानी के मुकदमे कितने वर्ष पुराने, बिला फैसले दीवानी अदालत में पड़े हैं?

श्री सैयद अली जहीर—मिर्जापुर जिले की दीवानी अदालतों में बिना फैसला किये मुकदमों की संख्या संलग्न विवरण-पत्र में उल्लिखित है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १६४ पर।)

*१०४—**श्री अमरेशचन्द्र पांडेय**—क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र मिर्जापुर में एक और Additional Judge भेजने का विचार कर रही है?

श्री सैयद अली जहीर—सरकार का कोई ऐसा विचार नहीं है कि मिर्जापुर जिले में एक अतिरिक्त सिविल जज को नियुक्ति दीवानी मुकदमों के फैसले के लिये की जाय क्योंकि वहां और जिलों की अपेक्षा दीवानी काम हल्का है, हालांकि सरकार बढ़े हुए फौजदारी मुकदमों के लिये एक अस्थायी सिविल ऐंड सेशन जज की नियुक्ति का विचार कर रही है। इस प्रकार फौजदारी के मुकदमें नियत समय पर होने लगेंगे और सिविल ऐंड सेशन जज स्वयं ही दीवानी के मुकदमों को अधिक समय दे सकेंगे।

*१०५—**श्री अमरेशचन्द्र पांडेय**—क्या यह सही है कि इस महीने में मिर्जापुर की दीवानी अदालत में कुछ मुकदमों की मिसिलों की चोरी हो गई है? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। यह सही है कि ५८ मुकदमों की फाइलें अतिरिक्त सिविल जज की अदालत से चोरी हो गई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चौकीदार मुअत्तल कर दिया गया है और उसके खिलाफ कार्यवाही जारी है। उक्त अदालत के क्लर्क का भी तबादला कर दिया गया है।

गोरखपुर शहर में बिजली न पाने वाले मुहल्ले

*१०६—**श्री केशव पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर शहर में कुछ ऐसे भी मुहल्ले हैं जो झांसी बिजली कम्पनी की रोशनी देने के शर्त के बाहर हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां।

सितम्बर, १९२६ में गोरखपुर म्युनिसिपैलिटी और केन्टोनमेंट में जितना हिस्सा शामिल था उसी के लिये लायसेंस दिया गया था, इसलिये म्युनिसिपैलिटी में जितना हिस्सा अब बढ़ गया है, वह बिजली कम्पनी के सप्लाई क्षेत्र के बाहर है।

अतारांकित प्रश्न

१-५--**रामनरेश शुक्ल**--[१८ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

लखनऊ नगर में विद्युत-कर-वृद्धि के विरुद्ध आन्दोलन के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास श्री मलखान सिंह ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है जो इस प्रकार है : लखनऊ मरचेंन्ट्स एसोसियेशन की कार्यसमिति ने बिजली की बढ़ी हुई दर से क्षुब्ध तथा परेशान होकर बिजली को कम खर्च करने की नीति से यह फैसला किया है कि आगामी २६ अप्रैल से ७ बजे सायंकाल के बाद शहर की दुकानें न खोली जायं। सरकार के कर बढ़ाने की नीति से चिन्तित व्यापारियों के इस फैसले से नागरिकों को परेशानी बढ़ जायगी। अतः इस विषय पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।

यह प्रस्ताव न तो बहुत महत्व का है और न निश्चित ही है कि २६ तारीख को वह इस तरह का फैसला कर ही बैठेंगे। और अगर वह इस प्रकार का फैसला कर भी लेते हैं तब भी उससे खतरा पैदा नहीं हो रहा है बल्कि बिजली कम खर्च करने से उनका तथा लोगों का रुपया बचेगा। तो इस हैसियत से कोई खतरा भी नहीं मालूम होता है। इस दृष्टि से मैं इसको अवैध करार देता हूं।

१९५४ का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २५ मार्च, सन् १९५४ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ मार्च, १९५४ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति ३० मार्च, १९५४ को प्राप्त हो गयी और वह १९५४ का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया।

साप्ताहिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूंछ-ताछ

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस हफ्ते का कार्यक्रम क्या रहेगा विशेष रूप से जब कि सरकार ने पहले ही आश्वासन दिया था पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट, इस्टीमेट कमेटी की तीनों रिपोर्टों और पब्लिक अकाउन्ट कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करना है तो यह आवश्यक है कि इस सप्ताह का कार्यक्रम हमको मालूम हो जाय।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--वह तो बातचीत करने के बाद तय करके कल या परसों तक बतला दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--इस सप्ताह का कार्यक्रम क्या रहेगा यह तो आप बतला सकते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--फिलहाल तो यही है और फिर आगे बात करके बतला दिया जायगा।

*कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५४
†खण्ड २ (क्रमागत)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं कल अपने संशोधन के स्पष्टीकरण में यह निवेदन कर रहा था कि खायकर को भी बेदखल किया जा सकता है। इसके सिलसिले में माननीय मंत्री जी ने कल खुद तीन तरीके बतलाये थे। पहला यह कि 'नान पेमेन्ट आफ रेन्ट आर फार अदर काज पेमेंट' न करने पर वह बेदखल हो जायगा। लेकिन 'आर फार अदर काज' के माने क्या हैं यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। दूसरा यह कि अगर वह खुद ही छोड़ देता है और लदावा किसी को लिख देता है। तीसरी बात यह है कि अगर ६ महीने से ज्यादा उस काश्तकार का कब्जा उस पर नहीं रहता है। हिस्सेदार उसको इस बात के लिये तैयार कर सकता है कि वह काबिज न रहे। यह तीन बातें ऐसी हैं कि जिनके जरिये से खायकर बेदखल हो सकता है।

इसके साथ-साथ पेज ८४ स्टाबिल्स मैनुअल में स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि :

"How far the latter have suffered by such acquisition of khudkasht, which must, in the great majority of cases, have been effected by unfair or illegal methods, is shown by the table given on page 11 of Mr. Goudge's report. He shows that in Almora between Mr. Beckett's settlement and his own the hissadars effected an entry and got khudkasht in 106 out of a total of 515 villages previously held wholly by khaikars. Some definite action is clearly needed to preserve the remaining rights of this unfortunate class, and still more is needed a series of clear rulings recognising and defining the just rights of these under-proprietors as a separate body."

तो इसमें स्पष्ट है कि ५१५ गांवों में से १०६ गांवों के खायकरों को बेदखल सा कर दिया गया। स्टाबिल्स मैनुअल में इस बात की जरूरत बतलाई गई है कि इस बदकिस्मत खायकर क्लास के लिये अधिकार रखना बड़ा ही आवश्यक था। अब भी अगर माननीय मंत्री जी इस बात को नहीं समझ पाये हैं तो इस विधेयक का भगवान् ही मालिक है कि इसका क्या नतीजा होगा।

माल मंत्री के संसचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नारायण दत्त जी की सारी दलील मिसकंसीव्ड है। अगर वह थोड़ी सी भी कानून से वाकफियत रखें तो उनको वह भ्रम नहीं हो जो अपनी दलीलों में उन्होंने पेश किया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि काश्तकार की जो परिभाषा इस विधेयक में दी गई है वह इस विधेयक के एरपजेज के लिये ही है। उनको शायद यह भ्रम है कि चूंकि खायकर और मौरूसीदार भी काश्तकार की परिभाषा में वहां के कानून में, टेहरी-गढ़वाल के कानून में पहले से हैं, तो वह समझते हैं कि इस परिभाषा से केवल सिरतान ही काश्तकार रहेगा, बाकी खायकर या मौरूसीदार काश्तकार की परिभाषा से निकल गये। यह काश्तकार की परिभाषा जिसमें सिरतान को कहा गया है कि वही काश्तकार है, यानी सिरतान भी काश्तकार में शामिल है लेकिन खायकर और मौरूसीदार काश्तकार में शामिल नहीं है वह केवल इस ऐक्ट के लिये है जिसका कोई असर दूसरे कानून पर नहीं पड़ेगा जहां तक कि काश्तकार की परिभाषा का सवाल है। जहां तक कि बेदखली का सवाल है टैनेंट्स एट विल केवल सिरतान ही हैं और सिरतान में हैं

---

* २५ मार्च, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।
† १९ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

तिहाड़ी और सर्विस टेन्योर, यानी काम के एवज में जिनको जमीन दी गई है वह भी सिरतान की परिभाषा में आते हैं। इसलिये सिरतान ही टेनैंट्स एट बिल हैं। खायकर या मौरूसीदार टेनैंट्स एट बिल नहीं हैं। अगर हिस्सेदार सिरतान को जबरदस्ती डिसपजस करदे तो सिरतान कोर्ट में जाकर अपने कब्जे की वापसी नहीं ले सकता है हालांकि मौरूसी ले सकता है। तो सिरतान और खायकर को एक कैटेगरी में रखना, ऐसी बात नहीं है। खायकर बेदखल होते हैं। जैसा कि कल माननीय मंत्री जी ने कहा था कि रेंट की बकाया में या रेंलिक्विश करने पर या अदर काजेज की वजह से, लेकिन ऐट बिल नहीं हैं। सिरतान को चूंकि एट बिल बेदखल किया जाता है, इसलिये उनको प्रोटैक्शन का सवाल है। चूंकि और भी कई संशोधन ऐसे हैं कि खायकर को सिरतान की परिभाषा में शामिल कर दिया जाय अतः मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि हमारी मंशा खायकरों को भी बचाने की है यह नहीं कि हम लोगों की मंशा उनको बचाने की नहीं लेकिन चूंकि हम इस संशोधन को सुपरफ्लुअस समझते हैं इस वजह से उसको मंजूर नहीं कर रहे हैं। यह नहीं है कि खायकरों को बेदखल कराने की हमारी मंशा हो। इसके आगे जो ५ नंबर का संशोधन है उसको सरकार मंजूर करना चाहती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। क्या जो संशोधन अभी पेश नहीं हुआ है उनका माननीय मंत्री जी जिक्र कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--अपना इरादा तो वे बता सकते हैं। मंत्री जी संशोधन का जिक्र न कीजिये अपना इरादा बता दीजिये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--चूंकि इसकी आवश्यकता नहीं है इसलिये इस मौजूदा ऐक्ट में खायकर को काश्तकार की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। वह सिरतान ही है जो बेदखल होता है। इसलिये मैं ख्याल करता हूं कि भवन इस संशोधन को मंजूर नहीं करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा कि इस विधेयक का खायकर से कोई संबंध नहीं है बल्कि सिरतान से है लेकिन बिल के शब्द "किन्तु इसके अन्तर्गत खायकर नहीं है" रखने की क्या आवश्यकता है। यदि इस परिभाषा से इन शब्दों को निकाल दिया जायगा तो मैं अपना संशोधन वापस लेने को तैयार हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--चूंकि इस बिल में काश्तकार की परिभाषा की गयी है इसलिये अगर ये शब्द नहीं रखे जायेंगे तो मौरूसी भी काश्तकार की परिभाषा में शामिल हो जायेंगे और उनको भी बेदखली का सवाल पैदा हो जायगा। इसलिये इन शब्दों को निकालना ठीक नहीं होगा क्योंकि यह इसीलिये रखे गये हैं कि काश्तकार और खायकर मिल न जायं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(ग) 'काश्तकार' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी क्षेत्रपति को किसी खाते या जोत के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष बन्धों के अधीन नक़द अथवा जिन्सी लगान देता है।"

स्पष्टीकरण--उपर्युक्त के अन्तर्गत सभी प्रकार के खायकर व सिरतान व टिहरी-गढ़वाल के असामी भी सम्मिलित हैं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(ग) 'काश्तकार' (tenant) के अन्तर्गत सिरतान, हर प्रकार के खायकर, तथा ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सन् १३५९ फसली में किसी भूमि पर कब्जा था।"

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का उद्देश्य है वह टेनेंट्स को कब्जे के एवजेवटमेंट से रोकने का है तथा दूसरी चीज यह है कि ऐक्शेटेन्शन हुआ है उस पर रकम लगाई जाय। जहां तक किसान का सम्बन्ध है कुमायूं डिवीजन के अन्दर चाहे गढ़वाल हो, नैनीताल हो, या अल्मोड़ा हो प्रत्येक जिले में किसान के जमीन पर तीन प्रकार के हक हैं। एक हिस्सेदारी के राइट्स, दूसरे खायकर और तीसरे सिरतान हैं। खायकर और सिरतानों की कई प्रकार की अलग-अलग किस्में हैं लेकिन जो खास हक हैं वह तीन भागों में ही विभाजित हैं। एक हिस्सेदारी यानी प्रोप्राइटरी राइट्स दूसरे खायकर टेनेंट्स और तीसरे सिरतान टिनेंट्स। और कुमायूं करटम्स के अन्दर अलग-अलग किस्म के खायकर हैं। एक पक्का खायकर है, एक प्रोप्राइटरी टिनेंट है और उसके साथ-साथ एक कच्चे खायकर का भी दर्जा है। ये खायकर ऐसे हैं जिनका जमीन पर अधिकार है और वे कुछ साल से चले आते हैं। उसके अलावा अल्मोड़ा व नैनीताल के अन्दर कोई बन्दोबस्त नहीं हुआ है। गढ़वाल के अन्दर प्रायः तीन बन्दोबस्त हुये और प्रत्येक बन्दोबस्त के अन्दर वे लोग रेकर्डेड हैं। वे लोग ठीक ढंग से रेकर्डेड हैं या नहीं, यह तो मैं बाद को बतलाऊंगा लेकिन इन तीन सेटलमेंट के अन्दर हर किस्म के खायकर अलग-अलग जगह पर रेकर्डेड हैं। इसके अलावा दो तीन किस्म के खायकर और हैं। एक तो वे हैं जो बाई वर्च आफ रजिस्ट्रेशन हैं, कुछ खायकर ऐसे हैं जो बाई एग्रीमेंट आफ़ सेटलमेंट हैं। जब गढ़वाल के अन्दर सेटलमेंट हुआ तो वहां के हिस्सेदारों ने टिनेंट और सिरतानों से कुछ पैसे लेकर इस किस्म का एग्रीमेंट साइन कर दिया। उसके बाद उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इससे प्रायः लिटिगेशन बढ़ता है और बहुत सी जगहों पर ऐसा है कि वास्तविक कब्जा तो किसी दूसरे आदमी का था और जो हिस्सेदार थे उन्होंने लाभ उठाने के लिये किसी दूसरे के नाम से एग्रीमेंट भर दिया। कब्जा उस आदमी के पास नहीं रहता है जिसके नाम पर एग्रीमेंट लिखा गया। लैंड रेकर्ड में कर्जा है, लेकिन जमीन पर न हिस्सेदार का कब्जा है, न उस खायकर का जिसके फेवर में एग्रीमेंट किया गया। इसके अलावा खायकर राइट्स बाई नयाबाद लैंड ग्रांट भी होते हैं। कई गांवों में खायकर ऐसे हैं जिनको नयी जमीन मिलती है तो उसके ऊपर वे खायकर के रूप में आते हैं। उसके बाद एक और भी राइट है, जैसे एक्सटेंशन बाई कल्टीवेशन। कुमायूं गढ़वाल के अन्दर इस किस्म की एडवर्स बातें भी हैं। अगर १२ वर्ष तक किसी मनुष्य का किसी स्थान पर, किसी जमीन पर कब्जा हो तो उस पर उसका राइट हो जाता है, लेकिन इसके होने पर भी खायकर को उससे अलाहदा कर दिया गया है। गढ़वाल के अन्दर खायकर का कब्जे के आधार पर ही नहीं बल्कि रेकार्ड के आधार पर कोई कब्जा नहीं है। इसलिये वे तो आटोमेटिकली रिजेक्ट हो जायेंगे। क्योंकि उन्हें कोई अधिकार ही नहीं है। अगर लैंड रेकर्ड के आधार पर चलें तो हम देखते हैं कि एग्रीमेंट किसी दूसरे के नाम है और रेकर्ड में दर्ज भी हो गया है लेकिन वास्तव में कब्जा किसी दूसरे का है। तो आगे चल कर जो बहुत से लिटीगेशन होने वाले हैं, इस विधेयक से हमारा परपज सर्व (प्रयोजन पूर्ण) हो जाता है। हिस्सेदारों के अन्दर भी टिनेंट की एक कटेगरी है और यह बात सही है कि गढ़वाल के अन्दर रेकर्ड है और कहीं-कहीं कुमायूं के अन्दर भी रेकर्ड है। हिस्सेदारों का कब्जा किसी भूमि पर होता है तो वे उसके पूरे मालिक हैं और वे किसी हालत में रिजेक्ट नहीं होते हैं। खायकर को पूरा अधिकार तो नहीं है, क्योंकि वह इजेक्ट भी हो सकता है। जैसे लैंड मैनुअल में दिया हुआ है कि चार किस्म के इजेक्टमेंट होते हैं। एक तो बाई नान-पेमेंट आफ रेंट रेवेन्यू होता है। लेकिन प्रायः गढ़वाल में या कुमायूं डिवीजन में नानपेमेंट आफ रेंट में बेदखली नहीं होती है और ऐसे केसेज भी वहां नहीं होते हैं कि लोग अपनी इच्छा से जमीन छोड़ देते हों, लेकिन सब से अधिक वहां ऐसे केसेज होते हैं कि अक्सर वहां लोग ६ महीने के लिये या इसके करीब समय के

[श्री गंगाधर मैठाणी]

लिये लोगों का कब्जा नहीं रहता है और उतने ही समय के अन्दर वह बेदखल हो जाते हैं। गढ़वाल में भी होटल का सा सिस्टम है कि वहां बाहर के आदमी जाते हैं तो वहां कुछ दिनों तक हिल प्राविजन स्कीम के अन्दर वह गल्ला खरीद सकते हैं। लेकिन बाद में उन को नौकरी वगैरह के लिये बाहर जाना पड़ता है, वह बाहर जाकर बाबूगीरी करते हैं या पलटन में जाकर काम करते हैं या और दूसरी तरह की सर्विसें करते हैं और उनमें से जो भी अगर कहीं खायकर होता है तो वह वहां से कुछ दिनों गैर हाजिर होने पर ही बेदखल हो जाता है । वह ३ साल के बाद जाता है, तो उसको जमीन पर दूसरा काबिज हो जाता है । कभी-कभी ऐसे भी केसेज होते हैं कि ६ महीने के बाद अगर वह चाहता है कि उसकी जमीन उसको मिल जाय तो मुकदमा करने पर भी उसकी ज़मीन उसको नहीं मिल पाती और वह उससे इजक्ट हो जाता है। इसलिये यह देखने की बात है कि हिस्सेदार की बात तो ठीक हो सकती है लेकिन जो दूसरे लोग हैं, खायकर और सिरतान, वह भी काश्तकार हैं और उनके भी लिमिटेड हकूक हैं। वह भी बेदखल हो सकते हैं। ऐसा न होना चाहिये और उन का संरक्षण कानून से होना चाहिये और इसी से तमाम वहां की समस्याओं का हल हो जायगा। देखना यह है कि वहां की परिस्थिति ऐसी है कि वहां के लोगों को बाहर जाना पड़ता है और इस तरह से अगर ६ मास बाहर रहने पर ही जमीन निकल जाती है और वापस आने पर उसको वह नहीं मिलती और दूसरों का कब्जा उस पर हो जाता है और अगर मिलेगी तो भी बहुत सा रुपया खर्च करना होगा, इस समस्या की ओर मंत्री जी का ध्यान अवश्य जाना चाहिये।

इसके अलावा चौथी बात यह भी है कि वहां कानून में फेल्योर आफ सक्सेशन भी है। अगर एक भाई के बाद दूसरा भाई क्लेम करता है तो उसको भी हक नहीं पहुंचता है, अगर कोई किसी को कोई एडाप्ट करता है, जो धर्म पुत्र है उसको भी जमीन नहीं मिलती है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें स्टावेल्स मैनुअल में देखने में आती हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह की हक की कमियों से खायकारों को भी बचाना चाहिये। किसी भी हालत में एडवर्स पजेशन १२ साल का होता है । इसी तरह से जिनका ३ साल का कब्जा हो यानी जो ५९ फसली से काबिज हों उनका कब्जा मान लिया जाय। और चीजें तो तब तय होंगी जब आगे आप बिल लावेंगे लेकिन फिलहाल उस व्यक्ति का कब्जा हो जायगा जो हिस्सेदार नहीं है और उनके अलावा और किसी तरह के काश्तकार हैं। इस तरह से उनको इजेक्टमेंट से रोका जा सकता है, और वह मुकदमेबाजी और अदालत से छुटकारा पा सकते हैं। वे बहुत गरीब लोग हैं। लेकिन हम यह चाहते हैं कि जिसके कब्जे में आज जैसा और जितनी जमीन है वही मान ली जाय जब तक कि पूरा बिल वहां के लिये वे न ले आवें। वहां की परिस्थिति को देखते हुये यह आवश्यक है। क्योंकि इससे लिटीगेशन नहीं होगा। इस समय यह समस्या नहीं है कि कितनी जमीन किसके पास होनी चाहिये, क्या हक होना चाहिये, कितना मालिकाना देना चाहिये, हिस्सेदार को या थोकदार, प्रधान को या मालगुजार लोगों को इस समय यह समस्या नहीं है। हमारे संशोधन में यह बात कही गयी है कि जिसका कब्जा जिस जमीन पर आज है उसको मान लिया जाय। अगर वह नहीं माना जाता है तब तक इस विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होता। माननीय राजस्व मंत्री जी एक उदार चरित्र के व्यक्ति हैं, और अध्ययनशील व्यक्ति भी हैं और हम मानते हैं कि उन्होंने पूरा अध्ययन इस टेनेंसी ला का किया है, लेकिन मैं यह कहता हूं कि हर सूरत में किसी तरह से भी हो, किसी का कब्जा किसी भूमि पर किसी भी तरह हो उस सूरत को तब तक के लिये मान लिया जाय जब तक कि पूरा विधेयक आप लाते हैं और उस वक्त तक उसका एजेक्टमेंट नहीं होना चाहिये। तीन वर्ष या ६ वर्ष का टाइम भी अगर आप मानने के लिये तैयार हों तो मैं उसको भी मानने के लिये तैयार हूं और एक अमेंडमेंट इस संबंध में आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। मुझे पूर्ण आशा है कि इस अमेंडमेंट के महत्व को देखते हुये मंत्री महोदय इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय अध्यक्ष महोदय, खंकरी हक कैसे-कैसे मिलते हैं, पक्का खंकर और कच्चा खंकर क्या है, यह सारी दलीलें मैं समझता हूं अप्रासंगिक हैं। खंकर चाहे कच्चा हो और चाहे पक्का अगर लगान न देने की वजह से बेदखली होने वाली है तो वह इस विधेयक में भी होगी। चाहे सिरतान ही हों, अगर लगान नहीं देंगे तो बेदखल होंगे, ट्रांसफर करने पर या सब लेटिंग करने पर इस विधेयक में रखा गया है। हालांकि खंकर पर जो रेस्ट्रिक्शन्स मारगेज और ट्रांसफर के हैं उसके लिये भी बेदखल हो सकते हैं, लेकिन यह कहना कि उनकी भी बेदखली रोकने की जरूरत है, मैं समझता नहीं कि माननीय सदस्य किस प्रसंग से यह बात कह रहे हैं। उन्होंने ६ महीने की जबरदस्ती बेदखली का हवाला दिया कि अगर कोई हिस्सेदार किसी खंकर को जबरदस्ती किसी जमीन से बेदखल कर दे और ६ महीने तक पजेशन न मिले, तो वह अपनी खंकरी खो देगा तो वह इसमें कैसे चस्पा होता है। जबरदस्ती बेदखल करने की बात तो इस ऐक्ट से संबंधित नहीं है। यहां तो जाब्ते से बेदखली रोकने की बात है। जबरदस्ती वाले मामले को इस कानून से रोका नहीं जा सकता और उसका इसलिये कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। जहां तक सक्सेशन की बात है, वह भी इस ऐक्ट के दायरे के अन्दर नहीं है। सक्सेशन डिटरमिन नहीं किया जा रहा है। खंकर के सक्सेशन्स में उनके लड़के किसी हद तक हो सकते हैं उनके लिये किसी शख्स की न्यू और विडोज तक हो सकती है, उनके लिये सक्सेशन्स हैरीटेबिल हैं, लेकिन सिरतान के लिये हेरीटेबिल राइट नहीं है। सिरतान टिनेंट ऐट विल है। आकूपेंसी राइट्स से वह बेदखल नहीं होते जैसे सिरतान बेदखल कर दिये जा सकते हैं तो यह कहना कि उनको भी बचाने की जरूरत है इस ऐक्ट में उनको बचाने का सवाल नहीं आता। सिरतान की तरह कानून के जरिये से उनकी बेदखली नहीं होती है, इसलिये यह प्रश्न नहीं पैदा होता है। इसे मैंने पहले भी साफ करने की कोशिश की है। जहां तक कब्जे का सवाल है सिरतान का कब्जा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिये चाहे वह ५९ में हो, ६० में हो या ६१ में हो। किसी हिस्सेदार ने अपनी जमीन काश्त करने के लिये दे दी हो, चाहे लिखे हुये कंट्रैक्ट से, चाहे जबानी वह सभी सिरतान हो सकते हैं। उन सब की बेदखली बन्द की जा रही है। इसलिये कोई भी सिरतान बेदखल नहीं होगा चाहे वह ५९ में हुआ हो, ६० में हुआ हो या ६१ में हुआ हो। यह कब्जे वैसे भी कायम रहेंगे और यह ऐक्ट मदद करेगा। इसलिये मैं नहीं समझता कि इस संशोधन की आवश्यकता कहां रह जाती है।

श्री अध्यक्ष---माननीय चन्द्रसिंह रावत का संशोधन इसी तरह का है, जैसा कि मैठाणी जी का है इसलिये आप संशोधन न पेश करें बल्कि उसी पर बोलें।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---जी, मैं संशोधन नहीं पेश करूंगा, इसी पर बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस सदन में पेश है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में संशोधन के विरोध में जो तर्क और आर्गूमेंट दिये हैं उनको इस सदन ने सुन लिया है। उनसे यह साफ जाहिर होता है कि वह खुद अपने दिमाग में इस बात को कभी महसूस करते हैं कि जब किसी एक टिनेंट की बेदखली को रोकने की व्यवस्था की जा रही है तो फिर फर्क क्या होता है। सिरतान टिनेंट की अगर बेदखली रोकी जाती है तो 'खायकर टिनेंट' के लिये वह कहते हैं कि अदालत में जा सकता है। मैं कहता हूं कि आप फर्क कर लीजिये, दलील दे दीजिये लेकिन क्या सिरतान के लिये अदालत बन्द है, क्या वह अदालत में नहीं जा सकता है ? कोर्ट की आप जो बात करते हैं वह तो हर किसी के लिये है। जिसका नाम आज सिरतान या खायकर किसी भी तरह से दर्ज नहीं है उसके लिये भी अदालत का दरवाजा खुला हुआ है।

अब रहा सवाल इनहरिटेंस का। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि मौरूसी सिरतान भी इनहेरिट करते हैं, उसमें भी कोई रुकावट नहीं, लेकिन सवाल यह है कि जो राइट्स

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

सिरतानी और खायकारी के हैं उनको आप ट्रांसफरेबिल करने जा रहे हैं या नहीं। जैसा कि मैं समझ पाया हूं, इस सरकार का इरादा यह है कि भविष्य में इन टिनैंट्स के जो राइट्स हैं वह उसी प्रकार ट्रांसफरेबिल होंगे जिस प्रकार से हिस्सेदारी लैंड और प्रोप्राइटरी लैंड के राइट ट्रांसफर किये जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपका जो तर्क है वह बुद्धिजीवी लोगों के सामने स्टैंड नहीं करता है। मैं यह नहीं समझता कि एक टिनैंट के लिये आप अदालत में बेदखली की मुमानियत करते हैं और एक के लिये आप अंदेशा पैदा कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि आप को कोई भी इस तरह का डिस्टिंक्शन नहीं पैदा करना चाहिये। कानून के मामले में और तर्क के मामले में हठधरमी से काम नहीं चलता है, क्योंकि जो रीजनिंग है वह माननी पड़ेगी, यह नियम सारी ह्यूमेनिटी के लिये कामन है। अमेरिका और रूस वालों को आज रीजनिंग से एक स्टैंड पर आना पड़ेगा। अगर वह नहीं आयेंगे तो यह दुनिया के लिये अहितकर होगा। जो रीजनिंग और तर्क को नहीं मानते हैं, मैं समझता हूं कि उस हठधर्मी से किसी भी मुल्क का काम नहीं चलने वाला है। तो जैसा मैंने पहले अर्ज किया माननीय मंत्री जी से, कि आप कानून बनालें, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि हम जो कमियां आपके सामने पेश कर रहे हैं उन्हें आप महसूस न करें तो जो रुपया इस पर खर्च किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि उसका सदुपयोग नहीं हो सकता है। और न तो हम उसको सदुपयोग कहने के लिये तैयार ही हैं। यह जिदबाजी नहीं है। मेरी ओर से भी जिदबाजी नहीं है। आप छोड़ दीजिये उनको, मुझे कोई इसकी ज्यादा फिक्र नहीं है। यह सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन रीजन को इस सदन में बुलन्द करना हर व्यक्ति का काम है। न माने सरकार मुझ को, इसकी परवाह नहीं। सारे यू० पी० का भार एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है। यह गवर्नमेंट का काम है। हम गवर्नमेंट को मदद देना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट ऐक्सेप्ट करे तो करे और अगर न करे तो हम उसमें कोई बेइज्जती नहीं फील करते हैं। हम रोज अदालतों में रीजनिंग पेश करते हैं और हम जानते हैं कि जो हमारे केस की स्ट्रेंथ है वह अदालत को रिएलाइज करनी पड़ेगी। उसी प्रकार हमारी रीजनिंग सरकार को आज नहीं तो कल रिएलाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम समझते हैं कि सरकार टेनेंट्स को कुछ न कुछ सुविधा देना चाहती है और बेदखली में रुकावट डालना चाहती है। तो इसमें क्या तर्क है कि अगर खायकर को बेदखल कर दिया तो वह अदालत में जा सकता है, मैं समझता हूं कि सिरतान भी अदालत में जा सकता है। जिन लोगों का नाम रिकार्ड में नहीं है वह भी जा सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह तर्क स्टैंड नहीं करता है। जो हमारी सलाह है उसको माननीय मंत्री जी को पीछे तो मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर वह जल्दी मान जायं तो अच्छा हो।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय राजस्व मंत्री जी का यह तर्क जो माननीय मैठाणी जी को वह दे रहे थे कि यह कानून तो उन लोगों की रक्षा के लिये है जिन का नाम कागज में है और जिन को डंडे के बल पर बेदखल किया जायगा या जिन का नाम कागज पर नहीं है उनकी रक्षा के लिये यह कानून है ही नहीं, यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह किसने कहा ?

श्री गेंदासिंह—जहां तक मैं समझा हूं माननीय सभासचिव जी का यही मतलब है। अगर दूसरा मतलब है तो वह मुझे समझा दें।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—ऐसे भी सिरतान हैं, जिनका नाम है और ऐसे भी सिरतान हैं जिनका नाम नहीं है।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार इसी बात पर जोर दे रहा हूं कि माननीय राजस्व मंत्री के पास कोई ऐसा रजिस्टर या भविष्यवाणी करने वाली कोई ऐसी चीज हो जिससे वह भविष्यवाणी कर दें कि फलां आदमी सिरतान है, फलां आदमी खायकर है, फलां आदमी हिस्सेदार है, तो यह दूसरी बात है और यह वही समझ सकते हैं, लेकिन सर्वसाधारण के लिये यह बात समझना संभव नहीं है। सर्वसाधारण के लिये संभव यही है जैसा कि माननीय हरगोविन्द पन्त जी ने कहा कि सन् १८७२ से वहां कोई बन्दोबस्त नहीं हुआ है और जब सन् ७२ से कोई बन्दोबस्त नहीं हुआ है तो कोई नाम ही नहीं है और जब कोई नाम ही नहीं है तो फिर सिरतान और खायकर का यह झगड़ा बड़ा मुश्किल है कि कौन सिरतान है और कौन खायकर है। संशोधन केवल यह साफ कर देता है कि चाहे कोई खायकर हो, चाहे कोई सिरतान हो, अगर किसी प्रकार उसने १३५९ फसली में जमीन पर अपना कब्जा रखा हो तो वह सभी काश्तकार की परिभाषा में आते हैं। इस संशोधन को स्वीकार कर लेने में मेरी समझ में कोई बात ऐसी नहीं आती है कि उससे कोई कठिनाई सरकार को बढ़ जाती है। केवल इतना हो जाता है कि जितने लोग जमीन के जोतने वाले हैं उतने लोग काश्तकार की परिभाषा में आ जाते हैं। सिर्फ वह बाकी रह जाते हैं जिनका नाम हिस्सेदार कहा जाता हो या जमींदार कहा जाता हो या कोई और नाम कहा जाता हो। फिर अगर एक ही परिभाषा में यह सब लोग आ जाते हैं जिनको सरकार बेदखली से बचाना चाहती है तो इसमें मुझे कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। अब कागज में नाम सिरतान करके, खायकर करके या किसी और तरह से काबिज सही नहीं है तो यह हमारी बदकिस्मती की बात है, क्योंकि मैं बार-बार इस पर दुहाई देता हूं, जोर देता हूं और इसके लिये मैं दरख्वास्त करता हूं कि यह कठिनाई हमारी इतनी बड़ी है कि जिस कठिनाई का हल यह विधेयक नहीं है। उसके लिये तो जैसा मैठाणी जी ने कहा, और भाइयों ने कहा और माननीय चन्द्र सिंह जी ने भी कहा कि उसका इलाज कुछ और था, लेकिन खैर, उस इलाज को माननीय मंत्री जी सोचेंगे और करने की कोशिश करेंगे। इस समय तो मैं केवल इसी पर अपने को कनफाइन कर रहा हूं कि वह काश्तकार की परिभाषा ऐसी रखें कि जिस तरह से कोई चाहे उसकी खींच-तान कर सके, इसकी गुंजायश इस विधेयक में न रहे। 'काश्तकार' बड़ा सुन्दर शब्द है। उसमें तो यह कहते कि वहां के लोकल सिस्टम के मुताबिक या वहां की स्थानीय दशा के अनुसार यह खायकर और सिरतान हम रख रहे हैं। जमींदारी विनाश अधिनियम जारी होने के पहले समूचे उत्तर प्रदेश में काश्तकार के बहुत से नाम जारी थे। अब उसमें से बहुत से नाम उड़ा दिये गये और केवल भूमिधर, सीरदार, अधिवासी और कुछ दिनों के लिये असामी, ये चार ही नाम रखे गये हैं। तो इस प्रकार से अगर वहां के कानून को समूचे प्रदेश के कानून के बराबर लाना है तो इस तरफ कदम बढ़ाने की हम कोशिश क्यों न करें? पहले हम इस परिभाषा में ही क्यों न आ जायं कि जो जमीन के जोतने वाले हैं उनकी किस्म तीन-चार प्रकार की जो हमारे उत्तरप्रदेश में रखी गई है उससे ज्यादा प्रकार के नाम हम नहीं रखेंगे। इस प्रकार एक काश्तकार हो जाता है और काश्तकार की परिभाषा में खायकर, सिरतान, कच्चे खायकर या सन् १३५९ फसली में जिसने जमीन पर कब्जा रखा हो, चाहे उसका नाम खायकर और सिरतान से अलग भी हो, ये सब आ जाते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी का कभी भी यह इरादा नहीं होगा कि १३५९ फसली में जिन लोगों ने जमीन कर कब्जा रखा है उनको इस कानून के जरिये निकाल दें। तो फिर कानून की कमी पूरी हो जाती है अगर १३५९ फसली की बात वह मान लेते हैं कि अगर १३५९ में उसका कब्जा था तो जबानी शहादत से या किसी तरीके से वह साबित कर दे तो बेदखली से बच जायगा। मैं इतना ही कह कर माननीय राजस्व मंत्री जी से इस पर विचार करने के लिये कहता हूं। इसके मान लेने से कोई कठिनाई नहीं बढ़ती है, बल्कि इससे उनका काम सरल हो जाता है और बहुत से लोगों की बचत हो जाती है।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो अमेंडमेंट मेरा दूसरा भी है, लेकिन खायकर के सम्बन्ध में यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि सवाल इस बात का है कि अगर खायकर के हेरीडिटरी राइट्स हैं और उसको बेदखली के खिलाफ कुछ रिड्रेस के लिये गुंजायश कानून में है तो सचमुच खायकर को काश्तकार की परिभाषा के अन्दर नहीं आना चाहिये। लेकिन अगर जितनी गुंजायश सिरतान को बेदखल करने की है और उससे भी अधिक गुंजायश खायकर को बेदखल करने की है तो इस बिल का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक खायकर भी ऐसी परिभाषा के अन्दर नहीं आता। श्रीमन्, जैसा कि अभी और सदस्यों ने कहा है, कुमायूं के अन्दर कच्चे और पक्के खायकरों की अलग अलग परिभाषा है। कच्चे खायकर का जहां तक ताल्लुक है वह अगर अपने भाई भतीजे या दूसरे वारिसों के साथ खाते में दर्ज नहीं है तो उसके निःसन्तान मर जाने पर वह जमीन लैंड होल्डर को वापस चली जायगी। यह सबसे बड़ी कमजोरी कच्चे खायकर में है और उस वक्त उसको लैंडलार्ड, जिसका वह खायकर है, बआसानी बेदखल कर सकता है और इतनी ज्यादा आसानी से बेदखल कर सकते हैं कि शायद सिरतान को भी उतनी आसानी से बेदखल नहीं कर सकते। टेहरी-गढ़वाल का जहां तक सम्बन्ध है, खायकर बेदखल करने के सम्बन्ध में अगर माननीय मंत्री भूमि सम्बन्धी नियम ६ (४) में देखें तो उसमें लिखा है--

"मृत खायकर का भाई या सपिंड वारिस (भाई, भतीजा आदि) केवल उसी दशा में अधिकारी होगा जब कि वह उस मृत खायकर के साथ उसके जीवित समय में अविभक्त कुल की रीति से उसके शरीक रहा हो।" इसका मतलब यह है कि अगर कोई खायकर निःसन्तान मर जाता है और उसके साथ उसका भाई या भतीजा अविभक्त कुल की रीति से नहीं रहता है तो लैंड होल्डर को पूरा हक है कि उसको जमीन से बेदखल कर दें। श्रीमन्, जहां कुमायूं के अन्तर्गत कच्चे खायकर को संजायन खाते में राहत है और वह बेदखली से बच सकता है वहां टेहरी-गढ़वाल में ऐसी गुंजायश नहीं है। अगर दो भाई एक ही खाते के अन्दर खायकर दर्ज हैं, संजायन खाते में और अलग-अलग खाते कमाते हैं तो एक भाई के निःसंतान मर जाने पर दूसरा भाई काबिज नहीं हो सकता है। ऐसी सूरत में मेरे कहने का मतलब यह है कि जब ऐसे खायकरों के बेदखल होने की पूरी गुंजायश है तो फिर माननीय मंत्री जी को क्या आपत्ति है कि टेनेन्ट्स की परिभाषा में उनको भी दर्ज कर लिया जाय। मेरी इल्तजा है कि जब उनके बेदखल होने की गुंजायश बनी हुई है, तो ऐसी कानूनी अड़चनों को दूर करने के विचार से उनको भी टिनेन्ट्स की परिभाषा में ले आना चाहिये। मेरा खयाल है कि इसको माननीय मंत्री जी अवश्य मान लेंगे।

*मुख्य मंत्री (श्री गोविंद वल्लभ पन्त)---अध्यक्ष महोदय, कुमायूं की जमीन की जो समस्या है और वहां का जो टैन्योर है, उसके बारे में विवरण देने का अवसर नहीं मिलता है और पहाड़ों की जमीन की व्यवस्था देश की जमीन की व्यवस्था के मुकाबले में भिन्न है। जहां तक इसके टैन्योर का ताल्लुक है। वहां खायकर का जो मसला है उसको भी साफतौर पर यहां पर शायद हर एक को देखने और उसके मुताल्लिक काम करने का मौका कभी नहीं मिला है।

मैं समझता हूं कि श्री गेंदासिंह जी तथा अन्य और भाइयों की जो इच्छा इस वक्त है, वह यह है कि जो इस ऐक्ट के जरिये लोगों को बेदखली से बचाने के लिये यह तरीका बरता जा रहा है उसका फायदा खायकरों को भी मिल जाय। इसी गरज

---

* वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से मैं समझता हूं कि वह इस संशोधन को करना चाहते हैं। यदि इसके जरिये फायदा हो तो मेरी समझ में खायकरों को जरूर वे सुभीते हासिल होने चाहिये, जो कि सिरतानों के लिये इस बिल के जरिये किये जा रहे हैं। मगर हम इस बात को हासिल करेंगे या नहीं, यह देखने की बात है। पहाड़ों में जैसा कि बतलाया गया है एक तो हिस्सेदार होता है, उसको जमींदार कहिये, गो कि जमींदार लफ्ज जो हमारे यहां काम में आता है, उससे और वहां के हिस्सेदार से काफी फर्क है। देश के गांवों में यदि किसी गांव में एक जमींदार है या दस जमींदार हैं जो, खेवट में हैं तो वे गांव की हद्द के अन्दर सारी जमीन के मालिक हैं, चाहे खेती हो या न हो, चाहे चरागाह हों या वीरान हो, वह सब जमीन का मालिक है। लेकिन पहाड़ों में ऐसा नहीं है। जो हिस्सेदार है वह सिर्फ उतनी ही जमीन का अधिकारी है जितनी कि उसके नाम में आ गई है। गांव में बहुत जमीन है मगर वह सब सरकार की जमीन मानी जाती है। जो मेजर्ड लैंड है, या असेस्ड लैंड है वही उसकी समझी जाती है, जिसके कि नाम में वह है। आमतौर पर ऐसी हिस्साकशी नहीं है, जैसी कि यहां पर खेवट में कोई पूरे सालिम मौजे का मालिक है या आठ आने, चार आने या दो आने का है, वहां ऐसा नहीं है। हर एक आदमी जितने रकबे का है उतने ही का मालिक है। उस रकबे में चाहे एक एकड़ हो, चाहे दो एकड़ हो, चाहे पांच एकड़ हो और उसमन में समझता हूं कि औसत जमीन किसी हिस्सेदार के पास ३ एकड़ से ज्यादा नहीं होती। इस तरीके पर वहां जो ढंग है बिलकुल एक दूसरा सा है। जैसा कि मैंने कहा खयाल रखने की बात यह है कि जितना हिस्सा किसी का दर्ज है वह हिस्सा नहीं है, बल्कि जितनी जमीन उसके नाम में है वह नम्बर हैं और उनका रकबा दिया हुआ है। एक उनको हिस्सेदार कहा जाता है। जमींदारी जो यहां टैन्योर है वह वहां उस ढंग का है ही नहीं, सिर्फ अपनी जमीन को बनाकर लोग काश्त करते हैं। जिन्होंने खेतों को बनाया है वह आमतौर से उसके हिस्सेदार कहे जाते हैं। अब और कोई दूसरी बातें हो सकती हैं। वहां कोई सालाना कागज नहीं बनते। वहां कोई रेकार्ड्स का रिवीजन नहीं होता। वहां मुद्दतें हुई तब कागज बने थे। गढ़वाल में एक नेग्रेल पा का बन्दोबस्त कहा जाता है, उसमें कुछ तरमीम हुई। अल्मोड़े में एक हिटिल साहब का बन्दोबस्त हुआ था, ८० वर्ष हुए होंगे, वह वहां हुआ था और बू साहब के जमाने में नैनीताल में रिवीजन हुआ। तब से वह कागज है। न तो वहां सालाना खसरा बनता है, न खतौनी बनती है, बल्कि खेवट में आम तौर से जिसे फांट कहते हैं, उसमें जमीन का किसका कितना रकबा है वह दर्ज रहता है। इस तरह का वहां टैन्योर है और यह वहां की हालत है।

जो सेटिलमेंट न होने की बात है, वह सही है। जो मालगुजारी सरकार को मिलती है वह थोड़ी है और अगर सेटिलमेंट पूरे तरीके पर वहां किया जाय तो उसमें करीब ३०–४० लाख रुपया खर्च होते हैं और नतीजा उसका बहुत कम है। इसलिए, चूंकि लोगों में कुछ ज्यादा झगड़े नहीं होते, काम किसी तरह से चलता रहता है, इसलिये सोचा गया कि इतना रुपया खर्च करना इस बात में ठीक नहीं है, इसलिये सेटिलमेंट नहीं हुआ। नहीं तो कागजात की दुरुस्ती के लिए वह जरूरी है।

अब खैकर और सिरतान का सवाल आता है। सिरतान अब दो किस्म के होते हैं और खैकर भी दो किस्म के होते हैं। एक तो पक्का खैकर होता है और एक कच्चा खैकर होता है। पक्का खैकर जो गांव है उसमें हिस्सेदार किसी को बेदखल कभी भी नहीं कर सकते। अगर कोई खैकर पक्के खैकरी गांव में बिना औलाद या बिना वारिस के मर जाय तो जो दूसरे पक्के खैकर हैं उनको हक पहुंचता है, यानी एक ऐसी प्रोप्राइटरी बाडी वहां है जो नाम से खैकर कहलाती है, लेकिन हिस्सेदार वहां से सिर्फ थोड़ा सा १०–१५ रुपया साल में पाता है। उसको वहां

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

कोई हक नहीं है कि अपनी काश्त कर सके या वहां लगान में किसी को एक हब्बा भर जमीन ले सके। जो वहां की पक्का खैकरी बाडी है, वह हिस्सेदार से भी ज्यादा हक रखती है और वह पक्के मालिक हैं, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप खैकर को इसमें डालें तो इसके मानी यह होते हैं कि जो इस कानून में ऐसी शर्तें रखी हुई हैं जिनमें टिनेंट बेदखल हो सकता है तो उनके साथ वह भी बेदखल हो सकते हैं। वह आज नहीं हो सकते। आपके इस लफ्ज "टिनेंट" को वसीय कर देने से उन पर भी यह जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर इस कानून को इन शर्तों के खिलाफ कोई बात हो तो वह भी बेदखली हो जाय। मान लीजिये कि एक साल का लगान बाकी है उसका। क्योंकि सारी खैकर बाडी लगान देती है और वह अपना लगान वसूल कर सकता है, लेकिन बेदखल नहीं कर सकता। पक्के खैकरी गांव में किसी हिस्सेदार को हक नहीं है कि इन्डिविज्वली किसी को बेदखल कर सके। आप "खैकर" लफ्ज लाकर हिस्सेदारों को वह हक देते हैं जो कि उनको नहीं है और इसलिये उससे फायदा नहीं हो सकता। अगर इससे यह गरज हो कि बेदखली न हो और अगर जितनी चीजें कानून में हैं बेदखली के काबिल बनाने के लिये अगर उनको पूरी जानकारी हो तो हरगिज गैंदा सिंह जो इसको पसन्द नहीं करेंगे और वह महसूस करेंगे कि इससे हरगिज फायदा नहीं होगा। कच्चे खैकर वह लोग होते हैं, उनके भी राइट्स आकुपेंसी टेनेंट्स से ज्यादा होते हैं। थोड़ी जमीन होती है मगर जरूरत के वक्त वह सब-लेट कर सकते हैं। इसमें यह प्राविजन है कि अगर कोई थोड़ा भी सबलेट करे तो वह बेदखल हो जाय। वहां एक एकड़ वाले आदमी हैं, मामूली हरिजन हैं, उनको जरूरत होती है कि वह अपनी जमीन सबलेट करें तो कर सकते हैं। उससे उसके ऊपर खायकर के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है। आइन्दा कानून क्या बनेगा यह दूसरी बात है। इसमें यह है कि अगर सबलेट कोई करे तो वह बेदखल हो जायगा। गरज यह है कि खायकर को इस टेनेंट लब्ज के अन्दर लाकर उसके हकूक को छीनना है जो कि वह आज रखता है और उसको बेदखल करने के लायक बनाना है जो कि हरगिज मंशा नहीं है और इसके बारे में मैं समझता हूं कि कोई शुबहा नहीं होना चाहिए कि जो हकूक आज सिरतान को इस कानून के जरिये दिये जा रहे हैं उससे ज्यादा हकूक हर खायकर के मौजूद हैं। तो हम खायकर को इस जगह लाकर, उसका स्तर इतना नीचे गिराकर कि जो सिरतान के लिए कानून होगा वही उसके लिए भी होगा, उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका नुकसान कर रहे हैं, उसको जो कि बेदखल नहीं हो सकता, बेदखल करने के लायक बना रहे हैं। इसलिये इससे कोई फायदा नहीं। सिरतानों की तादाद वहां पर छोटी नहीं है। सिरतान कई तरह के हैं। एक तो मौरूसी सिरतान हैं, उनको आज भी कानून से अलग करना आसान नहीं है लेकिन और भी सिरतान हैं जो कि गैर मौरूसी हैं उनको जमींदार लोग ऐसा करते थे कि जबर्दस्ती अलग कर सकते थे, जिसको चाहे अलग कर देते थे। तो इससे जो सिरतान वहां थे उनके लिए एक्जीक्यूटिव आर्डर्स यहां से जारी किये गये थे कि सिरतानों को बेदखल न किया जाय और कोई डिग्री न दें। इसी तरह से वहां आज चार पांच साल से काम हो रहा है। हाल में कमिश्नर के पास एक अपील की गई तो उन्होंने यह आर्डर दिया कि यह जो आर्डर गवर्नमेंट का है, शिड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट तो अब लागू नहीं है, लिहाजा जब तक कानून न बने तब तक हुक्म के जरिये से गवर्नमेंट इसे रोक नहीं सकती है। इसलिये इस कानून को यहां लाने की जरूरत हुई। ऐसी हालत में आपने शहरी के ऐक्ट के बारे में कोई बात कही। उसके कारण अगर कोई बदलाव करना हो तो वह इसमें नहीं करना होगा। दूसरी जगह किया जा सकता है। इसलिये इस किस्म के चेंज करने से कोई फायदा नहीं हो सकता है। इस बात से हम सब इत्तफाक करते हैं और मानते हैं कि अगर सिरतान बेदखल नहीं हो सकता तो सिरतान

से ज्यादा हक खायकर के हैं, वह हरगिज बेदखल नहीं होना चाहिए। इसीलिए कोई जरूरत इस तरमीम को नहीं रहती बल्कि इससे दिक्कत बढ़ती है कि उनका स्टेट्स गिरता है। हम खायकर की हालत को गिराना नहीं चाहते, जो कि आज इतनी मजबूत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, एक ही बात जानना चाहता था कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह समझते हैं कि सिरतानों और खायकरों के बेदखली के सम्बन्ध में एक से ही अधिकार होने चाहिए ?

श्री गोविंद वल्लभ पन्त--मैं समझता हूं कि खायकरों की बेदखली इतनी आसान नहीं होनी चाहिए जितनी कि सिरतानों की है। सिरतानों को जिन वजहों से बेदखल किया जा सके उन वजूहात से खायकरों को बेदखल किया जा सके यह नहीं होना चाहिये। खायकर के हकूक ज्यादा हैं सबलेट करने के। सिरतान बेदखल हो सकते हैं, क्योंकि सिरतान का तो एक चन्द रोजा दखल होता है। मगर खायकर बेदखल नहीं हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि खायकर के जो हकूक हैं वह बने रहें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो परिभाषा पक्के खायकर और कच्चे खायकर की दी उससे कुछ तो सफाई हो गई। पर फिर भी जो कच्चे खायकर हैं, मान लीजिये एक बुड्ढा कच्चा खायकर है, वह अपनी जमीन को किसी दूसरे आदमी को दे देता है कि वह खेती करे। उसको सिरतान बना देता है और दूसरा जो उसी गांव का कच्चा खायकर है, जिस खायकर ने उस जमीन को दूसरे खायकर को दिया है वह जब मर जाता है तब वह जमीन हिस्सेदार को वापस चली जाती है। अगर वह खायकर जो उस जमीन पर काबिज है सिरतान की हैसियत से है। तो यह खायकर उसी जमीन पर काबिज है, इस आदमी के मरने के समय जो खायकर सिरतानी पर काम कर रहा है वह बेदखल कर दिया जायगा या नहीं ? अगर वह बेदखल किया जाता है तो इस कानून के जरिये उसको भी किसी तरह की सहायता मिल सकती है या नहीं ? अगर मिल सकती है तो कोई प्रश्न नहीं है। अगर नहीं मिल सकती है इस कानून के जरिये और वह बहुत दिनों से जमीन को कमा रहा है तो फिर शब्द खायकर को वहां पर दर्ज कर दिया जाय। इसको जरूर माननीय मुख्य मंत्री जी समझा देंगे।

श्री गोविंद वल्लभ पन्त--उसको मदद नहीं मिलती है इस कानून के जरिये। क्योंकि इस कानून के जरिये, जिसको सबलेट किया जाता है वह बेदखल हो जाता है। सबलेटिंग एक कारण है बेदखल करने का। खायकर छोटे खायकर को या दूसरे सिरतान को तो सबलेट कर सकता है। इस सिलसिले में वह रोक नहीं सकता है। अगर इस कानून में उसके खिलाफ कुछ नहीं पड़ता। इस कानून में आप रोक भी दें तब भी वह बेदखल हो जायगा, क्योंकि सबलेट किया है जिससे कि वह बेदखल हो जाता है। मैं खायकर के हुकूक को सिरतान से ज्यादा चाहता हूं। जिन बातों में सिरतान बेदखल न हो उनमें खायकर हो, यह हर तरह से गलत बात होगी। खायकर की बेदखली नहीं होनी चाहिये।

श्री गेंदासिंह--अध्यक्ष महोदय, जो कुछ परिभाषा खायकर की माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतायी उससे तो हमारा काफी भ्रम दूर हुआ। लेकिन एक बात इस संशोधन में लिखी हुई है जिसकी तरफ शायद माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान नहीं गया और वह यह है कि जिन लोगों का कब्जा १३५९ फसली में था उनको भी काश्तकार माना जाय। खायकर लफ्ज इसमें न आये। 'खायकर' को काश्तकार न

[श्री गेंदासिंह]

किया जाय, जैसी कि उनकी इच्छा है, खायकर की हैसियत सिरतान से अच्छी समझते हैं तो उसमें हम को कोई आपत्ति नहीं और इसे मैठाणी जी भी स्वीकार करेंगे। लेकिन यह मान लिया गया है कि लोगों का नाम नहीं लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ है और कब्जा उनका है तो १३५९ फसली में जिनका कब्जा जमीन पर हो उनको चाहे सिरतान समझा जाय या जो कुछ समझा जाय, काश्तकार की परिभाषा में मान लिया जाय। अगर उनकी बेदखली का समय आयेगा तो वे बच जायंगे। इतनी बात पर अगर माननीय मुख्य मंत्री जी विचार कर लें तो अच्छा होगा।

श्री गोविंद वल्लभ पन्त---मैं तो कहता हूं कि १३५९ फसली में भी अगर उसका कब्जा हो तो वह फिर भी बेदखल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जो भी आदमी सिरतान है उसको साबित किया जा सकता है कि १३५९ फसली में, १३५८ फसली में या १३५७ फसली में वह काबिज था जब कि कोई कागजात में इन्दराज नहीं है। यह तो कचहरी की बात है। आप कोई सन् रख कर दूसरे को मौका दें कि यह १३५९ फसली में नहीं था, १३६० में आया। इससे फायदा नहीं है। कोई भी आदमी काबिज हो, बशर्ते कि टिनेंट हो, आज भी आये, कल भी आया है तो बेदखल नहीं हो सकता है। ऐसी हालत में उसको डाल कर उसको फायदा नहीं पहुंचता है। अगर काश्तकार को फायदा पहुंच सके तो कोई उज्र नहीं है। लेकिन अगर आप वहां की हालत को देखें तो किसी के पास कोई कागज है नहीं कि किस सन् से काबिज है। ऐसी हालत में अगर कोई सन् रखते हैं तो आप हिस्सेदार को एक ऐसा बहाना दे देते हैं कि वह कह दे कि उस सन् में नहीं था। दूसरे के पास कोई सबूत नहीं कि उस सन् में था। उससे कोई फायदा नहीं।

श्री गंगाधर मैठाणी---अध्यक्ष महोदय, जो इस विधेयक का उद्देश्य है, जैसा कि इसके उद्देश्य और कारण में कहा गया है कि आइन्दा एक नया बिल राजस्व मंत्री लाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति का स्टेटस आगे के लिए निर्धारित किया जायगा, यहां पर चूंकि कुमायूं के कमिश्नर महोदय ने एक जजमेंट दिया है और उसके द्वारा वहां पर सिरतानों की बेदखलियां शुरू हो गयीं जैसा कि कल भी माननीय राजस्व मंत्री जी ने यहां बताया है। टेहरी के बारे में भी बहुत सी बातें कही गई हैं। अलग-अलग जिलों के अन्दर, अलग-अलग जिलों के अन्दर ही नहीं बल्कि अलग अलग गांव के अन्दर अलग अलग कस्टमरी लाज हैं और अलग-अलग तरीके से वे चलते हैं। जब बड़ा विधेयक यहां पर आयेगा तो इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का स्टेटस रिकगनाइज कर लिया जायगा जो कि आज नहीं किया जा रहा है। आज तो केवल यह किया जा रहा है कि लोगों की बेदखली को रोका जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा टेहरी गढ़वाल की जो टेनेन्सी है उस पर तो असर होता है, लेकिन केवल इससे ही समस्या हल नहीं हो सकती। आज समस्या यह है कि टेनेन्सी किस प्रकार की हो। आगे के विधेयक में यह सब सेटिल किया जायगा लेकिन आज तो इस विधेयक के जरिये सिर्फ यह करना है कि बेदखलियां न होने पायें। एक तरह से यह टेम्पररी इंजक्शन है ताकि जो भूमि पर काबिज है वह बेदखल न हो सके। इसी उद्देश्य से यह संशोधन पेश किया गया है। अगर इसमें भी कुछ संशोधन करके आप इसे पास करना चाहें तो इसमें मुझे कोई आपत्ति न होगी।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण के बाद कुछ कहना बिलकुल ही शेष नहीं रह जाता। केवल एक बात कहनी है और वह यह कि माननीय चन्द्र सिंह रावत जी ने कहा कि सिरतान आज भी बेदखल हो जाय तो दावा कर सकता है। यह बात गलत है। वहां के नियम यह हैं कि सिरतान अगर जबरदस्ती बेदखल हो जाय तो उस बेचारे के लिये कानून में कोई इलाज नहीं है। खायकर के लिये तो इलाज था

कि छः महीने के अन्दर वह अदालत में चला जाय और ६ महीने से ज्यादा हो जायं तो उसका हक़ खत्म हो जाता है लेकिन सिरतान के लिये यह नहीं था। इस विधेयक के द्वारा सिरतान को भी रेमेडी मिल रही है। स्टोवेल मैनुअल के सफा १०० पर लिखा हुआ है—

"The later rulings are that a sirtan tenant when summarily ejected by the landlord without legal process cannot recover possession ; he can only use for compensation, for improvements or for illegal ejectment."

लेकिन जो विधेयक पेश है उसके क्लाज ५ को आप देखें—

"Whenever a person is convicted of an offence of criminal trespass in respect of a land in the possessisn of a tenant and it appears to the court that the tenant has been dispossessed thereby of the land, the court may, if it thinks fit, when convicting such person or at any time within two months from the date of the conviction order the tenant dispossessed to be restored to the possession of the same."

इसमें अगर किसी सिरतान को ४४१ ताजीरात हिन्द के मातहत सजा हो जाती है और वह जबरदस्ती निकाल दिया जाता है तो अदालत हुक्म दे सकती है कि उसको दो महीने के अन्दर कब्जा वापस दे दिया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि अब क्या पेचीदगी रह जाती है? मैं समझता हूं कि अब शायद माननीय गंगाधर मैठाणी जी भी अपने संशोधन की जरूरत न समझते होंगे।

श्री गंगाधर मैठाणी—मेरा जो उद्देश्य है वह माननीय राजस्व मंत्री जी को विदित हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री सत्यसिंह राणा—मेरे इस संशोधन में जो खायकर है उसको तो पेश नहीं करूंगा, लेकिन जो बाकी का हिस्सा है उसे पेश करना चाहता हूं।

खंड २ के उपखंड (ग) की पंक्ति १ से शब्द "सिरतान है" के पश्चात् "किन्तु इसके अन्तर्गत खायकर नहीं है" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "तथा खिदमत की एवज भूमि कमाने वाले अधेलिया और तिहाड़िया जो लगातार ६ साल या उससे अधिक अवधि से भूमि पर काबिज है" रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा मकसद इस अमेंडमेंट को लाने का इसलिये है कि सिरतान और ऐसे असामी जिनका इस संशोधन में जिक्र किया गया है उनमें आपस में मौलिक बहुत अन्तर है। क्योंकि ज्यादातर इसका ताल्लुक टिहरी गढ़वाल टेनेन्ट्स से है।

श्री अध्यक्ष—आप संशोधन पेश कीजिये।

श्री सत्यसिंह राणा—मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि, खंड २ के उपखंड (ग) की पंक्ति १ में शब्द "सिरतान" के पश्चात् "किन्तु इसके अन्तर्गत खायकर नहीं है" शब्द निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "तथा खिदमत की एवज भूमि कमाने वाले, अधेड़िया और तिहाड़िया जो लगातार ६ साल या उससे अधिक अवधि से भूमि पर काबिज है" रख दिये जायं।

श्रीमन्, टेहरी-गढ़वाल की टेनेन्सी के अन्तर्गत टेनेन्ट तीन प्रकार के होते हैं। पहली किस्म के मौरूसीदार जिसकी हिस्सेदार सरकार है। दूसरे किस्म के सिरतान खायकर होते हैं और तीसरी किस्म के सिरतान होते हैं। सिरतान की परिभाषा हमने टेनेन्सी ऐक्ट में दी गयी है। अगर खींचतान करके उसका इन्टरप्रिटेशन किया जाय तो जमींदार

[श्री सत्यसिंह राणा]

ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसके अन्दर सब किस्म के असामी आजाते हैं जिनके पास भूमि है। अगर सिरतान की परिभाषा को इस प्रकार व्यापक माना जाय तो उसके अन्तर्गत अधेलिया, तिहाड़िया और खिदमत भूमि कमाने वाले आ सकते हैं किन्तु जहां तक इसकी स्ट्रक्चर सन्स का संबंध है जो टेहरी काश्तकारों को अधिकारों में मिला गया है और जहां तक इसका इन्टरप्रिटेशन सैटिलमेंट में हुआ है, वह बिल्कुल भिन्न है। इसलिये इस स्थिति को इस सदन के सामने स्पष्ट कर देना मैं अपना फर्ज समझता हूं। लेकिन, आज वहां पर जितने ऐसे असामी हैं, आज से ४० साल पहले जब सैटिलमेंट हुआ था उस समय उनको सिरतान दर्ज कर दिया गया था। फिर आज से ५, ७ साल पहले जो सैटलमेंट हुआ उसमें भी सिरतानी की इन्दारजी हुई।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सत्यसिंह राणा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सिरतान और दीगर असामी जिनको अधेलिया और तिहाड़िया कहते हैं जो खिदमत के एवज में भूमि कमाने वाले कहा जाता है, उनमें कानूनी दृष्टिकोण से बहुत अन्तर है। टेहरी काश्तकारी टिनेंसी के अन्तर्गत सिरतान उनको कहा जा सकता है जो लोग लैंडहोल्डर को कुछ पैसे के एवज में कोई नियत लगान देते हैं। अगर सिरतान इस तरह से रकम देते हुये उस जमीन पर १२ साल तक काबिज रहता है तो उसे खायकर के हकूक प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन दूसरी असामियों को अधेलिया, तिहाड़िया या खिदमत करने वाले को चाहे १०० साल तक के कब्जा रहे लेकिन उनका उस पर कोई हक व कब्जा नहीं होता और अगर उनको बेदखल किया जाय तो कोई कोर्ट उनको जमीन वापस नहीं दिला सकती। तो सिरतान और इन आसामियों में काफी अन्तर है। सिरतान के लिये यह आवश्यक है कि वह उस जमीन के बदले में रेन्ट दे चाहे कैश में या काइन्ड में। लेकिन इन आसामियों से कोई रेन्ट नहीं लिया जाता है। कोई क्षेत्र वाला अपने आसामी को जमीन दे देता है और उससे यह कहता है कि तुम इस जमीन को जोतो, उसमें फसल पैदा करो और एक-तिहाई या आधा तुम रख लो और बाकी हमको दे दो। तो जो हिस्सा इस तरह से खेती करने वाले को मिलता है वह एक किस्म की मजदूरी है, न कि रेंट। इसलिये इन दोनों में बहुत फर्क हो गया है और इनका दोनों का इस काश्तकार की परिभाषा में आना बहुत जरूरी है। ज्यादातर ऐसे आसामी टेहरी के अन्दर हैं। जो लोग सिरतान हैं वे रिकार्ड में दर्ज हो चुके हैं। अगर यह तबका अलहदा छोड़ दिया जाता है तो इस बिल को लाने का मकसद पूरा नहीं होता। दूसरा पहलू इसका यह है कि बहुत सारे जो लैंड होल्डर्स हैं, मौरूसीदार हैं जिनके पास बहुत जमीन नहीं है, जमीन से उनका पूरा गुजारा नहीं हो सकता। वे सीजनल नौकरी में चले जाते हैं या थोड़े अरसे के लिये बाहर चले जाते हैं। इस वजह से वे अपनी जमीनें अधेलिये और तिहाड़ियों के कब्जे में छोड़ देते हैं और उनके साथ शर्त यह होती है कि जब वे घर वापस आयें तो उनको वापस ले लें और ऐसे लोग अपनी मजदूरी के रूप में आधा या तिहाई से लेते हैं और बाकी उनको दे देते हैं। उन लोगों को भी टिनेंट्स की परिभाषा में आ जाना चाहिये क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो ये लोग जो काफी तादाद में हैं वे सब बेदखल हो जायेंगे और उनको कोई फायदा नहीं पहुंच पायेगा। किन्तु मैंने अपने अमेंडमेंट के अन्दर एक रिजर्व रख दी है कि जो अधेलिया और तिहाड़िया या खिदमतगार भूमि कमाने वाले हैं ऐसी सूरत में टिनेंट्स माने लिये जायं जब कि उनका कब्जा ६ साल से अधिक हो। सरकार की मंशा इस बिल को लाने से यह है कि भूमि-हीनों को भूमि मिले। टिहरी के कानून के अनुसार भी खायकर को लैंडलार्ड को जमीन देने का कानूनी अधिकार ५ साल से ज्यादा का नहीं है। इसलिये मेरे अमेंडमेंट से लोगों को एक तरफ तो राहत मिल जायगी और दूसरी तरफ उन लोगों की जमीन बच जायगी जो सिर्फ "थोड़े अरसे" से खाने कमाने के लिये चले गये हैं। फल माननीय मंत्री जी ने बतलाया और सही बतलाया कि ऐसे मौरूसीदार बहुत ही कम हैं जिनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन है और अगर ऐसे मौरूसीदार

है भी तो उनकी जमीन अथेड़ियों और तिहाड़ियों पर बहुत अरसे से हैं या ऐसे लोग हैं जिनके खाने कमाने के और जरिये हैं वे जमीन को छोड़े हुये हैं। उनके ऊपर ६ साल से कम का प्रश्न उठता ही नहीं। ६ साल की अवधि से वे लोग बच जायेंगे तो टैम्पोरेरीली सर्विस के लिये जाते हैं। उनको इससे राहत मिल जायगी। मेरी मंशा उन्हीं लोगों को राहत दिलाने की है जिनका कब्जा दो-२ साल से हो नहीं है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो ऐसे मौकेदार हैं वे बेदखल हो जायेंगे और जिस राहत को सरकार देना चाहती है उसका असर उलटा होगा यानी बेदखली बढ़ेगी तो एक बवाल खड़ा हो जायगी। इसलिये मेरा विचार है कि माननीय मंत्री जी इनके ऊपर विचार करके यह आवश्यक समझेंगे कि अथेलिया और तिहाड़िया का इसके अन्दर आना बहुत आवश्यक है और इसके अन्दर अवधि का रखा जाना भी बहुत जरूरी है ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आगे चलकर इस बिल के खंड ४ में कुछ सिरतानों को या कुछ टिनेंट्स को यह शक्तियां दिया गया है कि वे अपनी भूमि को शिकमी पर दे सकते हैं। जब कि सिरतान जो कि विधवा हैं, माइनर हैं या जो सैनिक सेवा में या और कहीं नौकरी करने के लिये बाहर चले जाते हैं वे अपनी जमीन को शिकमी पट्टे पर दे सकते हैं, तो यह उचित नहीं मालूम होता कि मौरूसीदार या खासकर जिन्होंने एक दो साल के लिये अपनी जमीन को पट्टे पर दे दिया वे अपनी जमीन पाने से महरूम रहें। इसलिये मैं चाहता हूं कि इनको भी इस परिभाषा के अन्दर आना चाहिये। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरी इल्तिजा है कि वे मेरे संशोधन को मानने की कृपा करें।

श्री द्वारकाप्रसाद सौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो फिर जो अथेड़िया या तिहाड़िया हैं या जो सर्विस करने वाले हैं, अगर ६ वर्ष तक उनका कब्जा न रह सका तो फिर वे बेचारे बेदखल हो जायेंगे। और वैसे उनको काश्तकारों की परिभाषा में शामिल करके जाहिरा ऐसा लगता है कि मानो उनके साथ आप बड़ी भारी रियायत कर रहे हैं। अभी उनको हम लोग कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहे थे, चुनान्चे आप उनको काश्तकारों की परिभाषा में जोड़ कर मानो उनके ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। अथेलिया, तिहाड़िया और सिदकास्त एवज भूमि कमाने वाले के साथ आप एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर उनका कब्जा ६ वर्ष से एक दिन भी कम रहेगा तो वे बेचारे बेदखल हो जायेंगे। ऐसा इस संशोधन का मंशा मालूम होता है। वैसे हम प्रोटेक्शन सब को देना चाहते हैं। अथेलिया, तिहाड़िया व सिदकास्त एवज भूमि कमाने वाले का एक साल के लिये भी कब्जा होगा तो वे सिरतानों की परिभाषा में आते हैं। हम तो उनको बेदखली से बचाना चाहते हैं। आप उनको प्रोटेक्शन नहीं देना चाहते हैं। इसलिये हम इसका विरोध करते हैं और मुझे आशा है कि सदन इसको स्वीकार नहीं करेगा।

श्री सत्यसिंह राणा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि माननीय सचिव ने मुझे ठीक तरह से नहीं समझा। जबकि माननीय मंत्री जो खुद मानते हैं कि ऐसे लैंड होल्डर्स बहुत कम हैं जिनके पास एक दो या तीन एकड़ जमीन है तो इस किस्म का ख्याल करना कि मेरा मंशा उनको हानि पहुंचाने का है वह बिलकुल गलत है। मेरा तो कंटेंशन यह है कि आमतौर पर सिरतान लोग जो टेहरी में हैं, अभी हाल ही में वहां बन्दोबस्त हुआ तो उसमें उनका नाम है। छोटे-छोटे क्षेत्रपति जो होते हैं वे अपनी एक नाली, दो नाली या दस नाली जमीन किसी व्यक्ति को खेती करने के लिये देकर बाहर टेम्पोरेरी तौर पर नौकरी करने के लिये चले जाते हैं। चूंकि वे अपना पेट भरने के लिये दूसरी जगह नौकरी के लिये चले जाते हैं, चाहे वे वहां पर जमीन जोतने की ही नौकरी क्यों न करते हों, तो जब वे नौकरी से लौट कर आवें एक साल या दो साल के बाद तो उस भूमि से वे महरूम न हों। जैसा कि माननीय नरेन्द्रसिंह बिष्ट ने ३० एकड़ तक जमीन रखने की बात कही या जैसा कि हरगोविन्द जी पंत ने १०-१५ एकड़ जमीन की बात कही वैसी बात वहां नहीं है। टेहरी में ४,५०० वर्गमील क्षेत्रफल में केवल २५० वर्गमील ही भूमि खेती के लिये है। इस तरह से किसी के

[श्री सत्यसिंह राणा]

पास एक नाली, किसी के पास दो नाली या किसी के पास १० नाली जमीन है। हम तो यही चाहते हैं कि जो अधेड़िया व तिहाड़िया हैं उनको भी जमीन मिले और लैन्ड होल्डर भी जमीन से महरूम न हों। सिरतान वह हैं जो रकम देकर जमीन कमाते हैं। अधेल व तिहाड़ एक तरह की मजदूरी है। कोर्ट स में भी इसी इन्टरप्रिटेशन को लेकर मुकदमे तय हुये हैं। मैं यह संशोधन उनके हित के लिये भी लाया हूं जो बाहर नौकरी करते हैं और जो घर पर वापस आकर अपनी गुजर नहीं कर सकते हैं। मेरा मकसद है कि वह भूमि हीन होकर बरबाद न हों। वह कोई बड़े जमींदार या काश्तकार नहीं हैं वह तो छोटी-छोटी भूमि वाले लोग हैं आशा है कि माननीय मंत्री जी इसकी आवश्यकता को समझेंगे और इसको मानने की कृपा करेंगे।

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं मेरे मित्र का मन्तव्य है कि अधेलिया या तिहाड़िया काश्तकार माने जांय। अगर वह यह चाहते हैं तो शायद हमारी परिभाषा में यह दोनों किस्म के काश्तकार आ जाते हैं। वहां ३ तरह के काश्तकार हैं, मौरूसीदार, खायकर और सिरतान। मौरूसीदार को तो निकाल रहे हैं और जो खायकर और सिरतान रहे उन दोनों को हम इस परिभाषा में शामिल कर रहे हैं। वह अब काश्तकार की परिभाषा में आ जायेंगे। आपका अभिप्राय यह है कि खायकर या मौरूसीदार जिन्होंने अधेलिया या तिहाड़िया पर सीरतानों को जमीन दी हुई है, वह अगर ६ साल में अपनी जमीन को उनसे वापस लेना चाहें तो उनको जमीन वापस मिल जाय। आपको जहां अधेलिया और तिहाड़िया का ख्याल होना चाहिये वहां आपकी हमदर्दी ऐसे लोगों के साथ है जो फौज में चले गये हैं या दूसरे रोजगार बाहर करते हैं और जिनके पास खुद थोड़ी ही जमीन है। आप चाहते हैं कि उनकी जमीन सिरतानों से खाली करा कर उनको वापस दे दी जाय। मेरी गुजारिश यह है कि इस वक्त तो हम एक सरसरी तरीके से बेदखली रोक रहे हैं। उन्मूलन अधिनियम में जिस तरह से हमने मैदान के उन मिलिटरी के लोगों को जो वेस्टिंग की तारीख को सेना में काम करते थे, या ढाई सौ रुपये से कम मालगुजारी देने वाले जमींदारों को अधिकार दिया है कि वह अपने शिकमियों को बेदखल करा सकते हैं, जब इस संबंध में पहाड़ी इलाकों के लिये एक व्यापक बिल आयेगा उस समय इस मसले पर विचार किया जायगा। उस वक्त इस का मौजूं स्थान होगा। यह भी विचार करने की बात है कि आपने ६ साल की मियाद इस में रखी है कि ६ साल के अन्दर दखल करा सकते हैं। लेकिन फौज में तो २०, २५ या ३० साल के लिये अकसर लोग जाते ह। ६ साल में वापस आने वाले कितने होंगे। ६ साल के लिये तो लोग दूसरे महायुद्ध में गये थे। इसलिये आपका जो मन्शा है वह भी ६ साल रहने से पूरा नहीं होता। कलकत्ते और बम्बई भी लोग काफी अरसे के लिये नौकरी करने चले जाते हैं। दो चार साल में तो वही लोग लौटते हैं कि जिनको कोई मुस्तकिल रोजगार नहीं मिलता। इसलिये यहां पर इस चीज के विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं आशा करूंगा कि माननीय सदस्य इस समय इस संशोधन को वापस ले लेंगे और जब एक व्यापक कानून हम वहां के लिये लावेंगे उस वक्त इसका ठीक स्थान और मौका होगा।

श्री सत्यसिंह राणा—उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस संबंध में वह एक कम्प्रिहैन्सिव बिल लावेंगे इसलिये मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ग) की पंक्ति २ में शब्द 'खायकर' और शब्द 'नहीं' के बीच में शब्द 'या मौरूसीदार' रख दिये जायं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह संशोधन कुमायूं डिवीजन के जो जिले हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के जो काश्तकार हैं, उनमें टेहरी गढ़वाल में प्रोप्राइटरी राइट्स जो हैं वे हिज हाईनेस में वेस्ट करता है। उसमें तीन प्रकार के काश्तकार हैं मौरूसीदार, खायकर और सिरतान। जब कि गढ़वाल और दूसरे जिलों में हिस्सेदार और खायकर, खायकर पक्के और खायकर कच्चे और सिरतान आते हैं। तो इसमें केवल खायकर शब्द दिया हुआ है जब कि काश्तकारों की कोटि में टेहरी गढ़वाल की कुमायूं डिवीजन के मौरूसीदार भी आ जाते हैं। इस वजह से इस शब्द का यहां पर कमी है जो कि स्पष्ट रूप से जाहिर है। माननीय मंत्री जी ने भी यह राय अपने पूर्व के भाषण में जाहिर की थी कि वे इसके पक्ष में हैं कि काश्तकारों के अन्तर्गत सिरतान हैं और खायकर और मौरूसीदार उसमें नहीं आते। अतः मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ग) की पंक्ति २ में शब्द "खायकर" और शब्द "नहीं" के बीच में शब्द "या मौरूसीदार" रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

काश्तकार की बेदखली

३---इसके विपरीत किसी विधि अथवा रिवाज के होते हुये भी :

(१) कोई काश्तकार अपने खाते (Holding) से या उसके किसी भाग से, सिवाय किसी सक्षम (Competent) न्यायालय की आज्ञा के, बेदखल नहीं किया जायगा, और

(२) कोई न्यायालय किसी काश्तकार को उसके खाते से या उसके किसी भाग से बेदखल किये जाने की आज्ञा नहीं देगा, सिवाय निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक आधार पर, अर्थात्---

(क) कि उस खाते के सम्बन्ध में उसके या उसके स्वत्व के पूर्वाधिकार के विरुद्ध किसी कृषि वर्ग के लिये बकाया लगान की कोई डिग्री उस वर्ष के समाप्त होने पर बिना भरपाई के रही हो, अथवा

(ख) कि उसने कोई ऐसा कार्य या भूल (Ommission) की है जो उसके खातों के अन्तर्गत भूमि के लिये हानिकारक (Detrimental) है, अथवा उन प्रयोजनों के असंगत (Inconsistant) है जिनके लिये वह भूमि उसे उठायी गयी थी, अथवा

(ग) कि उसने इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में अपने खातों या उसके किसी भाग को शिकमी पट्टे पर उठा दिया (Sub-let) हो।

श्री नारायण दत्त तिवारी---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "कोई काश्तकार" के बाद शब्द "अथवा उसके विधिगत उत्तराधिकारी" जोड़ दिये जांय।

श्रीमन् माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि सिरतानों का अधिकार हैरिटेबिल नहीं है। अगर कोई सिरतान मर जाय तो उसका उत्तराधिकारी चाहे कानूनी ढंग से उसका भाई या लड़का या कोई भी उसका उत्तराधिकारी हो वह तब तक सिरतान नहीं माना जा सकता जब तक कि हिस्सेदार या शौकसोदार उत्तराधिकारी को सिरतान न मान ले? जैसा आपने स्वयं कल के भाषण में कहा था कि यह केवल हिस्सेदारों की ईमानदारी और भलाई पर ही रह जाता है कि वह उसके उत्तराधिकारी को सिरतान माने या न माने। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान स्टाबेल्स मैनुअल के पेज १०४ की तरफ दिलाना चाहता हूं :---

"There can be no questions regarding the succession, since the tenure is heritable unless the landlord chooses to continue the son or other heir of a deceased sirtan in possession of the holding."

इस सम्बन्ध में अधिकार देने की बात बेदखली को रोकने के सम्बन्ध में आती है और वह आवश्यक है कि सीरतानों को हेरिटेबिल राइट देना चाहिये। कुमायूं लाज कमेटी रिपोर्ट की भी सिफारिश इस सम्बन्ध में है :

"The Committee think that sirtans should not be left absolutely at the mercy of their landlords, but should have some fixity of tenure."

श्रीमन्, हमारा विचार है कि जब तक हेरिटेबिल राइट्स नहीं दे सकते तब तक "फिक्सिटी आफ टेन्योर" नहीं तय हो सकती।

"The Committee accordingly recommend that —

(1) Sirtans who have been in continuous possession personally or through their ancestors since the dates of the settlement by Mr. Beckett, Mr. Goudge or Mr. Pauw should have a heritable right and they should be liable to eje_ctment only for non—payment of rent.

(2) Sirtans whose holdings consist entirely of land broken by them should have a heritable right and should be liable to ejectment only for non-payment of rent.

(3) Other sirtans (no matter what the duration of their tenancy is)should have a right of life tenancy, as long as the hissedar does not want their land for bona fide personal cultivation. They should also be liable to ejectment for non-payment of rent."

तो अब वहां पर जो पुराने सिरतान और माडर्न सिरतान हैं उनको कुमायूं लाज कमेटी ने भी कहा है कि उनको हेरिटेबिल राइट्स होने चाहिये और उनके सक्सेसर्स को भी सिरतान के अधिकार होने चाहिये। लेकिन वर्तमान विधेयक जो है उसमें सिरतानों को केवल लाइफ टेनैन्सी मिलती है। मान लीजिये "अ" नामक एक सिरतान है और "ब" नामक उसके एक बालिग लड़का है। "अ" की अवस्था ७० वर्ष की है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो "ब" बेदखल हो सकता है। उसके लिये इसमें कोई सेक्योरिटी आफ टेन्योर नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जहां बेदखली

के बारे में माननीय मंत्री जी की इतनी इच्छा है कि बेदखली को रोकें तो उसके लिये सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि उनको हेरिटेबिल राइट्स दिये जायं और उनके जो लीगल हेयर्स हैं उनको भी अधिकार मिलना चाहिये। केवल लाइफ टेनैन्सी का ही इस विधेयक में जिक्र नहीं होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान टेहरी-गढ़वाल जिले के भूमि सम्बन्धी अधिकारों के नियमों की तरफ दिलाना चाहता हूं जैसा कि पेज ९ में लिखा हुआ है:--७ वें । सिरतान के उत्तराधिकार। सिरतान का उत्तराधिकारी विरासत के योग्य नहीं है। फिर नोट नीचे लिखा हुआ है : "परन्तु यदि कोई सिरतान किसी लिखित पट्टे और कबूलियत पर नियत अवधि के लिये भूमि कमाता हो और उस अवधि के भीतर मर जाय तो जब तक लिखित मियाद पूरी नहीं होती तब तक मृत सिरतान का कानूनी वारिस उस जायदाद को उन्हीं शर्तों पर कमा सकता है। तो अगर जैसा कि विधेयक इस समय है वैसा ही रहेगा तो जो टेहरी-गढ़वाल में यह पट्टे और कबूलियत की नियत अवधि है उसके अनुसार भी हेरिटेबिल राइट खत्म हो जायंगे। साथ ही साथ टेहरी-गढ़वाल के सिरतान को एक और अधिकार सा मिला हुआ है कि यदि कोई सिरतान किसी मौरूसी-दार के अधीन लगातार १२ वर्ष या उससे अधिक समय तक लगान अदा करके काबिज रहे तो उसको उत्तराधिकारी के अधिकार भी प्राप्त हो सकते हैं। तो मेरा विचार है कि जब तक हम सिरतान को और उनके उत्तराधिकारी को हेरिटेबिल टिनेन्सी राइटस नहीं देंगे तब तक यह विधेयक अधूरा रहेगा। इसलिये मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी अवश्य इस अत्यन्त महत्वपूर्ण संशोधन को मान लेंगे और सिरतान के जो अधिकार हैं उनसे उनको वंचित नहीं रखेंगे और उनको पूरा अधिकार रखेंगे कि उनके उत्तराधिकारी बेदखल न हो सकें। क्योंकि यह निश्चित है कि जैसे हिस्सेदारों को मालूम होगा कि एक विधेयक बन गया है और बेदखली रोकी जा रही है तो उसके दिल में प्रतिक्रिया होगी। वह कहेंगे कि सरकार तुम्हारी मदद को आ रही है, उन्हीं के पास जाओ। पहले जब कानून नहीं था तो सहूलियत दे देते थे लेकिन अब हम कोई सहूलियत नहीं देते हैं। कानून बन जाय हमें कोई एतराज नहीं है, उन्हीं के पास जाओ। तो नतीजा क्या होगा? कोई भी हिस्सेदार या मौरूसीदार अपवादों को छोड़ कर उस प्रतिक्रिया से भलमनसाहत नहीं बरत पायेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी सिरतान की मृत्यु हो जाय तो उत्तराधिकारी से कह दें कि हम कोर्ट में जा रहे हैं। तीन सूरतों में बेदखली हो सकती है। इस बारे में भी कोई बात नहीं कही गई। पुराने कस्टमरी ला के अनुसार कोर्ट्स मजबूर हो जायंगी कि वह उत्तराधिकारी को सिरतान न मानें और बेदखली की आज्ञा दे दें। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री गंगाधर मैठाणी---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। वास्तव में इस विधेयक में सिरतानों की बेदखली को रोकने का उद्देश्य है। जैसा नारायण दत्त जी ने कहा कि इस विधेयक के पास होने के बाद ही कोई सिरतान मर जाता है तो उसका लड़का इजेक्ट कर दिया जायगा। इस विधेयक में उसके बचाने के लिये कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। यह जो नारायण दत्त तिवारी जी ने संशोधन रखा है वह बहुत ही सीधा और छोटा सा संशोधन है और उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है जिस उद्देश्य को माननीय राजस्व मंत्री जी चाहते हैं। किसी प्रकार से सिरतान का लड़का इजेक्ट न हो सके और इस प्रकार का कोई लिटीगेशन न बढ़े, इसी उद्देश्य से नारायण दत्त जी ने यह संशोधन रखा है। यह एक छोटा सा और सीधा संशोधन है और इसको स्वीकार करने में कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है। इसलिये मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें केवल आपत्ति यह है कि आज यह जो मौजूदा विधेयक सदन के सामने है इसकी मंशा पूरे अधिकार, उत्तराधिकार आदि तय करने की नहीं है कि कौन कौन उनके वर्सा हों। इन सब बातों में यह विधेयक नहीं गया है। जब दूसरा विधेयक आयेगा जिसमें और बातें इसके अलावा आयेंगी उस वक्त यह बात गौर की जा सकती है। इस वक्त यह लिख देना कि कौन कौन उत्तराधिकारी होगा असंगत सा है। इसलिये मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसे वापस लेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमान्, माननीय मौर्य जी ने मेरे संशोधन को अस्वीकार करते हुये यह कहा कि यह अधिकार देने का विधेयक नहीं है, तो आखिर यह विधेयक है क्या? क्या यह विधेयक सिरतानों की बेदखली को रोकने के लिये सिरतानों को अधिकार देता है या नहीं? कुछ तो अधिकार देता ही है। आज तक सिरतान बेदखल हो सकते थे लेकिन अब उनकी बेदखली रोकने का अधिकार इस विधेयक में है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि मान लीजिये यह विधेयक हमने पास कर दिया और किसी सिरतान की मृत्यु हो जाती है तो उसका लड़का बेदखल हो सकता है या नहीं? माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दे दें कि एक सिरतान की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी जमीन पर काबिज हो सकता है या नहीं? अगर वह काबिज नहीं हो सकता है तो आपने उसको क्या रिलीफ दिया है? उनको हेरीटेबिल राइट देना चाहिये। यह एक मजाक सा होगा। इस विधेयक के साथ कि हम यह तो कह दें कि सिरतान बेदखल नहीं हो सकता लेकिन अगर वह मर जाय तो उसके उत्तराधिकारी को जमीन नहीं मिलेगी, वह बेदखल हो जायगा। यह एक जघन्य पाप होगा और मैं समझता हूं कि सदन और माननीय मौर्य जी इस पाप के बोझ को अपने सिर पर लादना उचित नहीं समझेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का जी तड़प रहा है और वह यह समझते हैं कि एक गलती हो गयी है। लेकिन अगर कोई गलती हो गयी है तो मैं समझता हूं कि उनको इसे मानने में सोच विचार नहीं करना चाहिये। यदि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करने के लिये कुछ समय लेना चाहते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यदि आप थोड़े समय के बाद इस संशोधन को ले लें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री चरणसिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कल से मैं कई बार कह चुका हूं कि इस छोटे से विधेयक के केवल तीन उद्देश्य हैं। एक तो उस शासकीय आदेश के गैर कानूनी करार दिये जाने से जो परिस्थिति पैदा हो गयी थी उसका इलाज करना था। उस आर्डर में यही था कि सिरतानों की बेदखली न हो और वही यहां रख दिया गया है। एक उद्देश्य यह था कि अब जब हम इस विधेयक के जरिये उसको पुष्ट (Valid) कर रहे हैं या उन आदेशों के इनवैलिड होने की वजह से जो एक स्थिति पैदा हो गयी थी उसका मुकाबिला करने के लिये यह विधेयक ला रहे हैं तो हमने सोचा कि लगे हाथ दो काम और कर डालें। एक तो यह कि जो लोग जिन्सी लगान देते थे और अपनी पैदावार का तिहाई से लेकर आधे तक देते थे, उनका बहुत दिनों से मतालिबा था कि नकदी लगान हो जाना चाहिये। तो हम इस अवसर से यह फायदा उठा कर उनका कम्यूटेशन आफ रेंट भी करा रहे हैं। दूसरे जो पास पड़ोस से लोगों ने एक्सटेंशन कर लिया उसमें सरकार का नुकसान हो रहा था, कुछ मिल नहीं रहा था। उसकी मालगुजारी नियत हो जायगी। जमींदारी उन्मूलन व भूमि व्यवस्था ऐक्ट में बहुत अच्छे अच्छे प्राविजन्स हैं और वे सब थोड़े बहुत संशोधन के साथ, जैसी वहां आवश्यकता हो, वहां लागू होने चाहिये, यह ठीक है। हमें इससे इन्कार नहीं है लेकिन माननीय नारायण दत्त जी यह चाहते हैं कि यह आज ही हो जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---सब नहीं, एक।

श्री चरणसिंह---एक क्यों? फिर दो और तीन।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "कोई काश्तकार" के बाद शब्द "अथवा उसके विधिगत उत्तराधिकारी" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करना चाहता हूं कि खंड ३ के वर्तमान उपखंड (२) को उपखंड (३) रख दिया जाय और नया उपखंड (२) निम्न प्रकार जोड़ दिया जाय :--

> "(२) कोई भी ऐसा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष समझौता या आलेख जो इस विधेयक के लागू होने के ठीक पहले या बाद सम्पन्न होने पर किसी काश्तकार के मौलिक अधिकार अथवा स्वत्व को सीमित करता है, निष्प्रभाव माना जावेगा।"

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं यह श्रीमान् से निवेदन करना चाहता हूं कि धारा ३ के शुरू में ही दिया हुआ है कि "इसके विपरीत किसी विधि अथवा रिवाज के होते हुये भी" तो इसके रहते हुये यह संशोधन बिला माने है और उपस्थित नहीं होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन् यह प्वाइंट आफ आर्डर हमारे सचिव महोदय का इसलिये लागू नहीं होता क्योंकि 'समझौता या आलेख', यानी जहां तक 'डाइरेक्ट' या 'इनडाइरेक्ट ऐग्रीमेंट' का सम्बन्ध है यह किसी विधि या रिवाज के अर्थ के लिये नहीं है। इसलिये यह प्वाइंट आफ आर्डर यहां लागू नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह नियमानुकूल है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम स्टाविल्स मैनुअल को देखें तो उससे हमें यह मालूम होता है कि वहां की परम्परा यह रही है कि कई बार हिस्सेदार या मौरूसीदार ने सिरतानों पर दबाब डाल कर या बिरादरी का दबाव डाल कर या प्रभाव डाल कर या डरा धमका कर उससे लिखित करवा सकते हैं कि उसका जो जमीन पर अधिकार है उसे छोड़ दिया और ऐसी मिसालें भी हैं कि उससे कह दिया कि तुमको और जमीन मिलेगी, वह पढ़ा लिखा नहीं है, अपढ़ है। न वह हिन्दी जानता है और न अंग्रेजी जानता है। बड़े अच्छे कागज पर टाइप किया या लिखा हुआ है उस पर वह झट से अंगूठा लगा देगा। उससे कह दिया जायगा कि यह पानी की मांग करने का कागज है और बाद में कहा जावेगा कि उसने जमीन पर से अपना अधिकार छोड़ दिया है। इसलिये मेरे स्पष्टीकरण से यह परिणाम होगा कि इस लिखित समझौते के संबंध में या सिरतान को जो अधिकार हैं उसके संबंध में उसके निरक्षण होने के कारण, अपनी गरीबी के कारण या समाज में निम्न श्रेणी के माने जाने के कारण, अगर कोई काश्तकार गल्ती से अपने अयोग्य होने के कारण अगर ऐग्रीमेंट लिख देता है या लिख चुका है तो सिरतान के अधिकार में कोई कुठाराघात नहीं होना चाहिये। माननीय मंत्री जी भी इसमें कई बार इस तरह के प्रावीजन्स रख चुके हैं और कुमायूं लाज कमेटी ने जो टैनेंसी बिल पेश किया था उसमें इस प्रकार का प्रावीजन था। क्योंकि जहां ऐसे दबे हुये वर्ग होते हैं वहां पर अगर ऐसे अधिकार नहीं दिये जायेंगे तो हमारा किसी प्रकार का अधिकार देना बेकार होगा। इसलिये वहां की हालत को देखते हुये, निरक्षरता को देखते हुये मैं समझता हूं कि इस प्रकार के प्रावीजन्स का रखा जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि विधेयक का ठीक तरह से प्रयोग हो सके।

श्री चरणसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, श्री नारायण दत्त जी का जो आशय है उससे मैं सहमत हूं लेकिन मुझे संदेह है कि जो लफ्ज उन्होंने रखे हैं उनकी आवश्यकता है या नहीं। जैसा कि विधेयक है उसमें यह है कि इसके विपरीत किसी विधि संविदा अथवा रिवाज के होते हुये भी कर दिया जाय। रिवाज अथवा कांट्रेक्ट होते हुये तो ऐसा हो जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जी हां, मैं इसको मान लूंगा।

श्री चरणसिंह---इसके विपरीत किसी विधि, संविदा अथवा रिवाज के होते हुये भी यानी "अथवा" यहां से हटकर उसकी जगह पर "कामा" होगा और "अथवा" बाद को आजायगा।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस ले लेंगे और खंड (३) के शीर्षक में संविदा शब्द और जोड़ दिया जायगा।

श्री चरणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, एक इजाजत और चाहता हूं कि मैं अपने लीगल एडवाइजर से पूछ लूंगा कि कोई लफ्ज इधर उधर तो नहीं होगा वैसे कांट्रेक्ट उसमें आ जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस समय इस पर विचार स्थगित रखा जाय।

श्री चरण सिंह--जी हां।

(विचार स्थगित किया गया।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करना चाहता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (क) की पंक्ति २ में शब्द "वर्ग" के स्थान पर शब्द "वर्ष" कर दिया जाय और तीसरी पंक्ति में शब्द "उस वर्ष के" के स्थान पर शब्द "फैसला की तारीख से एक वर्ष की अवधि" रख दिये जायं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं यह बतला देना चाहता हूं कि सुधरे हुये शब्दों में जो संशोधन ९ नंबर पर है उसमें आपकी बात आजाती है, उसे स्वीकार कर लिया जाय। इसलिये आवश्यकता आपको ऐसा कहने की नहीं पड़ेगी। और "वर्ग" शब्द तो गलत छप गया है, उसको आप स्वयं ठीक कर सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इसको ही आप न मान लीजिये, बजाय इसके कि मैं नौ नम्बर वाले को पेश करूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---वह जरा सुन्दर शब्दों में है और लीगल शब्दों में है, और कोई बात नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---तो मैं उन्हीं शब्दों में पेश किये देता हूं।

खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (क) की पंक्ति ३ में शब्द "उस वर्ष के समाप्त होने पर" के स्थान पर शब्द "उसके दिनांक से एक वर्ष से अधिक समय तक" रख दिये जायं।

मैं नहीं समझ सका कि उसमें क्या लीगलिटी है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मुझको स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (क) की पंक्ति ३ में शब्द "उस वर्ष के समाप्त होने पर" के स्थान पर शब्द "उसके दिनांक से एक वर्ष से अधिक समय तक" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करना चाहता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ख) की पंक्ति २ व ३ के शब्द "उसके खातों के अन्तर्गत भूमि के लिये हानिकारक (Detrimental) है, अथवा" निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, अगर हम खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ख) को पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि "किसी काश्तकार ने कोई ऐसा कार्य या भूल की है जो उसके खातों के अन्तर्गत भूमि के लिये हानिकारक है, अथवा उन प्रयोजनों के लिये असंगत है जिनके लिये वह भूमि उसे उठायी गयी थी" तो "डेट्रीमेंटल" उसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो वह इस प्रकार से हिस्सेदार की ताकतों को बढ़ाना है। बिना "हानिकारक" शब्द की परिभाषा किये, बिना यह स्पष्ट किये कि कौन सा कार्य या भूल खातों के लिये "डेट्रीमेंटल" हो सकती है, यह एक बड़ी शक्ति देनी होगी, इसको विस्तीर्ण कर देना होगा जिनके द्वारा वह काश्तकार बेदखल किया जायगा। तो या तो माननीय मंत्री जी "हानिकारक" शब्द की परिभाषा इन्क्लूड करें ताकि मालूम कर सकें कि कहां तक उसका दायरा है, लेकिन कोर्ट्स के लिये यह छोड़ देना कि वह यह निर्णय करे कि यह डेट्रीमेंटल है या नहीं, तो उसका तो कोई भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो जहां आप उनके अधिकारों को सुरक्षित कर रहे हैं तो उसकी स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिये। इस प्रकार की बात रखना मैं समझता हूं उचित नहीं है और उन शब्दों से कि "भूमि के लिये हानिकारक है" मंतव्य अस्पष्ट ही रहता है। इसलिये उसे हटा देना चाहिये।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां कोई डेफिनीशन की जरूरत नहीं है। "डेट्रीमेंटल" शब्द तो यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट और आगरा टेनेंसी ऐक्ट में हमेशा से रहा है कि जिस परपज के लिये जमीन ली गयी है अगर उसके खिलाफ डेट्रीमेंटल है तो पीनल हो जाता है। तो डेट्रीमेंटल ऐक्ट को निकालना मुनासिब नहीं है। जिस परपज के लिये सिरतान जमीन लेता है, उसके खिलाफ अगर वह कार्यवाही करे तो मुनासिब नहीं और जायज नहीं है। इसलिये डेट्रीमेंटल ऐक्ट का होना जरूरी है और डेफीनीशन की कोई जरूरत नहीं है, न किसी ऐक्ट में हुई है। वह तो कोर्ट्स डिसाइड कर लेते हैं कि जिन परपजेज के लिये दी गयी वह उसके डेट्रीमेंटल है या नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं अपने संशोधन पर कायम हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ख) की पंक्ति २ व ३ के शब्द " उसके खातों के अन्तर्गत भूमि के लिये हानिकारक (Detrimental) है, अथवा" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गंगाधर मैठाणी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) के भाग (ख) के अन्त में अथवा पहले निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:--

"गौशाला और मकान या बाग लगाने के प्रयोग पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो विदित ही है कि पहाड़ का जहां तक संबंध है, पहाड़ों की जो फिजिकल सिचुएशन है, उसके मुताबिक किसी सिरतान को मान लीजिये एक जमीन मिली है किसी दूर के इलाके के गांव में, वहां उसे सिरतानी हक प्राप्त हुये हैं, तो फिर वह उस दूर के गांव में जब बसता है तो स्वाभाविक है कि जमीन की उपज बढ़ाने के लिये गौशाला रखेगा और गौशाला वहां बनायेगा क्योंकि वैसे अगर गाय वगैरह रखेगा तो रात को शेर वगैरा वहां उसकी गायों को भी खा जायेंगे। वहां पर रहने के लिये किसी मकान वगैरह की जरूरत होती है और फिर वहां पर वह फल वगैरह के पेड़ भी लगायेगा। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि जो प्रतिबन्ध लगाया गया है वह प्रतिबन्ध उसमें न हो क्योंकि खास कर आजकल जैसे अधिक अन्न उपजाओ के लिये अगर वह गौशाला वहां नहीं रखेगा तो फर्टिलाइजर वगैरह वहां सोने के भाव

[श्री गंगाधर मैठाणी]

बिकेंगे और वैसे वह गोबर से ही वह अन्न प्राप्त करके अपना काम चला लेगा। उसी तरह से फल वगैरह के लिये भी है क्योंकि पहाड़ों में खेती के साथ-साथ फलों से ही लाभ हो सकता है। इसलिये यह संशोधन स्वीकृत हो जाने पर यह बात साफ हो जायगी कि जहां पर वह बसेगा वहां गौशाला भी मैन्योर के लिये रख सकेगा और उसके साथ-साथ अपने रहने के लिये या जानवरों के प्रोटेक्शन के लिये या बरसात में बारिश से बचने के लिये और जाड़े में बरफ से बचने के लिये मकान भी बना सकेगा। वहां की फिजिकल सिचुएशन को देखते हुये मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री इसको स्वीकृत करेंगे और इसमें कोई आपत्ति उन्हें न होगी।

श्री चरणसिंह--मुझे अफसोस है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कारण यह है कि पौने दो-दो एकड़ जमीन उन लोगों को मिलती है और उनका मकान अपना पहले से कहीं न कहीं तो बना ही होगा। तो उस पौने दो एकड़ जमीन में कोई क्यों मकान बनाने लगा? जहां तक गौशाला की बात है तो गौशाला से उनका मतलब ऐसा मालूम होता है कि जहां पशु रखे जायं। वैसे गौशाला का मतलब यहां देश में तो यह है कि २०,२५ जानवर जहां दूध देने के लिए रखे जायं लेकिन उनका मतलब यह नहीं है। उनका मतलब कैटिल इन्क्लोजर या कैटिल कम्पाउन्ड से है। तो वह तो इन्कांसिस्टेंट आफ दी परपजेज (Inconsistant of the purposes) होता नहीं। फिर वह उससे बेदखल भी नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ है कि--"अथवा उन प्रयोजनों के असंगत (इन्कांसिटेंट) है जिनके लिए वह भूमि उसे उठायी गयी थी" तो खेती के लिए भूमि उसे उठायी जाती है और खेती के लिए जिन पशुओं को आवश्यकता होती है उनके लिए अगर वहां वह कोई बाड़ा या अहाता बना लेता है तो वह उससे असंगत नहीं होता है। इसलिए यह अनावश्यक है। अब रही बगीचे की बात। तो पौने दो एकड़ तो खेती के लिए उसे जमीन मिलेगी और उसमें वह बाग भी लगा लेगा और वह भी तब जब कि उसे यह पता नहीं कि वह रहेगा भी या नहीं रहेगा। साल भर के अन्दर वह बेदखल हो सकता है और बाग तैयार होता है कम से कम ५ साल में। इसके अलावा एक और कठिनाई है कि बाग कहते किसको हैं? बाग की परिभाषा आम तौर पर यह की जाती है कि पेड़ इतने हो जायं कि उसमें खेती न हो सके। तो यह क्वेश्चन आफ फैक्ट रह जाता है और इसमें बहुत विवाद पैदा हो जाता है। यह भी उसमें एक कठिनाई है। फिर जैसा मैंने कहा कि जब यह तय नहीं है कि उसे वहां रहना है या नहीं तो कोई बाग वगैरह लगाता भी नहीं। इसलिए प्रैक्टिस में कोई इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वजह से इस संशोधन में एकाध बात अच्छी होते हुए भी मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह अभिप्राय वैसे ही पूरा हो जाता है। इसलिये संशोधन को स्वीकृत करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी--उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन है वह भूमि के लिए डेट्रीमेंटल नहीं है बल्कि वह उसके इम्प्रूवमेंट के लिए है। इम्प्रूवमेंट करने के लिए यह बहुत आवश्यक है। जैसा कि आपने अभी बताया कि उसकी थोड़ी सी जमीन होगी, वहां वह गौशाला भी बनायेगा। लेकिन मैं तो माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनके सामने पहाड़ के सुदूर गांवों का चित्र नहीं आया। अगर वह चित्र उनके सामने आया होता जहां पर ऐसे गांव हैं जिन में दो-दो, तीन-तीन, चार-चार मकान हैं। पहाड़ के बहुत से गांवों में सिरतानों ने गौशालाएँ बनायी हैं, गौशालाओं से उनको इजेक्ट करने के बहुत से केसेज चल रहे हैं। उसी प्रकार से अगर उसने दो चार पेड़ लगा दिये तो यह तो स्वाभाविक बात है कि इम्प्रूवमेंट होगा। अब भी बहुत से केसेज वहां चल रहे हैं जहां पर लोगों की एक छोटी सी होल्डिंग है। उसके अन्दर उसने अपने रहने के लिए, अपने गाय बछवों के रखने के भेड़ बकरियों को रखने के लिए छोटा-मोटा पक्का मकान बना लिया। अगर कच्चा बनायें तो रात को शेर और बघेरे वगैरह आते हैं। किसी-किसी गांव की सरहद इतनी दूर होती है कि कितने ही सिरतान दो मील पर काबिज हैं। तो अगर कोई सिरतान दो मील

पर रहता है और कच्चा मकान बनाता है तो भालू और शेर वगैरह आदमियों तक को भी ले जा सकते हैं। जब कि उसको दिन भर अपने खेत पर काम करना पड़ता है तो उसके लिए अपने गांव पर आना असम्भव होता जाता है। वहां की वास्तविक परिस्थिति यह है। उस परिस्थिति को देखते हुए मैंने यह संशोधन रखा है। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री को अपना विचार परिवर्तित करना चाहिए। भूमि पर उससे इम्प्रूवमेंट होगा, वह भूमि के लिए डेट्रीमेंटल नहीं है। इन शब्दों के साथ अपना संशोधन पेश करता हूं।

श्री चरण सिंह--मैं सब कह चुका हूं। ज्यादा उस सम्बन्ध में कहना वक्त खराब करना होगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ख) के अन्त में अथवा पहले निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जांय--

"गौशाला और मकान बनाने या बाग लगाने के प्रयोग पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ग) के बाद भाग (घ) निम्नलिखित रूप में जोड़ दिया जाय --

"(घ) कि यदि कोई क्षेत्रपति २० एकड़ से कम खेती योग्य भूमि का मालिक हो और वह स्वयं भूमि काश्त करना चाहे।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन से मेरा तात्पर्य कदापि यह नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि सिरतानों को बेदखल न किया जाय। मेरी उनके साथ बहुत हमदर्दी है। मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर जो बेदखली का अत्याचार हो रहा है वह जहां तक हो सके रोका जाय। इस विषय पर मैं बहुत अरसे से, खासकर अस्कोट जो सिरतानों का सबसे बड़ा रकबा है, वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है और कई मर्तबा मैं इस बारे में मंत्री महोदय तथा माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं और यह इच्छा प्रगट की कि जितनी जल्दी हो सके जमींदारी अबालिशन ऐक्ट पहाड़ों के लिए बनाया जाय।

मगर साथ ही साथ पहाड़ी होने के नाते मैं नहीं चाहता हूं कि वहां पर एक ऐसी परिस्थिति को पैदा करें जो कि वहां पर अभी तक नहीं है। उससे बजाय इसके कि गरीब किसानों के साथ न्याय हो, अन्याय पैदा हो जाय और आपत्तिजनक घटनायें हमारे सामने दिखलायी दें और हम उलझन में पड़ जायं। एक लेजिस्लेचर में यह चाहता हूं कि कोई भी कानून जो इस भवन से निकलता है वह फुल प्रूफ होना चाहिये। उसमें किसी किस्म का फ्लो (दोष) न होना चाहिये ताकि बाद में कोई आपत्ति पैदा हो और यह देखने में आये कि जमींदार और किसान हमेशा मुकदमेबाजी में लगे हैं और अदालतों की शरण लिये हुए हैं। इसलिए मैं इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन कारणों से इस संशोधन की नितान्त आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि जो बड़े जमींदार हैं उनको अवश्य इंजेक्शन का राइट न दिया जाय, लेकिन जो छोटे जमींदार हैं, जो असल में किसान ही हैं जिनके पास दो एकड़ या तीन एकड़ जमीन है उनको तो इंजेक्शन का राइट होना ही चाहिए। जो खुद भूखा-नंगा है उसकी जमीन छीन कर दूसरे भूखे को दे दी जाय इसमें कोई लाजिक नजर नहीं आता। अगर एक

[श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट]

किसान भूखा है और उसको जमीन में हिस्सेदारी का राइट हासिल है, तो उसका हक ज्यादा है बजाय सिरतान के। मेरे कहने का उद्देश्य यही है, जैसा कि कल आपने इस बात को माना भी कि १५ एकड़ तक की भूमि में एक का हक होना चाहिये, उसको अपनी भूमि के लिए इजेक्टमेंट का राइट होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान काश्मीर के लैन्ड रिफार्म की तरफ दिलाऊंगा। वहां भी यह प्रणाली कायम रखी गयी और हर जमींदारी को यह हक दिया गया कि २० एकड़ जमीन तक वह चाहे ले सकता है और उसमें अगर उसे किसी को इजेक्ट भी करना पड़े तो इजेक्ट कर सकता है। भले ही उनको कम्पेनसेशन नहीं दिया गया, लेकिन २० एकड़ तक जमीन रखने का राइट हर एक को दिया गया। इसी तरह मैदानी इलाकों में जो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट बनाया गया तो उसमें भी एक्नामिक होल्डिंग तीस एकड़ जमीन को माना गया। जब प्लेन्स के लिए आपने तीस एकड़ को एक्नामिक होल्डिंग माना तो मेरा कहना उचित ही है कि पर्वतीय प्रदेश में जहां कि भूमि इतनी उपजाऊ नहीं है वहां कम से कम बीस एकड़ जमीन हर व्यक्ति को रखने का हक होना चाहिये। पहले तो मैं समझता था कि कम से कम तीस एकड़ ही इक्नामिक होल्डिंग पर्वतीय प्रदेश में भी मानी जाय, लेकिन जब इस सदन में सुना कि सबकी राय यह है कि पर्वतीय प्रदेश में चूंकि जमीन कम है इसलिए तीस एकड़ रख दी गयी तो इस बिल का पर्पज ही नलीफाई हो जायगा –लिहाजा सोच समझ कर और व्याख्यानों को सुनने के बाद आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा कि कम से कम बीस एकड़ जमीन रखने का हक हर व्यक्ति को अवश्य होना चाहिये।

साथ ही साथ इस विषय पर मैं कुछ खास-खास केसेज की तरफ माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और अगर उसके लिए आवश्यक संशोधन इस बिल में नहीं किया गया तो न्याय होने के बजाय अन्याय होने की आशंका मुझे दिखलायी देती है। जैसे कोई विधवा स्त्री हो और वह खुद जमीन कमा नहीं सकती और अकेले खेती नहीं कर सकती, इसलिए थोड़ी सी जमीन रख लेती है और कुछ हिस्सा किसी दूसरे गांव वाले को दे देती है कि वह उसको कमा ले, लेकिन जब उसका लड़का बड़ा हो जाता है तो फिर यह आवश्यक हो जाता है कि उसके लिए जमीन मुहइया की जाय। अगर आप उसे इजेक्टमेंट का राइट नहीं देते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जायगी कि वह अपने सिरतान से जमीन मुहइय्या कर सके और अपना जीवन निर्वाह कर सके। ऐसे ही कोई बुड्ढा मनुष्य है, उसका लड़का मर गया हो लेकिन उसके पोते हों और नाबालिक होने के कारण खेती न कर सकते हों तो उसको मजबूरन अपनी जमीन गांव वाले को देनी होगी और सिरतान की हैसियत में जमीन कमायेगा, लेकिन जब पोते बड़े हो जायेंगे तो सिरतान को इजेक्ट करने का राइट उनको नहीं दिया गया तो वे कैसे अपना जीवन निर्वाह कर सकेंगे? इसी तरह से ऐसे जमींदार हैं जिनके पास एक दो एकड़ जमीन है, लेकिन वे जमींदार कहलाते हैं। उस जमीन से वह निर्वाह नहीं कर सकते तो मैदानी इलाकों में आकर वे नौकरी करने लगते हैं और अधिया या तिहाई पर अपनी जमीन उठा देते हैं, लेकिन जब लड़का बड़ा हो जाता है तो यह जरूरी नहीं है कि उसे भी नौकरी मिल जाय। अगर उनका हक नहीं रहेगा कि वह उन सिरतानों से जमीन को वापस ले सकें और उस पर खेती कर सकें, अगर ऐसा प्राविजन इस ऐक्ट के अन्दर नहीं हुआ तो ऐसे लोग जिनका मैंने जिक्र किया है वह हमेशा के लिये जमीन से महरूम रहेंगे और उनको हमेशा यह कष्ट रहेगा कि वह हिस्सेदार होते हुए भी इतनी जमीन नहीं पासकें कि जिससे अपना गुजारा अच्छी तरह से कर सकें। ऐसे ही कई और वर्ग के लोग हैं जिनका जिक्र मैंने कल भी किया था। ब्राह्मणों में पांडे, जोशी, भट्ट और पंत हैं और दूसरी भी कई कौमें हैं, जो हल को छूना पाप समझती हैं और उन लोगों ने कभी हल नहीं जोता है। बहुत पुराने जमाने से यह प्रथा चली आती है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी भावी संतान को यदि तकलीफ उठानी पड़े तो वह ऐसा न कर सकें। अब जमाना आगया है कि ऐसे जो लड़के हैं जो अन्य जाति के अन्दर राजपूत वगैरह में हैं जिन्होंने खुद हल नहीं जोता है उनको भी

इस बात का अवसर मिलना चाहिये कि यदि वह चाहें तो वह इतनी भूमि तक अपने पास रखें और उस पर काश्त कर सकें। वह लोग अब भी डिग्निटी आफ लेबर को महसूस करने लगे हैं और उनके बुजुर्गों ने अगर कोई गलती की है तो उसके आधार पर उनको वंचित नहीं करना चाहिये। अगर वह जमीन पर काश्त करना चाहें तो उनके पास २० एकड़ तक रहनी चाहिये। मैंने कल भी बतलाया था कि पहाड़ी प्रदेश में जमींदार जितने भी हैं वे सही माने में जमींदार नहीं हैं। वे कोई इन्टरमिडियरी नहीं हैं, वहां पर जो ज्यादातर जमींदार खुद किसान हैं और वे इतने निर्धन हैं और भूमिहीन हैं कि जैसा कि एक सिरतान है। इसलिये उस वर्ग के साथ हमारी हमदर्दी होनी चाहिये और उतनी ही हमदर्दी सरकार को भी होनी चाहिये। मैं तो एक सिद्धांत के रूप से यह बात कह रहा हूं न कि मेरी इच्छा यह है कि हिस्सेदार के हक को कायम रखा जाय भले ही वह कोई किसान हो या सिरतान हो या पक्का खातकर हो। किसी भी हैसियत से हो उनके लिये हर लेजिस्लेचर का यह आउटलुक (दृष्टिकोण) होना चाहिये कि हर एक आदमी जो भूमि से कमाना चाहता है उनको उससे डिप्राइव वंचित नहीं करना चाहिये। उससे उनको डिप्राइव (वंचित) करना और दूसरे को हक देना बहुत ही गलत बात होगी। इतनी बात कहकर सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात पर गौर करेंगे और मुझे आशा है कि वे इसको स्वीकार करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से माननीय नरेन्द्र सिंह जी के प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं। दरअसल माननीय नरेन्द्र सिंह जी के प्रस्ताव का मतलब यह है कि अगर कोई हिस्सेदार २० एकड़ तक का मालिक है और वह काश्त करना चाहता है तो वह सिरतान को बेदखल कर सकता है और वह कोर्ट से बेदखली की इजाजत ले सकता है। श्रीमन् मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इस प्रकार की इजाजत दे दी गयी तो कम से कम जो ७५ फीसदी सिरतान जिनको आज बेदखली से बचने का अधिकार देने की बात हम करने जा रहे हैं वह बेदखल हो जायेंगे और नया भूमि सुधार होने तक या उनको कोई अधिकार देने तक वह बेदखल हो जायेंगे और वह हिस्सेदार काबिज हो जायगा। यह विधेयक तो बेदखली को रोकने के लिये है। यह सिरतान को बेदखल न करने के लिए है और किसी हिस्सेदार को भूमि यह दिला सके इसके लिए नहीं है। जब तक के लिए भूमि व्यवस्था नहीं हो जाती और पूरी तरह से उसका विश्लेषण नहीं हो जाता तब तक के लिए यह काम चलाऊ विधेयक है और यह काम होना चाहिये। जो चपरासी आदि कर्मचारियों या गरीब हिस्सेदार बाहर कमाने को गये हैं और उन्होंने अपनी जमीन को किसी को तब तक उठा दिया है तो उनके लिए प्रबन्ध उस कानून में होगा जो भूमि व्यवस्था के लिए बनेगा या उसके लिये जो सेलेक्ट कमेटी बनेगी उसमें विचार हो सकता है लेकिन अगर हम अभी से कह दें कि २० एकड़ से कम वाला उसको बेदखल कर सकता है तो मैं यह समझता हूं कि यह बड़ा भारी अन्याय होगा। इसके सम्बन्ध में मेरे पास कुछ आंकड़े भी हैं। मैं समझता हूं कि उस पर हमारे राजस्व मंत्री जी ध्यान देंगे। यह आंकड़े सरकारी सूत्रों से लिये गये हैं इससे यह साबित होता है कि वहां, नैनीताल जिले में, ३०,९८३ किसान परिवारों में से जो होल्डिंग रखने वाले हैं, केवल १५४ परिवार ऐसे हैं जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है। यानी ४०० नाली से ज्यादा जमीन रखने वाले १५४ परिवार हैं। तो १५४ व्यक्तियों के सिरतान बेदखल हो सकते हैं और बाकी के नहीं हो सकते। माननीय नरेन्द्र सिंह जी देखेंगे, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा था, पहाड़ी हिस्सों में एवरेज होल्डिंग ३ या ४ एकड़ है। श्रीमन्, आपने भी कल विष्ट जी के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा था कि अगर २० एकड़ लिमिट रख दी जायगी तो यह अन्याय होगा। १० नाली जमीन रखने वाले, जो कि आध एकड़ के बराबर मानी जा सकती है, हजार परिवार हैं जिनमें सिरतान और खायकर भी आते हैं। इस प्राविजन का अर्थ यह होगा कि खुदकाश्त के नाम पर तमाम बेदखलियां होंगी जिनको नरेन्द्र सिंह जी भी अनुचित मानते हैं। इससे कोई नये झगड़े खड़े होने वाले नहीं हैं

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

बल्कि बेदखलियां रुकी हुई हैं। इसका एक कारण यह भी है कि कमिश्नर ने ऐसा आर्डर दिया जो कि देहात में लोगों को मालूम नहीं है। नतीजा यह है कि देहात में आम धारणा यह है कि गवर्नमेंट का फैसला है कि सिरतान बेदखल नहीं हो सकते। लोग हमसे पूछते हैं तो हम लोग भी कहते हैं कि नहीं हो सकते। तो कमिश्नर का फैसला अधिकतर लोगों को मालूम नहीं है। इसलिये आम धारणा यह है कि बेदखल नहीं हो सकते। अब जहां यह मालूम हो गया कि क़ानून ऐसा बन गया है कि ३० एकड़ से कम में बेदखल हो सकते हैं तो दनादन बेदखलियां होंगी और नये झगड़े पैदा हो जावेंगे जिनको माननीय मुख्य मंत्री जी भी नहीं चाहते हैं।

*श्री गेंदा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नरेन्द्र सिंह जी के संशोधन का विरोध तो करना ही चाहता हूं लेकिन उसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि इस धारा के ३ सब क्लाजेज हैं जो काफी हैं काश्तकार को बेदखल करने के लिये। माननीय नरेन्द्र सिंह जी को इसी पर कनाअत कर लेनी चाहिये। इसमें यह है कि अगर कोई डिग्री हो और उसके अदा किये बिना दूसरे वर्ष में खेती करे तो बेदखल हो सकेगा। दूसरा यह है कि अगर उसने कोई ऐसी भूल की है, जो उसके खातों के अन्तर्गत भूमि के लिये हानिकारक है अथवा उन प्रयोजनों के असंगत है जिनके लिये वह भूमि उसे उठायी गयी थी। माननीय राजस्व मंत्री को बार-बार इस बात के याद दिलाने पर भी इस तरफ ध्यान नहीं होता है कि वह भूल क्या होगी। जमीन देने वाला कहेगा कि उसमें जिक्र यह भी है कि कोई भूल उसने कर दी हो तो वह बेदखल होगा।

श्री चरण सिंह--मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। मुझे शिकायत है माननीय गेंदा सिंह जी जैसे समझदार दोस्त से कि जब खड़े हो गये तो चाहे जहां से बोलना शुरू कर देंगे। बात यही थी कि २० बीसी जिन लोगों के पास हो उसी वक्त बेदखल करा सकें लेकिन आपने रेंट वगैरह पर बोलना शुरू कर दिया। रेंट की अदायगी में बेदखली नाजायज है, इसका इस समय कोई सवाल नहीं है।

श्री गेंदा सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं ? मेरी बुद्धि को माननीय राजस्वमंत्री जी बराबर चुनौती देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि उनकी बुद्धि को चुनौती दूं। जहां तक मैंने पढ़ा है खंड तीन में क, ख, और ग मौजूद हैं और माननीय नरेन्द्र सिंह विष्ट उसमें (घ) जोड़ना चाहते हैं। तीन वजहों से तो वहां किसान बेदखल किये ही जा सकते हैं, फिर मेरे ख्याल में यह चौथा कारण बेकार ही मालूम होता है। मेरे विचार से तो ये तीन ही कारण उनको बेदखल करने के पर्याप्त हैं और माननीय राजस्व मंत्री जी की कृपा से वे उसमें रख दिये गये हैं। उन्हीं से सिरतान लोगों की हजामत बन जायगी। मेरा कहना तो राजस्व मन्त्री जी मानेंगे नहीं और मैं जानता हूं कि वे कारण बने रहेंगे। माननीय राजस्व मन्त्री जी भूलते बहुत हैं। उनके पास इतना काम है कि जिसका जवाब तो मैं इस वक्त नहीं देना चाहता, लेकिन उनको याद दिलाना चाहता हूं। मैंने कहा था कि बनारस में १ लाख ४६ हजार शिकमी काश्तकारों पर मुसीबत आ गयी। मैं उनके सिर हिलाने से समझ गया उनको याद आ गयी। अगर ज्यादा कहूंगा, वे प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर देंगे। इसलिये केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने उससे उल्टी बात कही जो मैंने कहा था लेकिन कौंसिल में जवाब देते समय उन्होंने बताया कि...।

श्री चरण सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी आपकी उदारता का अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--यह जो संशोधन है आप उसी पर बोलें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गेंदा सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री बार-बार इस बात पर ज़ोर डाल रहे हैं कि उनकी जो ग़लती है उसको मैं न कहूं। न कहूंगा, लेकिन बाद में उनके पास लिख कर भेज दूंगा कि वे ज़रा इस पर विचार तो करें। अब मैं अधिक नरेन्द्र सिंह जी से नहीं कहना चाहता। माननीय नरेन्द्र सिंह जी इस संशोधन को वापस ले लें। दोपहर से पहले यह बताया गया था कि पहाड़ों में औसत खेत ४-५ एकड़ के हैं, जो लोगों के पास हैं। इनमें हिस्सेदार भी आते हैं और दूसरे लोग भी आते हैं। अब माननीय नरेन्द्र सिंह जी का कहना है कि जिनके पास २० एकड़ से ज़मीन कम है उनको बेदख़ल कराने का अख़्तियार दे दिया जाय। उनको तो अधिकार दिया ही हुआ है। वैसे ही उनको क्या अधिकार कम है। उनके पास पैसा है, वे मुक़दमा लड़ने वाले हैं, वे हल्द्वानी, नैनीताल और अल्मोड़ा सब जगह सिरतानों का सिर ऐसा तानेंगे कि अलहदा कर देंगे और होश में वे लोग न रह जायेंगे। ज़मीन पर क़ब्ज़ा करने के लिये यह सब कुछ होगा और वे कहेंगे कि यह हमारी ज़मीन है। जिन लोगों के पास ज़मीन है वह पढ़े लिखे हैं। दफा १०७, ११७ और १४५ क्रि० प्रो० कोड का लाभ वे लोग ही उठायेंगे और आप का यह कानून सिरतानों की मदद न कर सकेगा। माननीय राजस्व मन्त्री जी क्षमा करें, मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि जितनी ज़मीन अब तक सिरतानों के पास थी उसमें से अगले ६ महीनों के अन्दर आधी निकल जायगी। और आप के भरोसे के बावजूद भी उनसे वह ज़मीन ले ली जायगी। आप जो कानून इस बात का बना रहे हैं कि सिरतानों को बेदख़ल न किया जाय वह उनकी हिफाज़त न कर सकेगा और न कोई दूसरी ही शक्ति मुझे दिखाई देती है, जो उनकी हिफाज़त कर सके। इसलिये माननीय नरेन्द्र सिंह जी इन्हीं धाराओं पर संतोष करें और अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने जो संशोधन इस समय रखा है मैं समझता हूं कि इस समय के लिये वह उचित नहीं था। वह तो जब कम्प्रीहेंसिव बिल आता उस समय संशोधन रखते कि पहाड़ों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज़मीन पर ही निर्भर करते हैं और उनकी ज़मीन पर कुछ सिरतान बसे हुये हैं इसलिये वह ज़मीन उनको खुद कमाने के लिये मिलनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यही उद्देश्य उनका भी था। लेकिन अगर आज इस संशोधन को वे रखते हैं तो उसके माने साफ यह हो जाते हैं जैसा कि हमारा ही इलाका है जहां के हिस्सेदारों की जमीनों पर सिरतानों का कब्ज़ा है। अगर २० एकड़ किसी के पास है और उसमें से १० एकड़ तो उसने सिरतानों को दे दिया है, अब अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो २० एकड़ तो उसके पास रहना ही चाहिये। इस तरह से १० एकड़ वाले जो सिरतान हैं वे बेदख़ल किये जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय विष्ट जी की भी ऐसी भावना नहीं है। यह तो अवश्य है कि पहाड़ों के लिये कुछ फीलिंग होनी ही चाहिये। तो जब कम्प्रीहेंसिब बिल आवे तब उस समय इस बात पर विचार किया जा सकता है कि किस हद तक वहां के हिस्सेदारों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। अगर २० एकड़ से ज्यादा की बात होती तब तो दूसरी चीज़ थी, लेकिन इसमें २० एकड़ तक ही की बात है। इस तरह से तो बहुत सिरतान बेदख़ल किये जायेंगे और इस कानून का सब मंशा ही खत्म हो जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार करके बड़ी हानि करनी होगी और जो भी उद्देश्य इस बिल का है उसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। इसलिये जो उनकी भावना है और जो उनका उद्देश्य है उनको सामने रखते हुये मुझे विश्वास है कि माननीय विष्ट जी इसको वापस ले लेंगे। जब कम्प्रीहिंसिव बिल आवे, उस समय आप इसको रखें। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने आप को माननीय गेंदा सिंह, माननीय उपाध्यक्ष जी व माननीय नारायण दत्त जी तिवारी के साथ पाता हूं। जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक़ है अगर यह संशोधन स्वीकार किया गया तो प्रायः सारे ही सिरतान बेदख़ल हो जायंगे। जो आंकड़े हमारे पास हैं, उनको देखने से मालूम होता है कि ३२, कुल खाते का ऐसा है जिसका रक़बा २० बी० सी० है। १६ रक़बा २० से २५ बी० सी० का है, और १६, २५ बी० सी० से ऊपर का है। एक बी० सी० एक एकड़ से कुछ ही कम होता है। तो जितने

[श्री चरण सिंह]

मध्यवर्ती खातेदार हैं, अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो फिर ९९ २/३ मध्यवर्ती अपने सिरतानों को बेदखल करने के मुस्तहक़ हो जायंगे। तो फिर जो आशय इस बिल को बनाने का है वह बेकार हो जाता है। मैं समझता हूं कि माननीय नरेन्द्र सिंह जी के सामने पहले ये आंकड़े नहीं थे। उनके सामने कुछ दो चार हार्ड केसेज थे जिनको उन्होंने सामने रखा। अगर उनके सामने कुमायूं डिवीजन की सारी तसवीर होती तो इस संशोधन को पेश नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूं कि वे अपने इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

*श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व वक्ताओं के भाषणों को सुना और मैं सोचता हूं कि वे लोग मेरी मंशा को एप्रिसिएट नहीं कर पाये। मेरा मंशा यह कभी भी नहीं था कि वहां के ज़मींदारों को इजेक्टमेंट करने का राइट दिया जाय। मैं तो सिर्फ उन्हीं के लिये इजेक्टमेंट करने का राइट चाहता था जो कि बहुत ही छोटे-छोटे नाममात्र के ज़मींदार, हैं जो दरअसल किसान ही हैं और जिनके पास एक एकड़, दो एकड़ या तीन एकड़ ज़मीन है। जब २० एकड़ की बात मैंने कही तो हर एक को हक़ था कि वह कहता कि वहां की हालत को देखते हुये २० एकड़ बहुत ज्यादा है। यह हो सकता है कि सदन कोई भूमि की मात्रा निर्धारित करता कि इतनी भूमि रखने का हक़ रहना चाहिये। मेरा ख्याल २० एकड़ का था, लेकिन वह कम भी किया जा सकता था। अगर ऐसा ही था तो सह सिद्धान्त रूप से मान सकते थे, वह मानते हैं, लेकिन कहते रहे कि ज़मीन कम है और प्रैक्टिकल नहीं है और ज़मीन कम की जा सकती है, जो मुनासिब समझा जाय वह रखा जाय। मैंने तो २० एकड़ का लक्ष्य इस उद्देश्य से रखा था कि वह ज़मीन कमाने वाले लोग ग़रीब किसान हैं, उनकी ज़मीन छीन कर सिरतान लाभ उठा जायं और ज़मीन के असली मालिक दुखी रहें। ऐसी अवस्था में मैं चाहता हूं कि वहां न बने। सिर्फ इसी मंशा से मैंने यह संशोधन रखा है। श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि क, ख और ग जो उपखंड (२) के अन्तर्गत हैं वे बेदखली का प्राविजन करते हैं। मेरी मंशा किसी को बेदखल करने की नहीं है। मैं भी प्रोग्रेसिव खयालात रखता हूं। जो ३ प्राविजन हैं उन पर मेरा ही एतराज़ है और मेरी मंशा यह नहीं है कि मैं वहां संशोधन करा कर बेदखली कराऊं। मैं चाहता था कि वहां के जो ग़रीब किसान हैं, विधवायें हैं या जो छोटी-छोटी नौकरियों में हैं उनके बच्चे भविष्य में अंधेरे में न पड़ जायं। इसी हेतु से यह संशोधन लाया था।

अस्कोट के बाद मेरी ही सबसे बड़ी ज़मींदारी पहाड़ में है और ३ पुश्तों से एक भी बेदखली मेरी ज़मींदारी में नहीं हुई है। क़ानून तो वहां के लिये आप आज बना रहे हैं। हम तो ३ पुश्तों से ऐसा ख्याल करते हैं कि कोई सिरतान बेदखल न होना चाहिये। जो ग़रीब किसान मेहनत करता है, अपना पसीना बहाता है वह ज़रूर ज़मीन का मालिक होना चाहिये। मैं उनकी बेदखली के हमेशा खिलाफ़ रहता हूं और मैं गेंदा सिंह जी को यक़ीन दिलाता हूं कि उनके साथ जितनी हमदर्दी उनको है उससे कहीं ज्यादा हमदर्दी उनकी हमको है। मंत्री महोदय ने जो कठिनाइयां वहां की बतलायीं और जो आश्वासन दिलाया कि जब वहां का व्यापक रूप से कानून आयेगा तो चीजों की चर्चा उसमें होगी। अब तक के जो वहां के आंकड़े हैं उनके अनुसार वहां ४२४ ज़मींदार ऐसे हैं जो ५ रुपया या उस से कम रक़म देते हैं और उनको ही ज़मींदार कहा जा सकता है और जो भूमि के मालिक कहला सकते हैं। मेरा मतलब उन छोटे काश्तकारों की रक्षा करने का है कि बड़े ज़मींदारों के जो सिरतान हैं उनकी बेदखली में जितने भी बन्धन डाले जायं वह डालने चाहिये। मैं इसमें श्री गेंदा सिंह जी का साथ देने के लिये तैयार हूं। इन शब्दों के साथ मंत्री महोदय ने जैसा कि बतलाया कि अड़चनें हैं और अभी वह मंशा पूरी नहीं होती, उन बातों का ख्याल करते हुये मैं अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से जो छपा हुआ है, उसकी दूसरी पंक्ति में ४ शब्द "उत्कर्ष" के बाद में और जोड़ना चाहता हूं। वह शब्द हैं "वह भूमि पर खड़ी फसल।"

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई न्यायालय बेदखली करते समय काश्तकार के द्वारा भूमि पर सम्पन्न किये गये उत्कर्ष व भूमि में खड़ी फसल का नियमों के अनुसार उचित मुआवजा देने की व्यवस्था भी करेगा।"

श्रीमन् जहां तक सिरतानों की बेदखली का प्रश्न है आज तक कस्टमरी ला के अनुसार भी इम्प्रूवमेंट्स का मुआवजा देने की व्यवस्था रही है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान स्टावेल्स मैनुअल की तरफ ले जाऊंगा जहां पेज १०१ में पूरा परिच्छेद है "कम्पेंसेशन फार इम्प्रूवमेंट्स"। पेज १०२ के आगे चल कर उसी चेप्टर में कहा गया है :--

"After allowing for the length of time during which the Sirtan may have enjoyed the benefit of his improvements, there is no doubt regarding his right to compensation for such improvements, except perhaps in the case of dwelling houses.)"

और आगे चल कर ड्वेलिंग हाउसेज के बारे में एक रूलिंग भी दे दी गई है।--

In Jivanand vs. Puna of Vanargarh, Bonaraw.

"Mr. Rose, Commissioner, ruled on the 9th December 1887, if the house and cowshed are in the sirtan land, he (the landlord must pay compensation.)"

तो यह तो स्टावेल्स मैनुअल में आज तक होता चला आया। जो पुराने अधिकार चले आ रहे थे वे भी आप इस विधेयक में छीन रहे हैं। कस्टमरी ला के अनुसार पहले इम्प्रूवमेंट्स का मुआविजा मिलता था, अब इस विधेयक में बन्द हो जायगा। इसके सम्बन्ध में कुमायूं लाज कमेटी रिपोर्ट में है कि इजेक्टमेंट होते समय इम्प्रूवमेंट्स का मुआविजा मिलना चाहिये। टेहरी गढ़वाल में जो नियम लागू हैं उसमें भी बेदखली के समय ऐसी जमीनों के लिये बदला दिया जाना लिखा हुआ है। मैं आपका ध्यान टेहरी गढ़वाल राज्य के नियमों के पेज २५ की तरफ ले जाना चाहता हूं। २९ वीं धारा है। उसका हेडिंग है "बेदखली के समय तरक्की ऐसी जमीनों का बदला दिया जाना।" यानी वह अदालत जो बेदखली की आज्ञा दे उस असामी को बेदखल करने के समय दखल पाने वाले से उस तरक्की हैसियत भूमि का उचित बदला नियत कर के है। दिलायेगी। यह बिलकुल स्पष्ट टेहरी राज्य ऐक्ट में लिखा हुआ है और उस कमी को हमें पूरा करना। इसके साथ-साथ आज मान लीजिये कि किसी काश्तकार को बेदखल करने की बात हो जाय तो उस समय उसके खेत में धान की फसल खड़ी हो, आलू बोये हों या गेहूं की फसल खड़ी हो तो उस पर किसका अधिकार होगा? उस खड़ी फसल का मुआविजा अवश्य उन सिरतानों को मिलना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान टेहरी राज्य की तरफ दिलाऊंगा जैसा कि धारा २८ के अन्त में लिखा हुआ है और जिसमें कहा गया है। तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक में इम्प्रूवमेंट्स का और खड़ी फसल के कम्पेंसेशन का प्राविजन होना चाहिये।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय उप्पाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त जी ने टेहरी गढ़वाल और कुमायूं के कानूनों का हवाला देते हुये यह बतलाया कि जब बेदखली हो तो क्राप्स या इम्प्रूवमेंट्स का मुआवजा देने का जो पहले से कायदा था उसे वह मुआविजा मिलना चाहिये, लेकिन हम उसको ले कहां रहे हैं। कहां हम इस विधेयक के जरिये से उन कानूनों को

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

रिपील कर रहे हैं । सारे ऐक्ट जो हैं वे तो अपनी जगह पर हैं । श्री नारायण दत्त जी शायद यह समझते हों कि इस कानून के लाने से वह कानून रिपील होगा या इसमें अगर वह नहीं रक्खी जायगी क्राप और इंक्रीमेंट की बात तो क्राप और इंक्रीमेंट की बात नहीं रहती , यह उनका ग़लत ख़याल है । वहां पर जो भी पुराने कानून चल रहे हैं वह तो अपनी जगह पर रहेंगे । इसमें उस चीज को न जोड़ने से कोई नुक़सान नहीं हो जायगा । उन्होंने जो कानून पढ़े उन्हें तो मैं मानता हूं बल्कि अगर वह उनको न पढ़ते तो मैं खुद उनको पढ़ता और बतलाता कि यह पहले से बने हुये हैं, लेकिन वह तो खुद उनको समझ रहे हैं । इसलिये मैं नहीं समझता कि फिर इसमें कोई संशोधन लाने की क्या आवश्यकता है । उनको ख़त्म कर के यह नहीं बन रहा है । इसलिये उनका संशोधन बेमानी है और मैं समझता हूं कि वह समझ गये होंगे और इसे वापिस ले लेंगे ।

श्री गेंदा सिंह––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब कानून भाषी लोगों के मुंह से कुछ ऐसी बात सुनता हूं जिसको भुलवाना कहते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को आदमी भुलावा देता है तो कुछ ताज्जुब होता है । मेहरबानी कर के माननीय राजस्व मंत्री जी प्वाइंट आफ आर्डर न उठा दें, कम से कम जो कुछ कहता हूं उसे सुन लें । पिछले वर्ष ऐसे ही उन्होंने बनारस में एक हुक्म जारी कर दिया था कि २१९ गांवों में जमींदारी ख़त्म होगी और जमींदारी सरकार में वेस्ट करेगी । अब वहां पर जो किसान लैंड रिफार्म्स ऐक्ट की किसी धारा के मुताबिक बेदख़ल किये गये हों २३२ धारा के अनुसार वह मुक़दमा दायर कर के अपनी जमीन वापस ले सकते हैं । जो किसान बेदख़ल कर दिये गये थे वह अब अदालत में जा रहे हैं और अदालतें यह फैसला कर रही हैं कि सरकार ने जो कानून पास किया उस कानून में यह लिखा हुआ है कि लैंड रिफार्म्स ऐक्ट के मुताबिक़ यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट जो है उसके अनुसार वहां पर पटवारी काग़जात गांवों में बने हैं वहां पर ३२ दफा के अनुसार जमीन वापस ले सकते हैं । वहां कानून जो था वह रियासत का था । वहां पर मौजूदा टेनैंसी ऐक्ट को सिर्फ कह कर के कि चूंकि मौजूदा टेनैन्सी ऐक्ट है इसलिये काश्तकार के खिलाफ फैसला दे दिया । तो मैं कहता हूं कि इसको स्पष्ट करने में क्या हर्ज है । जहां कहीं भी देखा जाय किसी किसान को बेदख़ल करने की गुंजायश कानून में रख दी जाती है और उसी के साथ-साथ इस बात की भी गुंजायश रख दी जाती है कि अगर उसने कोई सुधार का कार्य उस जमीन पर किया हो तो उसका मुआविजा पाने का उसको हक़ होगा । अब यहां पर यह तो रख दिया गया कि अगर वह कोई कुसूर करता है, कोई भूल करता है , कानून के खिलाफ कोई काम करता है तो वह बेदख़ल किया जायगा लेकिन इतनी ही सफाई अगर इस बात की कर दी जाय कि वह अगर कोई इम्प्रूवमेंट का काम अपनी ज़मीन में किये हुये हैं तो उसकी क्षति पाने का उसको हक़ है, लेकिन जब माननीय राजस्व मंत्री जी के सभासचिव जी ने यह कहा कि वहां पहले से कानून बने हुये हैं और उसको हम रिपील नहीं कर रहे हैं तो मैं अपनी असमर्थता प्रकट करता हूं । वहां पर भी माल विभाग ने कितने कानून जारी किये हैं, वह भी मुझे नहीं मालूम है, उनको मालूम हो सकता है । मगर जब वहां पर आप एक कानून बना रहे हैं, जिसमें लोगों की भलाई होने वाली है तो यह आप की मेहरबानी होगी । अगर आप इसमें यह रख दें कि अगर किसी ने इम्प्रूवमेंट का काम किया होगा तो मुआविजा दिया जायगा ।

श्री गंगाधर मैठाणी––उपाध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । इस बात को सुनकर बड़ा ताज्जुब सा हुआ जब कि माननीय मौर्य जी ने यह कहा कि हम इसको रिपील करने नहीं जा रहे हैं और वहां के जो कस्टम्स हैं वह माने ही जायंगे । लेकिन जब हम खंड ३ के शुरू में देखते हैं तो उसमें यह लिखा है कि "इसके विपरीत किसी विधि अथवा रिवाज के होते हुये भी" इस प्रकार आप रिपील करने जा रहे हैं, लेकिन कहते यह है कि रिपील करने नहीं जा रहे हैं । तो हम इस काग़ज़ को ठीक माने या माननीय मौर्य जी ने जो तर्क दिया है उसको ठीक मानें । अगर वह कुछ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ओमीशन्स करता है तो वह दंडित होगा और इजेक्ट होगा। लेकिन अगर वह कुछ इम्प्रूवमेंट करेगा तो उसके लिये रिवार्ड नहीं दिया जायगा। यह कौन-सा तर्क है कुछ समझ में नहीं आया। अगर वह इजेक्ट हो जाता है तो जो कुछ वह मेहनत करता है उसका फल उसे मिलना चाहिये। इतना तो आप को स्वीकार ही करना चाहिये।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

हमने ऊपर संशोधन रखा है कि अगर कोई गौशाला या खाद आदि का प्रबन्ध करता है तो वह इम्प्रूवमेंट के अन्दर आता है। अगर वह कुछ ग़लती करता है तो उसके लिये दंडित कर दिया जायगा। लेकिन अगर कुछ तरक्की करेगा तो उसके लिये कुछ मुआविजा आदि नहीं मिलेगा, यह तर्क मेरी समझ में नहीं आता है और मैं समझता हूं कि इस तर्क से वहां के किसानों को बहुत लाभ भी नहीं होगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, अभी आपके तशरीफ लाने से पहले माननीय गेंदा सिंह जी तकरीर कर रहे थे। पहाड़ का मामला था और बनारस की तकरीर हो रही थी। कल से वह इस बात के दरपे हैं कि बनारस के मामले को जरूर उठाया जाय गो कि उसका कोई ताल्लुक़ इससे नहीं है और बनारस के मामले को उठाना ऐसा ही है कि छप्पर पर कूदने वाली भैंस की बात को कोई कहे। फिर भी अगर वह उस बात को उठाते हैं और कहते हैं तो मुझे उसका गिला नहीं है और न मैं उसका जवाब देना ही जरूरी समझता हूं।

श्री गेंदा सिंह---उसका जवाब कोई है ही नहीं।

श्री चरणसिंह---खैर, इसी से तसल्ली कर लीजिये। तसल्ली के लिए कुछ तो चाहिए, नहीं तो जिन्दा कैसे रहियेगा।

माननीय नारायणदत्त जी और माननीय मैठाणी जी की बाबत मेरे भाई बलदेव सिंह जी से यह मालूम हुआ कि दोनों एल-एल० बी० हैं, दोनों ने ला पास किया है। फिर भी मुझे उनके दयलायल से ताज्जुब हो रहा था। मसलन माननीय मैठाणी जी, इसके विपरीत किसी विधि अथवा रिवाज के होते हुए भी शब्दों का अर्थ यह लेते हैं कि वहां के सारे ला और रिवाज मेटे जा रहे हैं। आखिर इसमें कौन से शब्द से यह साबित होता है कि वहां के सारे रिवाज, सारे कानून, लैन्ड मैनुअल और स्टावल का कोड, सब ऐब्रोगेट (मेटे) किये जा रहे हैं या मन्सूख हो रहे हैं। उसमें यही है कि बावजूद किसी ला या कस्टम को कुछ सूरतों को छोड़ कर कोई आदमी बेदखल नहीं होगा। अगर इससे यह नतीजा लगाया जाय कि सब कस्टम्स और ला मंसूख हो गये तो उसका इलाज यही है कि समझदार को आखिर में चुप होना पड़ता है। यह तो वहां के टेनेंसी के और लैन्ड टैन्योर के रूल्स हैं और कुमायूं डिवीजन का जो मैनुअल बना हुआ है (रूल्स ऐन्ड आर्डर्स रिलेटिंग टु कुमायूं डिवीजन) उसमें रूल्स भी दे रखे हैं। इसके मातहत कुछ नियम वगैरा बने हुए हैं कि इम्प्रूवमेंट के लिये अथवा जो क्राप खड़ी हुयी हो उसमें कोई नुक्सान हो गया हो तो उस सब के लिये प्रतिकर दिया जायगा। तो वह इससे मंसूख नहीं होता, वह चीज कायम रहेगी। तो इसलिए यह संशोधन बिलकुल गैर-जरूरी है। वह बात इतनी सादी है कि सिवाय इसके कि मैं यह कह दूं कि ऐसा नहीं है और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या दलील दूं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के स्पष्टीकरण के बाद मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री गंगाधर मैठाणी---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं जो संशोधन पेश करता हूं वह इसमें जो छपा है उससे कुछ भिन्न है कि खंड ३ के उपखंड (२) के उपभागों के अन्त में अथवा पहले निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :---

"परन्तु कोई व्यक्ति यदि बकाया लगान की डिग्री होने के बाद एक वर्ष के अन्दर लगान की अदायगी कर दे तो उसकी बेदखली नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीधा सवाल है कि अगर कोई लगान नहीं देगा और उसके ऊपर डिग्री हो जाता है तो वह एकदम आउटराइट इजेक्ट नहीं होगा बल्कि उसे कम से कम एक वर्ष का मौका दे दिया जाय ताकि वह बकाया लगान दे सके। स्टावेल मैनुअल में भी यही बात लिखी है.....

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। जो संशोधन अभी मैठाणी जी उपस्थित कर रहे हैं वह असंगत है क्योंकि इसमें क्रम संख्या ९ पर बिल्कुल इन्हीं शब्दों के साथ एक संशोधन स्वीकृत हो चुका है, इसलिये अब यह संशोधन नहीं आना चाहिये।

श्री गंगाधर मैठाणी---ठीक है। यह उसके विरुद्ध तो नहीं पड़ता है, उसी के समान है, इसलिए मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं इसको अवैध करार देता हूं, इसलिये वापसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं---

खंड ३ में एक नया उपखंड (३) निम्नलिखित प्रकार से जोड़ दिया जाय :---

"(३) खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ख) और (ग) के अधीन बेदखली के बाद यदि काश्तकार भाग (ख) के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति और भाग (ग) के अधीन अपने पट्टेदार या शिकमी के तत्काल बेदखल करने का प्रार्थना-पत्र निर्णय के पूर्व वाद-विचारपति को दे तो बेदखली की आज्ञा न होकर केवल खर्चे की डिग्री मात्र होगी और उसी वाद के सम्बन्ध में पट्टेदार या शिकमी की बेदखली की आज्ञा न्यायालय दे देगी तथा क्षतिपूर्ति का एक समय निर्धारित करेगी यदि समय के भीतर क्षतिपूर्ति न हुयी तो काश्तकार बेदखल कर दिया जायगा।"

काश्तकार तीन तरह से बेदखल किये जाते हैं। उसमें एक वह हैं जो लगान नहीं देते हैं उस दिशा में वह बेदखल होते हैं। उस सम्बन्ध में इस सदन ने अपना हाथ बढ़ाया है और बेदखली की आज्ञा से एक वर्ष के भीतर अगर वह लगान दे दे तो बेदखल नहीं होगा। और इसके उपरान्त दूसरे वह हैं जो हानिकारक कार्य करते हैं अपनी जायदाद के अन्दर। यह तो खंड ३ के उपखंड (२) के उपखंड (ख) के बारे में है। जैसे यदि कोई काश्तकार अपने खेत से मिट्टी निकाल ले, भट्टा लगवा ले या और कोई काम कर ले जिससे खेत को नुकसान पहुंचता हो तो तत्काल उसको बेदखली की आज्ञा दी जायगी और जिन शब्दों में यह नियम बने सिवाय बेदखली के और कोई सूरत नहीं रहेगी। उसकी रक्षा के लिए ऐसी दशा में न्यायालय आज्ञा दे सकता है कि वह क्षतिपूर्ति कर दे तो बेदखल नहीं होगा सिर्फ दावे के खर्चे की डिग्री होगी।

ऐसे ही तीसरी बात है कि इसमें रिट्रास्पैक्टिव अफेक्ट नहीं दिया गया है। क़ानून में पहले से जो दे रखा है शिकमी या पट्टे पर उनको समय नहीं दिया जा रहा है, वह बेदखल करें या अपने खेत निकाल लें। इससे उनकी रक्षा हो जाती है। इस प्रकार यदि वाद लाया गया तो कह सकते हैं कि यह बेदखल कर दिये जायं। इसके होने से ठीक हो जाता

है। मैं समझता हूं कि ज्यादा विस्तार के साथ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे राजस्व मंत्री जो इसको स्वीकार कर लेंगे क्योंकि यह संशोधन बहुत ही अच्छा है और ऐसा क़ानून था भी और मेरा खयाल है कि १९२६ में यह था तो कोई कारण नहीं है कि कुमायूं के काश्तकारों को यह लाभ क्यों न पहुंचे। सिर्फ क्षतिपूर्ति हो जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन रखता हूं और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, यह मुझे स्वीकार है। लेकिन एक लफ्ज के बाबत मुझे संदेह हो रहा है। वह यह है कि इसकी चौथी पंक्ति में जो "तत्काल" शब्द है। इसके देखने की बात है कि आया इस शब्द की आवश्यकता है या नहीं। इस पर प्रस्ताविक महोदय विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष---यह अनावश्यक मालूम होता है।

श्री रामलखन मिश्र---अध्यक्ष महोदय, मैं इसको वापस लेता हूं। मेरा खयाल यह था कि इसी वक्त हो जाय। जब यह नियम बनेंगे तब देख लिया जायगा इस समय तो मैं इसको वापस ले रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अध्यक्ष महोदय, मेरे भी दो शाब्दिक संशोधन हैं। जहां पर इस संशोधन की पहली पंक्ति में "ख और ग" के बीच में जो यह शब्द "और" आया है उसको निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "या" शब्द रख दिया जाय।

जैसे कि खंड ३ के उपखंड (२) के (ख) और (ग) रखे गये हैं उसके अनुसार दोनों एक साथ एप्लाई होंगे। इसलिये यदि शब्द "या" रखेंगे तो एक साथ एप्लाई होंगे वरना यदि "और" रखेंगे तो अलग अलग हो जायेंगे। मुझे आशा है कि मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री चरणसिंह---श्री रामलखन जी का जो आशय है वह मुझे स्वीकार है, लेकिन शब्दों में जरा सा गड़बड़ है। आप इसको मुल्तवी कर दें। थोड़ी देर बाद यह पेश होगा। इसके बाद द्वारका प्रसाद जो मौर्य ने जो पेश किया है उसे मैं ज्यादा उपयुक्त समझता हूं।

श्री अध्यक्ष---श्री रामलखन मिश्र, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? और आपने नारायण दत्त जी का सुझाव सुन लिया।

श्री रामलखन मिश्र---मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैंने वह सुझाव भी सुन लिया।

(विचार स्थगित किया गया)

नया खंड ३-क

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निम्न-लिखित खंड ३-क के रूप में बढ़ा दिया जाय---

"३-क---जब धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (ख) में वर्णित आधार पर न्यायालय किसी काश्तकार की बेदखली की आज्ञा दे तो वह यह भी आदेश देगा कि अगर काश्तकार डिक्री के दिनांक से ३ मास के भीतर या ऐसी अन्य अवधि के भीतर, जिसको न्यायालय लिखित कारणों के आधार पर अनुमति दे, क्षतिपूर्ति कर दे (repairs the damage) तो वह डिक्री केवल वाद-व्यय की वसूली के लिए निष्पादित की जा सकेगी अन्यथा नहीं"।

तो इसमें कोई विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। आशय यह है कि जो डिग्री होगी बेदखली की, तो उसमें कोर्ट यह भी आर्डर साथ-साथ दे देगी कि ३ महीने या इस से अधिक टाइम में, जिसको कोर्ट मुकर्रर कर दे, अगर वह क्षतिपूर्ति हो जाय तो उस अवधि के भीतर क्षतिपूर्ति होने पर बेदखली नहीं होगी। यह कोर्ट को अधिकार दिया जा रहा है ताकि उस अधिकार के जरिये से कोई टाइम कोर्ट देना चाहे किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, और क्षतिपूर्ति कराना चाहे तो वह अधिकार रहे। और ऐसा करने पर वह बेदखली नहीं होगी। इसी आशय का संशोधन है और मैं समझता हूं कि विरोधी लोग इसको अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री गेंदासिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मौर्य जी के संशोधन में दो सुधार चाहता हूं। मैं समझता हूं कि उसे माननीय मौर्य जी स्वीकार करेंगे।

एक तो जहां पर ३ महीना है, वहां ६ महीना कर दिया जाय। दूसरा यह कि जहां पर यह है "कि डिग्री के दिनांक से तीन महीने के भीतर या ऐसी अन्य अवधि के भीतर जिसकी न्यायालय लिखित कारणों के आधार पर अनुमति दे" तो इसके बाद जो शब्द आये हैं कि "क्षति पूर्ति कर दे", उसके स्थान पर यह रखा जाय कि "बेदखली के कारण दूर कर दिये जायं" क्योंकि "क्षति पूर्ति" करदे, वहां बड़ा वेग लफ्ज है। और किस तरह से वह करेगा ? रुपये की शक्ल से करेगा या किस शक्ल से करेगा ? जहां तक हमको यहां के पहले के काश्तकारी क़ानूनों की जानकारी है, जो यहां लागू थे, उनमें हमेशा इस तरह के गैरक़ानूनी तरीके पर जो पट्टे किये जाते थे, या शिकमी पर दिये जाते थे उन केसेज में फैसला देते समय अदालतें कुछ दिन का समय देती थीं और वह उस समय के भीतर अगर उस बेदखली के कारण को जिस कारण से कि वह किसान बेदखल किया जाता था वह कारण अगर दूर कर दिया जाय तो फिर वह बेदखली इजराय डिग्री के लिए नहीं की जाती थी और उस डिग्री में यही लिखा जाता था कि इतने दिन के भीतर उस कारण को दूर कर दिया जाय और फिर इजराय कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी तो मैं समझता हूं कि यह शाब्दिक हेरफेर है और इस शाब्दिक हेरफेर से बहुत तबालत परेशानी बच जायगी। दूसरी चीज यह है कि ३ महीने के बजाय ६ महीना रख दिया जाय। जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसे तमाम क़ानूनों में ६ महीने से कम की अवधि नहीं दी जाती तो यह पहाड़ का मामला है जहां पर कि डाकखाने भी नजदीक नहीं हैं। लोगों को अदालत तक पहुंचने में भी काफी दिक्कत होती है तो फिर यह ६ महीने की अवधि देना कोई अनुचित बात न होगी और इससे लोगों को कोई नुक्सान भी नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस शाब्दिक हेरफेर को स्वीकार कर लेंगे। इससे बहुत से लोगों को राहत मिल जायगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन्, जहां तक इस संशोधन के खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ख) का संबंध है मैं माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। लेकिन मुझे एक बुनियादी एतराज है माननीय मौर्य जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर और वह यह है कि उन्होंने उपखंड (ग) के बारे में कुछ भी नहीं रखा है जबकि माननीय रामलखन जी के संशोधन में केवल उपखंड (ख) के ही बारे में नहीं बल्कि (ग) के बारे में भी था जिसके बारे में माननीय राजस्व मंत्री जी ने 'तत्काल' शब्द को निकलवाया। उसको करीब-करीब चरणसिंह जी ने स्वीकार कर लिया था और उन्होंने यह कहा था कि मौर्य जी का भी संशोधन करीब-करीब ऐसा ही है। तो भाग (ग) का संशोधन नहीं आया। मैं समझता हूं कि भाग (ग) का भी संशोधन आ जाता तो अच्छा था।

श्री अध्यक्ष---वह तो स्वतंत्र है। मैं समझता हूं कि मौर्य जी का संशोधन स्वीकार होने पर भी वह आ सकता है।

श्री चरणसिंह---जी हां, आ तो सकता है लेकिन वह ठीक नहीं रहेगा। उसमें दिक्कत रहेगी। रामलखन जी तो वापस ले रहे हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय गेंदासिंह जी ने जो तीन महीने की जगह पर ६ महीने की बात कही तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें है कि तीन महीने के भीतर या ऐसी अन्य अवधि के भीतर जिसकी न्यायालय अनुमति दे। तो अगर जरूरत होगी तो ६ महीने, ९ महीने या साल भर भी वह दे सकता है। इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरे जो कारण दिये गये हैं बकाया लगान के बारे में तो एक वर्ष की अवधि निर्धारित कर दी गयी है। उसका सवाल रह नहीं जाता। जहां तक डेट्रिमेंटल ऐक्ट का ताल्लुक है उसके

लिए यह हमारा संशोधन काफी है। सिरतान को पट्टे पर उठाने के लिए वह भूमि न दी गयी है और न वहां पर वह पट्टे पर उठायी गयी है। इसलिये वह अनावश्यक है और जो हमारा संशोधन है वह काफी है और उनकी रक्षा करता है।

श्री अध्यक्ष---(श्री गेंदा सिंह के खड़े होने पर।) आप कुछ पूछना चाहते हैं ?

श्री गेंदा सिंह---पूछना तो नहीं चाहता हूं, कुछ दरख्वास्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---भाषण तो अब आप नहीं दे सकते।

श्री नारायण दत्त तिवारी---मैं पूछना चाहता हूं। श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि अभी-अभी जब माननीय राजस्व मंत्री जी ने भाग (ग) के बारे में एक संशोधन स्वीकार कर लिया था तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता ५ मिनट के अन्दर आ गयी कि उस संशोधन को अब अस्वीकार कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि टेकनिकल शब्दों की बात है, अगर क़ानूनी दृष्टि से देखा जाय तो मैंने कहा था कि मैं उनके आशय से सहमत हूं। संशोधन मैंने स्वीकार नहीं किया था। मैंने कहा था कि मैं उनके आशय से सहमत हूं। दूसरी बात यह है कि यह संशोधन, जिसका मुझे ख्याल था कि रामलखन मिश्र जी का है, वह संशोधन गलत है। द्वारका प्रसाद मौर्य जी ने एक संशोधन दिया था। मेरा ख्याल है कि वह छपा नहीं। मैं समझा कि वही छप गया है। इसलिए मैंने उसको कह दिया। लेकिन उसमें दोष है। इसलिये वह स्वयं ही उसको वापस ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---दोष क्या है ?

श्री चरणसिंह---एक तो शब्दों की बात है मसलन "तत्काल" वगैरह है। दूसरी चीज यह है कि उसमें (ग) को जो कहा है, अगर वह सब्लेट कर दें तो भी मौका दिया जाय, अपने सब्लेसी को बेदखल करा ले। यह है (ग) में। तो असल में मिश्र जी के संशोधन में यही होगा कि उसको मौका मिल सके। लेकिन उसमें बड़ी कठिनाई होती है। एक दफा यू० पी० टिनेंसी ऐक्ट में यही रखा गया था कि मौका दिया जाय या तो वह सब-टिनेंट जमीन छोड़ दे तो साबित किया जाय कि जरूरत है या नहीं। फिर मुकदमा चले। या दावा दायर कर दे तो तीन साल तक दावा होता रहे, हाई कोर्ट में जाकर तय हो। तो वह तीन महीने या छः महीने की मियाद बेमानी हो जाती है। इसलिए उसको बेदखल करने का मौका दिया जाय। यह अव्यावहारिक बात है। इसलिए कि सिरतान खुद टिनेंट या टिनेंट एट विल होता है, वह खुद किसी दूसरे सबटिनेंट को दे, इस तरह के हजारों में दो चार केसेज हो सकते हैं। उसके वास्ते कहा जाता है कि वह हरिजन है, गरीब है, वह सबलेटिंग करेगा ही नहीं। इसलिये व्यवहार में भी ऐसे मामले बहुत कम होंगे। इसलिये मैंने गलतफहमी में आकर कह दिया था कि स्वीकार करता हूं। मैंने समझा था कि वही संशोधन है जो कि मौर्य जी ने दिया है। लेकिन वह छपा नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न काफी हो चुके।

श्री नारायण दत्त तिवारी---एक ही और है। श्रीमन्, जब माननीय माल मंत्री और राजस्व सचिव दोनों मानते हैं कि भाग (ग) के अनुसार कोई शिकमी पट्टे पर नहीं हो सकता तो (ग) की आवश्यकता ही क्या है ?

अध्यक्ष---इसका जवाब देने के लिए मैं मंत्री को तकलीफ नहीं दूंगा।

[श्री अध्यक्ष]

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य का संशोधन यह है--

निम्नलिखित खंड ३-क के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"३-क--जब धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (ख) में वर्णित आधार पर न्यायालय किसी काश्तकार को बेदखली की आज्ञा दे तो वह यह भी आदेश देगा कि अगर काश्तकार डिग्री के दिनांक से तीन मास के भीतर या ऐसी अन्य अवधि के भीतर जिसकी न्यायलय लिखित कारणों के आधार पर अनुमति दे, क्षतिपूर्ति कर दे (repairs the damage) तो वह डिग्री केवल बाद व्यय की वसूली के लिए निष्पादित की जा सकेगी अन्यथा नहीं।"

इसमें यह संशोधन श्री गेंदा सिंह जी ने दिया है "तीन मास" की जगह "छः मास" कर दिया जाय और "क्षतिपूर्ति कर दे" के स्थान पर "बेदखली का कारण दूर कर दिया जाय" रख दिया जाय ।

प्रश्न यह है कि श्री गेंदा सिंह जी का उपरोक्त संशोधन स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री द्वारका प्रसाद जी ने पेश किया है वह स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि नया खंड ३-क इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गेंदा सिंह--३ को मंजूर करा लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष--खंड ३ को अभी मंजूर नहीं कराया गया है । अब मैं ३ को लेता हूं । उन्होंने उसको रोक रखा था । उसमें दो संशोधन हैं सातवां और सोलहवां । ६ वां तो आपने वापस ले लिया था ।

प्रश्न यह है कि श्री राम लखन जी को संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ की प्रथम पंक्ति में शब्द "किसी विधि अथवा रिवाज क" के स्थान में शब्द "किसी विधि, रिवाज अथवा संविदा के" रख दिये जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४

काश्तकारों द्वारा शिकमी पट्टे पर उठाना ।

४--किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, कोई काश्तकार अपने खाते का सम्पूर्ण या उसका कोई भाग शिकमी पट्टे पर न उठायेगा सिवाय जबकि पट्टा देने वाला (lessor) :--

(१) कोई अविवाहिता स्त्री हो, अथवा यदि विवाहिता हो, तो उसे तलाक दे दिया गया हो अथवा वह अपने पति से पृथक हो गयी हो या विधवा हो,

(२) अवयस्क (minor) हो जिसका पिता मर गया हो,

(३) ऐसा व्यक्ति हो जो किसी मान्यता प्राप्त (recognised) संस्था में अध्ययन कर रहा हो और जो २५ वर्ष से अधिक अवस्था का न हो,

(४) पागल या जड़ (lunatic or idiot) हो,

(५) ऐसा व्यक्ति हो जो अंधेपन अथवा अन्य शारीरिक दुर्बलता के कारण खेती करने में असमर्थ हो,

(६) संघ की सैनिक, नौसैनिक या वैमानिक सेना में नौकर हो, या

(७) तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये कारावास का दंड भोग रहा हो,

किंतु प्रतिबंध यह है कि ऐसे खाते की दशा में जो एक से अधिक व्यक्ति के अधिकार में संयुक्त रूप से हो, यह अपवाद प्रवृत्त न होगा जब तक कि ऐसे सभी व्यक्ति पट्टे के आरम्भ होने पर उपर्युक्त किसी एक या अन्य अयोग्यता से बाधित न हों।

श्री सत्यसिंह राणा--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर उपखंड (१) निम्नप्रकार रख दिया जाय :-

"कोई ऐसी स्त्री हो जो अपने पति से पृथक हो गयी हो या विधवा हो।"

श्रीमन्, तो इस बिल का खंड ४ इस तरह से हो "किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, कोई काश्तकार अपने खाते का सम्पूर्ण या उसका कोई भाग शिकमी पट्टे पर न उठायेगा सिवाय जबकि पट्टा देने वाला कोई अविवाहित स्त्री हो, या तो उसे तलाक दिया गया हो अथवा वह अपने पति से पृथक हो गयी हो या विधवा हो।"

श्रीमन्, जैसा कि बिल की मंशा है यह बिल्कुल एक टेम्पोरेरी मेजर है। उसमें औरतों को या काश्तकारों को सबलेट करने का हक नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ सूरतें इस खंड ४ में दी गयी हैं जिन की पहली सूरत यह है जो मैंने पढ़ी। लेकिन इसके अन्तर्गत दो एक बातें मेरी समझ में नहीं आयीं और मैं उस संबंध में माननीय मंत्री जी से वेरिफिकेशन चाहूंगा। यह तो समझ में आने की बात है कि कोई औरत, कोई विधवा स्त्री हो जो उस पर काबिज हो तो वह उसे सबलेट कर सकती है, क्योंकि उसके औलाद न होने के कारण वह स्त्री अपनी पति की जायदाद पर पूरा राइट रखती है। यह भी मानने की बात है कि किसी पुरुष के दो स्त्रियां हैं या एक हो और वह अपने पुरुष से पृथक रहती है तो उसका अधिकार पति में निहित है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि कोई अविवाहिता स्त्री हो या जिसने तलाक प्राप्त कर लिया हो तो वह किसी प्रकार औरतानी राइट प्राप्त कर सकती है और जमीन पर काबिज हो सकती है। उसके लिये एक सूरत हो सकती है कि यदि कोई औरत मरती है और उसके लड़की है तो यह बात मानी जा सकती है कि उसको सक्सेसन का राइट हो जाय और लड़की उस पर काबिज हो जाय लेकिन इस विधेयक के अन्तर्गत ऐसी बात तो है ही नहीं। तो जब उसको सक्सेशन का राइट नहीं है उस जमीन पर तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि इसके अन्तर्गत अविवाहिता स्त्री के लिये कैसे सवाल उत्पन्न हो सकता है। यदि इसके माने यह हैं कि यदि कोई स्त्री अपने मायके रह कर अविवाहिता रहे और शादी न करे और मायके वाले या दीगर आदमी रहम के वश में उसको कुछ जमीन खाने कमाने के लिये दें ताकि वह गुजारा कर सके तो कुछ हद तक यह मान सकते हैं कि वह काश्तकार है। इसी प्रकार से, अगर किसी स्त्री ने अपने पति से तलाक ले लिया और उसको किसी ने यह देख कर कि यह असहाय है इसके पास कोई जरिया नहीं है कि जिससे गुजारा कर सके तो उसको कुछ जमीन दे दी तो तब भी वह काश्तकार हो सकती है। इस बिल के अन्तर्गत

[श्री सत्यसिंह राणा]

हमने अविवाहिता स्त्री को, तलाक शुदा स्त्री को अधिकार दिया है कि वह शिकमी पर उठा सकती है। तो अगर अविवाहिता स्त्री या तलाकशुदा स्त्री उस जमीन को लेटआउट कर देती है और उसके बाद वह किसी दूसरे घर में चली जाती है और शादी कर लेती है तो फिर उस जमीन का क्या होगा? इसके बारे में इस खंड ४ में क्लीयर नहीं है। यानी ऐसी अवस्था में पट्टे की मियाद खत्म होने पर वह जमीन लेसर को जायगी। तो तब तो वह बेचारा जिसने नया के वशीभूत हो कर उसको जमीन दी थी वह उस जमीन से महरूम हो जायगा। ऐसी दृष्टि से मेरे विचार से यदि कोई और मतलब न हो तो मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुये यह अर्ज करूंगा कि अविवाहिता स्त्री और तलाकशुदा स्त्री का सवाल बिलकुल बेकार है और इसको अलग कर दिया जाय।

श्री चरणसिंह--अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय राणा जी को क्या आपत्ति है। जमींदारी उन्मूलन व भूमि व्यवस्था ऐक्ट में भी हमने ऐसे भूमिधर और सीरदार को हक दिया है कि जो विवाहिता है या अपने पति से पृथक हो गयी है या पति ने उनको त्याग दिया है या उनकी शादी नहीं हुई है। मान लीजिये कि एक शख्स मर गया और वह लड़की छोड़ जाता है और उस लड़की की शादी नहीं हुई है तो वह लड़की खुद तो खेती नहीं कर सकती है। तो वह अनमैरिड वोमेन में आजायगी और जब उसकी शादी हो जायगी तो उसको खेती करने वाला मिल जायगा। अगर किसी को में लड़की को हक नहीं पहुंचता है तो उसका सवाल नहीं पैदा होता है, लेकिन जहां पर लड़की को बाप का हक पहुंचता है और लड़की की शादी उस समय तक नहीं हो पायी है उसको हक दिया जा रहा है और जब उसकी शादी हो जाय और फिर अगर पति उसको छोड़ दे या स्त्री तलाक दे दे तो इन दोनों हालतों में गुजारे के लिये इन्तजाम प्रोवाइड किया गया है। एक और चौथी हालत है कि जब पति संसार से उठ गया हो तो उस हालत में भी हमने उसके लिये गुजारा प्रोवाइड किया है। तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि क्या आपत्ति हो सकती है।

श्री सत्यसिंह राणा--मैं उसका कैलरिफिकेशन चाहता था, माननीय मंत्री जी से, लेकिन अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। अगर कोई आदमी ला औलाद हो और उसके एक स्त्री हो और उसको हक हासिल हो तब तो उसका राइट हो गया। तो यहां पर यह सवाल टेनेन्ट का है। इसका कलैरिफिकेशन चाहता हूं। जब उसको हक है कि वह सबलेट कर सकती है लेकिन अगर वह टेनेन्ट खुद है तो उसके लिये किस प्रकार की सूरत होगी।

श्री चरणसिंह--मैं बहुत जरा तो समझ नहीं पाया लेकिन जितना भी समझ पाया वह यह कि राणा जी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वह शख्स मर गया तो उसको हक है ही। मां बाप दोनों मर गये और लड़की रह गई और उसको जमीन पहुंच गई। वह खेती नहीं कर सकती है और शादी भी उसकी नहीं हुई। तो इसलिये अनमैरिड वोमेन के लिये प्रोवाइड करना जरूरी हुआ। तो उसमें आपत्ति क्या है, यह मेरी समझ में अभी तक बिलकुल नहीं आया है।

श्री गैंदासिंह--अध्यक्ष महोदय, यहां "अविवाहिता स्त्री" लिखा है। मालूम होता है कि इस लिये यह भ्रम पैदा हुआ है क्योंकि "पहले कानून में "बिना ब्याही लड़की" लिखा है। तो अगर यहां "अविवाहिता लड़की" लिख दिया जाय तो वह दिक्कत दूर हो सकती है।

श्री चरणसिंह--मैं आप की आज्ञा से जमींदारी ऐक्ट की दफा १५७, अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं। इससे स्थिति साफ हो जायगी। यह दफा १५७ जमींदारी ऐक्ट की है।

"A bhumidar or an assami holding land in lieu of maintenance allowance under sub-clause (5)(*a*) of section 133 who is an unmarried woman; if married, divorced or separated from her husband or a widow."

तो बिलकुल वही शब्द यहां रख दिये गये हैं।

श्री सत्यसिंह राणा--मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय:—

"स्पष्टीकरण—किसी विवाहिता स्त्री के अपने पति से पृथक होने का तात्पर्य किसी न्यायालय के फ़ैसले द्वारा अथवा रीतिसंगत आधार (रिवाज के अनुरूप) पृथक्करण से है।"

श्रीमन्, हमारे विधेयक के भाग १ में लिखा है कि अगर कोई पट्टा देने वाला कोई अविवाहिता स्त्री हो, अथवा यदि विवाहिता स्त्री हो, उसे तलाक दे दिया हो अथवा वह अपने पति से पृथक हो गई हो या विधवा हो। अपने पति से पृथक हो गई हो, यह टर्म बहुत परेशानी में डाल देने वाली मानी जा सकती है क्योंकि पति से पृथक होने का अर्थ हो सकता है कि वह दूसरे पति के पास गई है। अगर दूसरे के पास गई है तो वह उसकी एस्टेट को पट्टे पर उठा नहीं सकती। जो अपने पुराने पति को छोड़ कर चली गयी है उसको क्या अधिकार है, इसके बारे में दो चीजें हो सकती हैं। एक तो यह कि कानूनी दृष्टिकोण से वह पृथक्करण हुआ हो और कानूनी फैसले में यह बताया गया हो कि उसको किस जमीन पर अधिकार होगा। इसलिये मैंने अपने संशोधन में यह लिख दिया है न्यायालय का फैसला हुआ हो।

दूसरी बात यह है कि कुमायूं के कस्टमरी लाज़ बहुत ही अनोखे हैं और बहुत विस्तृत हैं। इस संबंध में मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री जी के पास ऐसी किताब है या नहीं। इसका नाम है "कुमायूं लोकल कस्टम्स बाई पन्ना लाल आई० सी० एस०"। मैं उनकी तवज्जह उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। उसके पेज ५ में यह लिखा हुआ है —

"42. A dhanti may be taken from any Hindu caste. No ceremonies are essential or even usual at the time of taking a dhanti. The connection is of almost a permanent character. If the wife of another is taken, a another is taken, a price is generally a paid for her "jewellery and other marriage expenses" and a deed of disclaimer (La Dava) is generally executed by the husband but is not essential"

इससे यह नहीं मालूम होता कि यह मामले इसमें आते हैं या नहीं। यहाँ लादावा का जिक्र होना चाहिये था लेकिन ऐसा नहीं है। खाली यहाँ लिख दिया गया है—आगे चल कर इसके पेज ७० में ढ़ाटा का जिक्र है। उसके बारे में लिखा हुआ है—

"In castes mentioned in list A, which do not recognize dhanti relations as legitimate, a dhanti wife will not get anything except maintenance in any circumstance."

केवल मेंटेनेंस ही उसको प्राप्त होगा। सिरतान के अधिकार उसको प्राप्त नहीं होते हैं। इसको भी यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिये था कि इसका क्या मतलब हो सकता है। इसके साथ ही पेज ८५ में बिलकुल साफ़ कर दिया गया है :—

"No one will suggest for a moment that a woman who deserted one husband and went to live with a second would on the latter's death be entitled to any consideratoin—share or maintenance—out of the first husband's estate."

इतना स्पष्ट कुमायूं ला में लिखा हुआ है। अगर आप ने इसको रखा ही है तो आप को यह स्पष्ट करना चाहिये था। अगर यह स्पष्ट नहीं करते तो इसको न रखते। नहीं तो कस्टमरी ला से यह विरोध में हो जायगा। इसीलिये मैंने अपने संशोधन में यह लिखा है कि वह "सेपरेशन कस्टमरी या जुडीशियरी ढंग से हुआ हो"। नेनीताल बार एसोसिएशन ने क़रीब-क़रीब

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

यहां राय दी थी। उनकी राय काम की थी और अनुभवपूर्ण थी। यह बिलकुल सही है। मैंने पन्ना लाल के कस्टमरी ला को बड़े ध्यान से पढ़ा है और मैं समझता हूं कि इसके बारे बार एसोसियेशन को जो ओपोनियन है वह ठीक थी। उसी का जिक्र मैंने अपने संशोधन में किया है।

*श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। माननीय तिवारी जी ने सम्भवतः इस खंड का अर्थ पूरी तरह से जांचा नहीं। उस खंड का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो, चाहे ऐसा व्यक्ति हो जो स्वयं काश्त नहीं कर सकता, उसको अधिकार देता है कि वह पट्टे के द्वारा दूसरों से काश्त करा सके। यही इस खंड का तात्पर्य और उद्देश्य है। तिवारी जी ने जो अपना संशोधन रखा है अगर वह मान लिया जाय तो स्त्री के अधिकार बहुत सीमित कर दिये जायंगे। उनके संशोधन का तात्पर्य यह है कि वह स्त्री इससे लाभ उठा सकती है, जिसका या तो किसी कचहरी के द्वारा सेपरेशन हुआ हो या कुमायूं के रीति और रिवाज के अनुसार अपने पति से पृथक हुई हो। जहां तक हिन्दू धर्म शास्त्र का संबंध है, रीति और रिवाज को छोड़ते हुये विवाह एक ऐसा बंधन है जो टूट नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में स्त्री साथ न रहे तो स्त्री को अधिकार हो जाता है कि वह दावा करे और जिसके द्वारा पति से अपने रहने के लिये मेंटिनेंस मांग सकती है। लेकिन वह मेंटिनेंस उसी समय मांग सकती है जब कि वह कानूनी बातें जो उसके लिये आवश्यक हैं वे हों। अर्थात् स्त्री दोषी न हो बल्कि पुरुष दोषी हो। जहां तक जुडीशियल सेपरेशन का ताल्लुक है हिन्दू विवाह से उसका कोई संबंध नहीं है और हमारे यहां विवाह चाहे वह रीतियों के द्वारा संबंधित हो या धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह हो उसके अन्दर जुडिशियल सेपरेशन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यह तो इंस्टीट्यूशन आफ कंजुगल राइट्स हैं। तो जहां तक तिवारी जी ने पहला शर्त लगाया है कि कचहरियों द्वारा निर्णय हो, वह बिल्कुल असंगत है। दूसरे जो रीति और रिवाज के अनुसार स्त्रियों को अलग रहने का अधिकार है वह भी जैसा कि मैंने निवेदन किया कि कुमायूं में भी जो रीति है उसके अनुसार भी यदि स्त्री पति से अलग रहे तो वह दोषी नहीं मानी जायगी और उस स्थिति में उसको मेंटिनेंस के लिये अधिकार हो जाता है लेकिन यहां इस खंड में मेंटिनेंस का कोई प्रश्न नहीं है। यदि स्त्री अपने पति से किसी कारण अलग रहती है और उसके पास जमीन है तो यह खंड उसे अधिकार देता है कि वह दूसरे से अपनी जोत करा सके। और इसके अन्दर सभी बातें आ जाती हैं। तिवारी जी स्वयं इस बात को मानते हैं कि स्त्री का अधिकार बहुत ही सीमित हो जायगा और इस खंड के उद्देश्य से बिलकुल बाहर हो जायगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय तिवारी जी को कुछ भ्रम हो गया और उन्होंने हिन्दू ला और हिन्दू कस्टम्स के द्वारा जो मेंटिनेंस मिलता है उसको एक साथ मिला दिया। इस बिल का तात्पर्य और उद्देश्य यही मालूम होता है कि यदि स्त्री अपने पति से अलग रहती है तो खंड ४ के अन्दर उसको यह अधिकार है कि वह दूसरों से काश्त करा सकती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि तिवारी जी का यह संशोधन युक्तिसंगत नहीं है। यदि वे इसे वापस ले लें तो बड़ा अच्छा हो।

श्री चरणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिवनाथ काटजू जी से पूर्णतया सहमत हूं और मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन् माननीय चरणसिंह जी ने जो माननीय शिवनाथ काटजू जी का समर्थन किया उसे देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे भी वकील हैं, उन्होंने एम० ए०, एल-एल० बी० पास किया है और शायद कुमायूं कस्टमरी लाज उन्होंने न पढ़ा हो। कारण उन्होंने रेवेन्यू कोर्ट में प्रैक्टिस कम की। अगर पढ़ा भी होगा तो हाल ही में पढ़ा होगा जबकि उन्होंने मंत्रिमंडल सम्भाला हो। लेकिन जो काटजू साहब ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा कि मैंने कुमायूं कस्टमरी लाज और हिन्दू कस्टम को एक में मिला दिया यह तो उसके बिलकुल विपरीत है। कुमायूं में मिताक्षरा से जिसका शायद उनको ज्ञान हो जिसको कि वे सप्लाई करते हैं, माननीय काटजू जी समझते हैं कि इससे स्त्री का अधिकार कम कर दिया गया है। उन्होंने जेनरल माने में इसे सब के लिये कह दिया कि इस संशोधन से स्त्री का अधिकार कम हो जायगा। दरअसल अगर माननीय शिवनाथ काटजू जी टटोलें तो पति से पृथक् होने वाली विवाहिता स्त्री को कोई अधिकार मिलता ही नहीं है। मंत्री जी ने जो बिल में रखा है उस से कोई अधिकार नहीं मिलता, मैंने उसको स्पष्ट कर दिया है जिससे अधिकार मिल जाय। मेरे संशोधन से अधिकार मिलता है? वहां के कस्टमरी लाज हैं जिनको श्री पन्ना लाल जी ने ३ साल में तमाम गवाहियां ले कर तैयार किया था। वह जरा उस कस्टमरी ला को देखें। उसकी डेफिनिशन बतला दी जाय कि अगर कोई स्त्री विवाहिता है और अपने पति से पृथक् हो गयी है तो यह किस चीज को प्रलाई करता है और इसका मतलब क्या है।

श्री चरणसिंह—वहां के कस्टमरी ला में जो लिखा है वह तो रहेगा ही जिस हद तक उससे एब्रोगेट होता है तो यह लागू रहेगा। जो हमने बिल में रखा है वह माकूल बात है और इसके अलावा जो है वह भी बाकी रहेगा ही कि जिस को पन्ना लाल या किसी और लाल ने बनाया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि काफी स्पष्ट करने की कोशिश की गयी, अब मैं और इजाजत नहीं देता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। खंड ४ में लिखा हुआ है कि किसी विधि में भी लागू रहेगा। तो क्या अब भी लागू रह सकता है?

श्री अध्यक्ष—जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ फैसला होगा वह अदालतें ही करेंगी जिस वक्त भी सवाल उठेगा।

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय—

"स्पष्टीकरण—किसी विवाहिता स्त्री के अपने पति से पृथक् होने का तात्पर्य किसी न्यायालय के फैसले द्वारा अथवा रीति संगत आधार (रिवाज के अनुरूप) पृथक्कीकरण से है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, यह जो २० नम्बर पर संशोधन है इसमें दूसरी पंक्ति में गलती से "सात" छप गया है यह "एक" होना चाहिये। मैंने लिख कर भी "एक" ही दिया था न मालूम कैसे यह गलत छप गया है।

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (७) में आरंभिक शब्द "तीन" के स्थान पर शब्द "एक" रख दिया जाय।

इस में लिखा है कि पट्टा देने वाला ३ वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंड भोग रहा हो तो वह पट्टे पर जमीन उठा सकता है। मैं समझता हूं कि यह ३ साल की अवधि बहुत ज्यादा है। अगर "एक" साल की अवधि कर दी जाय तो ठीक होगा ताकि वह अपनी जमीन अपनी अदममौजूदगी में किसी के सुपुर्द कर दे और जमीन भी बेकार न पड़ी रहे। पहाड़ों में वैसे ही जमीन कम है, इस तरह से बंजर जमीन न रखनी चाहिये।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं श्री नारायणदत्त जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस संशोधन को पेश करके मुझको एक गलती को सही करने का मौक़ा दिया। मैं भी चाहता हूं कि "३" साल न रहना चाहिये, यह न मालूम किस तरह से इसमें आ गया और कैसे यह अवधि रखी गयी और कैसे यह निगाह से निकल गया। मैं इसमें आपकी इजाजत से एक संशोधन और पेश करना चाहता हूं और वह यह है कि इसमें "तीन वर्ष" के स्थान पर "३ मास" कर दिया जाय। यह बहुत जरूरी है कि ३ मास से अधिक के लिए वह कारावास भोग रहा हो तो कम से कम वह अपनी जमीन को उठा तो सकेगा और कम होगा तो वह फसल के वक्त आप ही आ सकता है। मैं आशा करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी---मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---मैं अंतिम रूप से जो संशोधन है उसी को रखे देता हूं---

प्रश्न यह है कि खड ४ के उपखड (७) में आरम्भिक शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन मास" रख दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १६५-१७७ पर)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२० अप्रैल, १९५४।

कैलासचन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०४ पर)

अनसूची 'क'

जिला आजमगढ़

बंधियों की सूची जिन्हें तृतीय श्रमदान कार्यकाल में पूरा करना है--

क्रम संख्या	पी०आर०आई सर्किल के नाम	गांवसभा या गांव के नाम जिसमें ये हैं
१	सदर	बसाही जैरामपुर
२	,,	सुम्भी
३	,,	शाह खजुरा
४	,,	अलीपुर
५	,,	करीमुद्दीनपुर
६	सरायमीर	दयालपुर
७	,,	बिसहाम मिर्जापुर
८	,,	दौदपुर
९	,,	बस्ती
१०	,,	बसाही बन्दे दासपुर
११	,,	वजीरमलपुर
१२	लालगंज	ढाका
१३	,,	रामपुर बधौना
१४	,,	चिलबिला
१५	,,	खनियारा
१६	,,	मसौरपुर
१७	,,	कंथयी शंकरपुर
१८	,,	बेरमा बिशम्भरपुर
१९	,,	सईद मालिकपुर
२०	,,	गरौली
२१	,,	बैरीडीह
२२	,,	कोटा बुजुर्ग
२३	,,	कटौली बुजुर्ग
२४	,,	जिगनी
२५	,,	पवानी खुर्द
२६	,,	बंसपुर
२७	,,	हैबटपुर
२८	,,	बसाही
२९	,,	कटाई
३०	मेहनगर	चनानी
३१	,,	टरवा खास
३२	,,	शिवरामपुर
३३	,,	फतेहपुर
३४	,,	नौरसिया
३५	,,	जगदीशपुर
३६	,,	टिसौरा

क्रम संख्या	पी० आर० आई सर्किल के नाम	गांव सभा या गांव के नाम जिसमें ये हैं
३७	मेहनगर	खजुरा
३८	,,	गुरेहठा
३९	,,	देवकली
४०	,,	कटाहां
४१	,,	रामगढ़
४२	,,	नरसिंहपुर
४३	,,	देवरिया
४४	,,	बछवाल
४५	,,	गहुनी
४६	,,	फिनीलानी
४७	मुहम्मदाबाद	कोईलारी
४८	,,	रामपुर
४९	,,	पथुवान
५०	कौझा	सरौंधा
५१	,,	कमथारी
५२	,,	असलपुर
५३	,,	सरायसादी
५४	,,	मखुनी
५५	दोहरीघाट	फरसारा खुर्द
५६	,,	कठिहारी बुजुर्ग
५७	,,	हेमाई
५८	,,	रौंदा भगवानपुर
५९	मधुबन	मीरपुर मोहम्मद दरियाबाद
६०	,,	बेला गदायान पट्टी
६१	,,	बेलौली रामपुर
६२	,,	दारगढे
६३	,,	सीकारीकोल
६४	साम्ररी	पन्सशाबदा
६५	,,	सालेपुर
६६	,,	रौजा
६७	,,	जोगियाबार
६८	,,	जोकहरा
६९	,,	दिधवानिया
७०		पीहर
७१	,,	मल्तारी
७२	,,	चकला
७३	,,	सिरही
७४	,,	तुलापुर
७५	,,	जमीन मोहम्मद पुर
७६	,,	दिधवानिया क्वाजी
७७	,,	जैनपुर
७८	,,	कुरहन्स
७९	बिलारीगंज	बिलारी गंज
८०	,,	बरोही फतेहपुर

अदर प्रदेश सभा

क्रम संख्या	पी० आर० आई० सर्किल के नाम	गांव सभा या गांव के नाम जिसमें ये हैं
८१	विलारी गंज	जोलाहपुर
८२	,,	बरामदपुर
८३	,,	कुर्कौंछी
८४	,,	अन्ती पहलवानपुर
८५	,,	बटन
८६	महराजगंज	देवारा कदीम
८७	माहुल	मझौरा
८८	,,	लेदौरा
८९	,,	सालिसपुर
९०	दीदार गंज	बिलार मऊ
९१	,,	सरावां
९२	,,	नौहारा
९३	,,	बरकटडीह
९४	,,	खरसहां कलाँ
९५	,,	महुवारा खुर्द
९६	,,	सुरहां
९७	कोइल्सा	भीमलपुर चापरा
९८	,,	शेखौना
९९	,,	सेमरावां

अनुसूची 'ख'

उन बंध तथा बंधियों की सूची जो प्रथम श्रमदान कार्य काल में बनाये गये—

क्रमसंख्या	पी० आर० आई० सर्किल के नाम	ग्राम या ग्राम सभा के नाम	लंबाई फिट में	
१	सदर	गौरा	६,०००	फिट
२	काझा	सलेहाबाद	५,०००	,,
३	घोसी	चेरुइया	६००	,,
४	,,	इन्दाना	७५०	,,
५	,,	शाहपुर	७५०	,,
६	,,	पियारेपुर	६००	,,
७	,,	जहानियापुर	७५०	,,
८	,,	महुअर बासगोटिया	६००	,,
९	दोहरीघाट	काठिहारी	१५०	,,
१०	,,	कुधानी	१५०	,,
११	मधुबन	रसूलपुर आदमपुर	३००	,,
१२	,,	बेलौली बोझीपुर	१५	,,
१३	,,	बस्ती बारसी निधियां	२००	,,
१४	,,	पहारीपुर खोरिया	९०	,,
१५	सागरी	अथानारू कपारगढ़	५,२८०	,,
१६	,,	जियानपुर चईनपुर	६०	,,
१७	बिलारी गंज	सियारामहा	४,०००	,,
१८	,,	अवन्ती पहलवानपुर	४,०००	,,

क्रम संख्या	पी० आर० आई० सर्किल के नाम	ग्राम या ग्राम सभा के नाम	लम्बाई फिट में	
१९	दीदारगंज	बानगांव	५,२८०	फीट
२०	,,	सगौली	५,२८०	,,
२१	,,	बरौना	५,२८०	,,
२२	,,	बलवाना	१,३२०	,,
२३	,,	कस्बा फतेहपुर	१,३२०	,,
२४	लालगंज	सोफीपुर	६,०००	,,
२५	,,	खनियारा	६,०००	,,
२६	,,	कैथी शंकरपुर	११,०००	,,
२७	,,	मसीरपुर	४,०००	,,
२८	,,	बहलोलपुर	६,०००	,,
२९	थेकमा	मैखारगपुर	५०,०००	,,
३०	,,	बारदाह	४,०००	,,
३१	,,	बादगहन भुलनडीह	५०,०००	,,
३२	,,	सरावान	३,५००	,,
३३	थेकमा	बिरभानपुर	५,०००	,,
३४	,,	बाकेश	३,१००	,,
३५	मेहनगर	देवरिया	६,८००	,,
३६	,,	मुस्तफाबाद	८,०००	,,
३७	,,	नयी	५,०००	,,
३८	,,	बेनूपुर	५,०००	,,

अनुसूची "ग"

उन बंध तथा बंधियों की सूची जिनपर प्रयोगात्मक कार्य-क्रम के अन्तर्गत कार्य प्रगति में हो--

१--साहसपुर

अनसूची "घ"

उन बंधों की सूची जिला नियोजन समितियों के धन से तथा प्रयोगात्मक कार्य के अधीन बनाया जायगा--

१--जमीन हंखोरी,
२--मेधी पेंसिघपुर,
३--च्यूटीदंड,
४--लाखीपुर,
५--टेराही,
६--सौरा सन्टी,
७--सरसेना,
८--कंधरापुर,
९--मन्दुरी,
१०--खोरी डीहा।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०६ पर)

सूची

१—मोदहा मसकारा	कच्ची सड़क
२—जलालपुर मसकारा	कच्ची सड़क
३—सरीला जलालपुर	कच्ची सड़क
४—सरीला जरैया	कच्ची सड़क
५—गोहांद जरैया	कच्ची सड़क
६—मसकारा खरेला	कच्ची सड़क
७—अजनार जैतपुर	कच्ची सड़क
८—खरेला चरखारी	कच्ची सड़क
९—इचोलिया खाना	कच्ची सड़क
१०—डंगवा वेगरा	ग्राम सड़क
११—चन्दौट डगंवा	ग्राम सड़क
१२—राठ मंझगवां हीरानगर	ग्राम सड़क

संसद सदस्य सहायता

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११३ पर)

निम्नलिखित अदालतों में मुकदमों की संख्या—

साल	सिविल जज	अतिरिक्त सिविल जज	मुन्सिफी
१९३४	०	१	०
१९४४	०	०	४
१९४५	०	०	१
१९४६	०	२	०
१९४७	२	१	४
१९४८	१	०	३
१९४९	४	०	६
१९५०	२	२	७
१९५१	२	२	१४
१९५२	४	२०	६४
१९५३	२०	४६	४५४
१९५४	५३	०	१६९
कुल योग	८८	७४	७२६

अली जहीर
न्याय मन्त्री

नत्थी 'घ'

(देखिए पीछे पृष्ठ १५८ पर)

उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३ में प्रवर समिति की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३, उत्तर प्रदेश सरकार के दिनांक १२-१२-५३ के असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

प्रवर समिति की बैठक १५ तथा १६ जनवरी तथा ३० मार्च, १९५४ को हुई। प्रवर समिति ने विधेयक पर विचार किया। विधेयक में कुछ शाब्दिक संशोधनों के अतिरिक्त निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन उसकी अनुसूची में किये गये :

१—क्रम संख्या १ में इंडियन एविडेंस ऐक्ट, १८७२ की धारा ९० के सामने स्तम्भ ४ में वर्तमान संशोधन की संख्या (१) कर दी गई और संख्या (१) में दी गई उपधारा (२) इस प्रकार रखी गयी :

"(2) Where any such document, as is referred to in sub-section (1). was registered in accordance with the law relating to registration of documents and a duly certified copy there of is produced, the court may presume that the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person, is in that person's handwriting, and in the case of a document executed or attested, that it was duly executed and attested by the person by whom it purports to have been executed or attested."

इसके पश्चात् स्तम्भ ४ में निम्नलिखित संख्या (२) रखी गई :

"(२) धारा ९० के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ९०-ए बढ़ा दी जाय :

"90-A. (1) Where any registered document or a duly certified copy thereof or any certified copy of a document which is part of the record of a court of justice, is produced from any coustody which the court in the particular case considers proper, the court may presume that the original was executed by the person by whom it purports to have been executed.

(2) This presumption shall not be made in respect of any document which is the basis of a suit or of a defence or is relied upon in the plaint or written statement.

The explanation to sub-section (1) of section 90 will also apply to this section."

२—क्रम संख्या ५ में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा ३५-ए की परिवर्तित उपधारा (१), जैसी स्तम्भ ४ में दी गई है, के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा (१) रक्खी गई :

"35-A. (1) If in any suit or other proceeding, including proceedings in execution, not being an appeal or revision, the court holds that the claim or defence or any part of it is false or vexatious to the knowledge of the party by whom it has been put forward and if such claim or defence or part of it is disallowed abandoned or withdrawn in whole or in part, the court may, after recording its reasons for holding such claim or defence to be false or vexatious, make an order for payment to the successful party of costs by way of compensation irrespective of the decision on other issues in the case."

३—क्रम संख्या ५ में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा ४२ के सामने स्तम्भ ४ में प्रस्तावित धारा ४२ में से शब्द "except as provided for in section 39" निकाल दिये गये।

४—क्रम संख्या ५ में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा ४७ के सामने स्तम्भ ४ में प्रस्तावित Explanation II के स्थान पर निम्नलिखित रखा गया:

"*Explanation II*—For the purposes of this section, a puchaser at an auction sale in execution of the decree shall be deemed to be a party to the suit in respect of the property purchased by him"'

५—क्रम संख्या ५ में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा ५१ के सामने स्तम्भ ४ में प्रस्तावित खंड (*bb*) के स्थान पर निम्नलिखित रखा गया:

"(*bb*) by transfer other than sale, by attachment or without attachment of any property."

६—क्रम संख्या ५ में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा ९२ के सामने स्तम्भ ४ में प्रस्तावित खंड की संख्या (*cc*) के स्थान पर (*bb*) रखा गया।

७—क्रम संख्या ५ में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा १४५ के सामने स्तम्भ ४ में प्रस्तावित धारा १४५ निम्नलिखित रखी गई :

"145. Where any person has become liable as surety or given any property as security——

(*a*) for the performance of any decree or any part thereof, or

(*b*) for the restitution of any property taken in execution of a decree, or

(*c*) for the payment of any money, or for the fulfilment of any condition imposed on any person under an order of the court in any suit or in any proceeding consequent thereon.,

the decree or order may be executed in the manner herein provided for the execution of decrees—

(i) If he has rendered himself personally liable, against him to that extent, and

(ii) if he has given any property as security, by sale of such property to the extent of the security ;

and such person shall, for the purposes of appeal, be deemed to be a party within the meaning of section 47:

Provided that such notice as the court in each case thinks sufficient has been given to the surety.

Explanation—For the purposes of this section a person entrusted by a court with custody of any property attached in execution of any decree or order shall be deemed to have become liable as surety for the restitution of such property within the meaning of clause (*b*)."

८—क्रम संख्या ७ में दि इंडियन ल्युनेसी ऐक्ट, १९१२ की धारा ३ के सामने स्तम्भ ४ में प्रस्तावित संशोधन में शब्द "civil court" और "of a munsif" के बीच में शब्द "not being the court" रख दिये गये।

९—क्रम संख्या ७ के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या ८ बढ़ा दी गई और वर्तमान क्रम संख्या ८ को क्रम संख्या ९ कर दिया गया:

१	२	३	४
८	अवध लाज ऐक्ट, १८७६ (१८७६ का ऐक्ट संख्या १८)		इस धारा के अन्तिम पद के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय: "The note as above required may be written and signed by the judge with his own hand or typed to his dictation in open court and signed by him with his own hand, and such no.e shall form part of the record."

१०—पुनः परिगणित क्रम संख्या ९ में दि प्राविंशल इन्सालवेन्सी ऐक्ट, १९२० की धारा 59-A के सामने स्तम्भ ४ में —

(१) प्रस्तावित उपधाराओं (४) और (५) के स्थान पर निम्नांकित उपधारायें रखी गईं :—

"(4) If on his examination any such person admits that he is indebted to the insolvent, the court or such officer may, on the application of the receiver, order him to pay to the receiver at such time and in such manner as to the court or to such officer seems expedient, the amount in which he is indebted or any part thereof, either in full discharge of the whole amount or not, as the court or the officer, as the case may be, thinks fit, with or without costs of the examination.

(5) If on his examination any such person admits that he has in his possession any property belonging to the insolvent, the court or such officer may on the application of the receiver, order him to deliver to the receiver that property or any part thereof, at such time, in such manner and on such terms as to the court or to the officer, as the case may be, may seem just."

(२) प्रस्तावित उपधारा (६) में शब्द "decree" के स्थान पर "decrees" रखा गया।

११—प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक इस रिपोर्ट के संलग्न हैं। प्रवर समिति इस संशोधित विधेयक को फिर से प्रकाशित करना आवश्यक नहीं समझती।

अली जहीर, सभापति,
बलवीर सिंह,
टी० कौल,
धरम सिंह,
बाबू राम गुप्त,
वीरेन्द्र पति यादव,
मलखान सिंह,
अब्दुल मुईज खां,
जोरावर वर्मा।

उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों [ ] में है तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है।)

सिविल लाज (दीवानी कानूनों) में सुधारों की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि सिविल लाज (दीवानी कानूनों) में सुधार किया जाय और इसी उद्देश्य से कुछ अधिनियमों का, जहां तक उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, संशोधन किया जाय ;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) अधिनियम, कहलाएगा।

अनुसूची में निर्दिष्ट विधायनों का संशोधन।

२—अनुसूची के स्तम्भ २ में निर्दिष्ट विधायन जहां तक उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, अनुसूची के स्तम्भ ३ और ४ में वर्णित आयति पर्यन्त (To the extent)संशोधित होंगे और एतद्द्वारा संशोधित किये जाते हैं।

अपवाद (savings)

३—(१) इस अधिनियम द्वारा किया हुआ कोई संशोधन पहले से की गयी अथवा हुयी किसी बात(of anything already done or suffered)की, अथवा पहले से उपार्जित, उत्पन्न अथवा भारित किसी अधिकार, आगम, अधिभार अथवा दायित्व (any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred) की, अथवा किसी ऋण की डिग्री से मुक्ति या उसके उत्सर्जन या किसी दायित्व से मुक्ति या उसके उत्सर्जन अथवा अधिक्षेत्र की, जो प्रयोग में लाया गया हो, (any release or discharge of or from any debt, decree liability, or any jurisdiction already exercised) वैधता, अवैधता, फल अथवा परिणाम पर प्रभाव न डालेगा (shall not affect the validitiy, invaliditiy, effect or consequence of) और इसी अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी न्यायालय में निविष्ट या आरब्ध (instituted or commenced) व्यवहार, यहां पर किये गये किसी संशोधन के होते हुये भी, उक्त न्यायालय द्वारा सुने और निर्णीत किये जा सकेंगे।

(२) यदि इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ में अथवा अनुसूची के स्तम्भ २ में वर्णित किसी अन्य विधायन में किसी संशोधन के हो जाने के कारण किसी वाद अथवा अपील के लिये नियत अवधि परिष्कृत हो गयी हो अथवा ऐसे वाद अथवा अपील पर कोई भिन्न अवधि अब से प्रवृत होने वाली हो, तो ऐसे संशोधन के अथवा इस बात के होते हुये भी कि अब वाद अथवा अपील किसी अन्य न्यायालय में हो सकेगी, उपर्युक्त वाद अथवा अपील में, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व कालावधि (limitation) आरम्भ हो जाने पर, वही अवधि प्रवृत्ति होगी, जो इस संशोधन के न होने पर होती।

अनुसूची

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा या अनुसूची (Schedule)	संशोधन
१	२	३	४
१	इंडियन एविडेंस ऐक्ट, १८७२ (ऐक्ट सं० १, १८७२)	९०	(१) वर्तमान धारा की धारा ९० (१) के रूप में पुनः परिगणित किया जाय— (क) शब्द "Thirty years" के स्थान पर शब्द "Twenty years" रख दिये जांय, और (ख) उसके बाद निम्नलिखित को नयी उपधारा (२) के रूप में रिख दिया जाय:— "(2) Where any such document as is referred to in sub-section (1) was registered in accordance with the law relating to registration of documents and a duly certified copy there of [duly certified by an officer duly authorised in that behalf] is produced, the Court may presume that the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person, is in that person's handwriting, and in the case of a document executed or attested, that it was duly executed and attested by the person by whom it purports to have been executed or attested." (२) धारा ९० के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ९०-ए बढ़ा दी जाय:— "90-A. (1) Where any registered document or a duly certified copy thereof or any certified copy of a document which is part of the record of a court of justice, is produced from any custody which the court in the particular case considers proper, the court may presume that the original was executed by the person by whom it purports to have been executed. (2) This presumption shall not be made in respect of any document which is the basis of a suit or of a defence or is relied upon in the plaint or written statement. The explanation to sub-section (1) of 90 will also apply to this section."

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा या अनुसूची (Schedule)	संशोधन
१	२	३	४
२	ट्रांसफ़र आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ (१८८२ का ऐक्ट सं० ४)	१०६	(१) शब्द "expiring with the end of a year of tenancy" और शब्द "expiring with the end of a month of the tenancy," निकाल दिये जायं। (२) शब्द "fifteen days' notice" के स्थान पर शब्द "thirty days notice" रख दिये जायं।
३	प्रांविशयल स्माल काज कोर्ट ऐक्ट, १८७ (१८८७ का ऐक्ट सं० ९)	सेकेन्ड शिड्यूल	(१) आर्टिकिल्स (८), (२६), (३४) और आर्टिकल (३५) का उपखंड (२) और आर्टिकल (४३-ए) निकाल दिये जायं। वर्तमान आर्टिकिल (३८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— "(38) a suit relating to maintenance but not being a suit for recovery of arrears of maintenance based upon a decree or a written agreement."
४	बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्टस् ऐक्ट, १८८७ (१८८७ का ऐक्ट सख्या १२)	२१	उपधारा १(१) के खंड (ए) में शब्द "five thousand rupees" के स्थान पर शब्द "ten thousand rupees" रख दिये जायं।
५	कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ (१९०८ का ऐक्ट सं० ५)	३५	(१) वर्तमान उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— "(1) If any suit or other proceeding, including proceedings in execution, [but] not being an appeal or revision, the court (finds) holds that the claim or defence or any part (thereof) of it is false or vexatious to the knowledge of the party by whom it has been put forward and if such claim or defence or (such) part of it is disallowed, abandoned or withdrawn in whole or in part, the court may, after recording its reasons for holding suchclaim or defence to be false or vexatious, make an order for (the)

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा या अनुसूची (Schedule)	संशोधन
१	२	३	४
	कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ (१९०८ का ऐक्ट सं० ५)		payment to the successful party of costs by way of compensation [by the party by whom to the party against whom such claim or defence was put forward] irrespective of the decision on other issues in the case"
४२			(२) वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—
			"42. The court executing a decree sent to it shall [except as provided for in section 39] have the same power in executing such decree as the court which passed it. All persons disobeying or obstructing the execution of decree shall be punishable by such court in the same manner as if it had passed the decree, and its order in executing such decree shall be subject to the same rules in respect of appeal as if the decree has been passed by itself."
"	४७		(३) धारा ४७ के वर्तमान स्पष्टीकरण को "Explanation—I" के रूप में पुन: परिगणित किया जाय और उसके बाद निम्नलिखित "Explanation—II" के रूप में जोड़ दिया जाय–
			"*Explanation*—II—For the purposes of this section a purchaser at an auction sale in execution of the decree [is representative of the judgment-debtor] shall be deemed to be a party to the suit in respect of the property purchased by him."
"	५१		(४) खंड (बी) के बाद निम्नलिखित नया खंड [बीबी] (*bb*) के रूप में जोड़ दिया जाय:—
			"(*bb*) by [attachment and] transfer other than sale, or by [such transfer] attachment or without attachment of any property."

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा या अनुसूची (Schedule)	संशोधन
१	२	३	४
	कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ (१९०८ का ऐक्ट सं० ५)	९२	(५) उपधारा (१) में खंड [(सी)] (बी) के बाद निम्नलिखित नया खंड [सी सी] (b b) के रूप में जोड़ दिया जाय:—
			"[c c](bb) for delivery of possession of any trust property against a person who has ceased to be trustee or has been removed."
	"	१०२	(६) धारा के अन्त में आने वाले शब्द "five hundred rupees" के स्थान पर शब्द "two thousand rupees" रख दिये जायं।
	"	१४४	(७) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—
			"(1) Where and in so far as a decree or an order is varied or reversed in appeal, revision or otherwise, the court of first instance shall on the application of any party entitled to any benefit by way of restitution or otherwise, cause such restitution to be made, as will, so far as may be, place the [party] parties in the position which they would have occupied but for such decree or order or such part thereof as has been varied or reveresed ; and for this purpose, the Court may make any orders, including order for the refund of costs and for the payment of interest, damages, compensation and mesne profits which are properly consequential on such variation or reversal."
	"	१४५	(८) वर्तमान धारा १४५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—
			"145. Where any person has become liable as surety or given any property as security :—
			(*a*) for the [purpose] performance of any decree or any part thereof, or

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा या अनुसूची (Schedule)	संशोधन
१	२	३	४
	कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ (१९०८ का ऐक्ट सं० ५)		(*b*) for the restitution of any property taken in execution of a decree, or (*c*) for the payment of any money, or for the fulfilment of any condition imposed on any person, under an order of the Court in any suit or in any proceeding consequent [thereof] thereon— the decree or order may be executed in the manner herein provided for the execution of decrees, (i) if he has rendered himself personally liable, against him to [the] that extent [he has so rendered liable], and (ii) if he has given any property as security, by sale of such property to the extent of the security ; and such person shall, for the purposes of appeal, be deemed to be a party within the meaning of section 47 : Provided that such notice as the court in each case thinks sufficient has been given to the surety. *Explanation*—For the purposes of this section a person who has been entrusted by a Court with custody of any property attached in execution of any decree or order shall be deemed to have become liable as surety for the restitution of such property within the meaning of clause (b)"
६	दि इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ (१९०८ का ऐक्ट सं० ९)	दि फर्स्ट शिड्यूल	(१) आर्टिकिल ११ में शीर्षक "Period of Limitation" के नीचे वाले इन्दराज "one year" के स्थान पर शब्द "six months" रख दिये जायं, (२) आर्टिकिल १८२ में शीर्षक "Period of Limitation" के नीचे वाले इन्दराज "three years" के स्थान पर शब्द "six years" रख दिये जायं।

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा या अनुसूची (Schedule)	संशोधन
१	२	३	४
७	दि इंडियन ल्युनेसी ऐक्ट, १९१२ १९१२ का ऐक्ट सं० ४	३	इस धारा की उपधारा (३) के अन्त में आने वाले कोलन के स्थान पर कामा रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित रख दिया जाय:— "and includes any other civil court not being the court of a Munsif, declared in that behalf and for such areas as may be specified by the State Government as by notification in the Gazette, or"
८	प्रवव लाज ऐक्ट, १८७६ (१८७६ का ऐक्ट संख्या १८)	१९	इस धारा के अन्तिम पद के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:— "The note as above required may be written and signed by the Judge with his own hand or typed to his dictation in open court and signed by him with his own hand, and such note shall form part of the record."
[८] ९	दि प्राविंशियल इन्सालवेन्सी ऐक्ट, १९२० (१९२० का ऐक्ट सं० ५)	२०	(१) वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— "20. The Court when making an order admitting the petition may, and where the debtor is a petitioner, shall appoint an interim receiver of the property of the debtor and may direct such receiver to take immediate possession thereof, and the interim receiver shall thereupon have such of the powers conferable on a receiver appointed under the Code of Civil Procedure, 1908, as the court may direct. Where in any case an interim receiver is not appointed at the time of admitting the petition, the court may make such appointment at any subsequent time before adjudication, and the provisions of this section shall apply accordingly. *Explanation*—The order appointing an interim receiver may in cases where the debtor is not the petitioner be in respect of either the whole or a part only of the debtor's property."

क्रम संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा या अनुसूची (Schedule)	संशोधन
१	२	३	४
	दि प्रार्विशियल इन्सालवेंसी ऐक्ट, १९२० (१९२० का ऐक्ट सं० ५)	५९—ए	(२) उपधारा (३) के बाद निम्नलिखित नयी उपधारायें (४) से (७) तक जोड़ दी जायं:—

"(4) If on his examination any such person admits that he is indebted to the insolvent, the court or such officer may, on the application of the receiver, order him to pay to the receiver at such time and in such manner as to the court or to such officer seems expedient, the amount in which he is indebted, or any part thereof, either in full discharge of the whole amount or not, as the court or the officer as the case may be, [the officer] thinks fit, with or without costs of the examination.

(5) If on his examination any such person admits that he has in his possession any property belonging to the insolvent, the court or such officer may, on the application of the receiver, order him to deliver to the receiver that property or any part thereof, at such time, in such manner and on such terms as to the court or to the officer, as the case may be, [the officer] may seem just.

(6) Orders made under sub-sections (4) and (5) shall be executed in the same manner as decrees for the payment of money, or for the delivery of property, under the Code of Civil Procedure, 1908, respectively.

(7) Any person making any payment or delivery in pursuance of an order made under sub-section (4) or sub-section (5) shall by such payment or delivery be discharged from all liability whatsoever in respect of such debt or property."

"		७४	(३) शब्द "five hundred rupees" के स्थान पर शब्द "one thousand rupees" रख दिये जायं।

उद्देश्य और कारण

सन् १९५० में राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति श्री के० एन० वांचू की अध्यक्षता में न्याय प्रशासन की प्रणाली की जांच करने के लिये और विशेषतः मुकदमों के निस्तारण में देरी, कार्यवाहियों की बहुलता और अधिक व्यय के विषय में जांच करने और अनावश्यक मुकदमेबाजी को समाप्त करने और अल्प अवधि में ही शीघ्र न्याय प्राप्ति के लिये सुझाव देने के निमित्त एक समिति की नियुक्ति की थी। सिविल लाज के सम्बन्ध में समिति की उन सिफारिशों को, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है, कार्यान्वित करने के लक्ष्य से इंडियन एविडेंस ऐक्ट, १८७२, ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२, प्रार्विशियल स्माल काज कोर्ट ऐक्ट, १८८७, बंगाल, आगरा ऐन्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ तथा अनुसूची में अभिदिष्ट अन्य ऐक्टों को निम्नलिखित रीति से संशोधित करने का प्रस्ताव है।

(२) इंडियन एविडेंस ऐक्ट, १८७२ की धारा ९० के अधीन उन लेखों (documents) के निष्पादन को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है जो ३० साल पुराने हों, क्योंकि उनकी सिद्धि के लिये उपयुक्त साक्ष्य ढूंढना कठिन है। इस धारा में नियत ३० वर्ष की अवधि बहुत बड़ी है और उसे २० वर्ष कर देने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि धारा ९० के अधीन परिकल्पना (प्रिजम्पशन) का लाभ यदि लेख्य की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर दी जाय तो भी मिलना चाहिये। न्यायालयों का बहुत सा समय इन लेखों की प्रमाणिकता के बारे में रीतिक साक्ष्य अभिलिखित करने में नष्ट हो जाता है, यह समय इस संशोधन द्वारा बच जायगा।

ट्रांस्फ़र आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट की धारा १०६ में संशोधन का लक्ष्य है कि माहवारी किरायादारी की दशा में नोटिस की अवधि १५ दिन से ३० दिन कर दी जाय और साथ ही साथ यह कठिनाई दूर कर दी जाय कि नोटिस किरायेदारी की अवधि के आखिरी दिन पर समाप्त हो।

प्रार्विशियल स्माल काज कोर्ट ऐक्ट के शिड्यूल २ को संशोधित किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले जो उन न्यायालयों की अवेक्षा (cognizances) में नहीं आते, उनके द्वारा सुने जा सकेंगे। यह मामले इन न्यायालयों द्वारा सुने जाने वाले दूसरे मामलों से साधारणतया भिन्न नहीं हैं। आशा की जाती है कि इस प्रकार न्याय की प्राप्ति शीघ्रता से होगी।

बंगाल, आगरा ऐन्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे ५,००० से १०,००० रुपये तक के मूल्य वाली अपीलें जिला जजों द्वारा सुनी जा सकें और हाईकोर्ट में काम घट जाय और अपीलों का निस्तारण शीघ्रता से हो सके।

झूठी मुक़दमे बाजी और कार्यवाहियों की बहुलता को रोकने के लिये कोड आफ सिविल प्रोसीजर में कई संशोधन किये जा रहे हैं। कोड आफ सिविल प्रोसीजर की वर्तमान धारा ३५-ए के अधीन न्यायालय को तभी विशेष वाद-व्यय दिलाने का अधिकार है जब पक्ष यह दलील यथाशीघ्र प्रस्तुत कर कि विरोधी पक्ष की जानकारी में दावा या बचाव झूठा या परेशान करने वाला है। न्यायालय, यदि यह दलील न उठायी गयी हो तो यह जानते हुये भी कि दावा या बचाव झूठा था विशेष वाद-व्यय नहीं दिला सकता। अनावश्यक मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिये धारा ३५-ए को संशोधित कर के न्यायालय को स्वतः ही विशेष वाद-व्यय दिलाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है, यदि न्यायालय को यह विश्वास हो कि दावा या बचाव परेशान करने वाला था।

जब एक न्यायालय द्वारा दी गयी डिग्री दूसरे न्यायालय को संक्रामित की जाती है, तो उस न्यायालय को, जिसे डिग्री संक्रामित की गयी है डिग्री के निष्पादन, उत्सर्जन अथवा भरपाई से सम्बद्ध कई प्रकार की आपत्तियां निर्णीत करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। ऐसे न्यायालयों को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है जिससे पक्षों को उस न्यायालय के पास अभिदेश की आवश्यकता नहीं रह जायगी, जिसने डिग्री दी हो। सिविल प्रोसीजर कोड में अन्य कोई संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

डिग्री को कायम करने के लिये बहुत से बेकार के प्रार्थना-पत्र उसे जारी करने के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं। इससे न तो डिग्रीदार को ही फायदा होता है न ऋणी को ही फायदा होता है, क्योंकि उस पर अनावश्यक खर्चा लदता ही जाता है। न्यायालयों का भी बहुत सा समय इन प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण में चला जाता है। अतः लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के आर्टिकिल १८२ में प्रदत्त ३ वर्ष की अवधि के स्थान पर ६ वर्ष कर देने का विचार है।

डिस्ट्रिक्ट जजों के पास काम को घटाने के विचार से इंडियन ल्युनेसी ऐक्ट को संशोधित किया जा रहा है जिससे इस ऐक्ट के अधीन मामलों की सुनवाई सिविल जज ही कर सकें।

कई बार ऐसा देखा गया है कि रिसीवर में निहित सम्पत्ति उसके क़ब्ज़े में नहीं आ पाती और दिवालिये का अधिकार उस पर बना रहता है। इसलिये यह उचित है कि जब ऋणी द्वारा दिवालिया निर्णीत करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया जाय तो सभी दशाओं में न्यायालय रिसीवर को यह आदेश दे कि वह प्रार्थी की संपत्ति पर तत्काल क़ब्ज़ा कर ले। तदनुसार प्राविंशियल इन्सालवेंसी ऐक्ट की धारा २० को संशोधित किया जा रहा है। इस ऐक्ट को इस अभिप्राय से भी संशोधित किया जा रहा है है कि क्षिप्र-प्रशासन (summary administration) की सीमा ५०० रु० से १,००० रु० कर दी जाय।

अतएव उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार और संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

सैयद अली ज़हीर,
न्याय मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २२ एल० ए०—१९५४—८५०।